



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दूसरी  
SECOND

# अनुदानों की पूरक मांगें

## SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए  
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

### 2017-2018

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)

(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

दिसंबर, December, 2017

**परिचायक टिप्पणी**

**INTRODUCTORY NOTE**

**विषय :** अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2017-2018.

**Subject :** Second batch of Supplementary Demands for Grants, 2017-2018.

वर्ष 2017-18 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच में 76 अनुदान मांगें तथा 3 विनियोग हैं। ₹66113.34 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹33379.99 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा, ₹32732.05 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत के पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹130 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

The Second batch of Supplementary Demands for Grants for 2017-18 includes 76 Grants and 3 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹66113.34 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹33379.99 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹32732.05 crore. Besides, token provision of ₹130 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>नकद व्यय</b>	<b>Cash Outgo</b>			
<b>कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE</b>			
<b>2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग</b>	<b>2 Department of Agricultural Research and Education</b>			
निम्नलिखित प्रदान करने हेतु (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹73.33 करोड़) और राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹35.06 करोड़) (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹120.40) और आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान वेतन (₹140.91 करोड़) (iii) अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़.) और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹5 करोड़) (iv) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को सहायता अनुदान वेतन (₹8 करोड़) और (v) फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान (₹9.88 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹1.40 करोड़) (vi) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹16.93 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹0.31 करोड़)।	For providing (i) Grants-in-aid General (₹73.33 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹35.06 crore) to Indian Council of Agricultural Research under the scheme National Agricultural Higher Education Project (ii) Grants-in-aid General (₹120.40 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹140.91 crore) to Indian Council of Agricultural Research under the scheme ICAR Headquarter Administration (iii) additional Grants-in-aid General (₹1 crore) and Grants for Creation for Capital Assets (₹5 crore) to Central Agricultural University, Bundelkhand (iv) Grants-in-aid Salaries to Central Agricultural University, Bihar (₹8 crore) and (v) additional Grants for Creation of Capital Assets (₹9.88 crore) and Grants-in-aid General (₹1.40 crore) to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes, Research & Education Schemes (vi) Grants for Creation of Capital Assets (₹16.93 crore) and Grants-in-aid General (₹0.31 crore) to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Natural Resource Management Institutes, Research & Education Schemes.	191.99	-	191.99
<b>परमाणु ऊर्जा विभाग</b>	<b>DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY</b>			
<b>4. परमाणु ऊर्जा</b>	<b>4 Atomic Energy</b>			
(क) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करने के	(a) For meeting additional expenditure			

		(₹ करोड़ In ₹ Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कारण संशोधित भत्ते और बकाया का भुगतान करने हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	towards payment of revised allowances and arrears due to implementation of 7th Central Pay Commission.	6.26	-	6.26
(ख) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करने के कारण का संशोधित भत्ते और बकाया का भुगतान करने हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (I) (i) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (₹80.26 करोड़) (ii) विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (₹10.01 करोड़) (iii) गुरु जल संयंत्र (₹3.28 करोड़) (iv) प्रबंधन सेवा समूह (₹0.08 करोड़) (v) नाभिकीय ईंधन परिसर (₹93.53 करोड़) (vi) नाभिकीय रिसायकल बोर्ड (₹47.02 करोड़) (II) बार्क का ओ एंड एम व्यय (₹2.65 करोड़), नाभिकीय रिसायकल बोर्ड (₹0.18 करोड़), नाभिकीय ईंधन परिसर (₹224.44 करोड़) और (III) नई परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड को सहायता अनुदान (₹20 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards payment of revised allowances and arrears due to implementation of 7th Central Pay Commission of (I) (i) Bhabha Atomic Research Centre (BARC) (₹80.26 crore) (ii) Board of Radiation and Isotope Technology (₹10.01 crore) (iii) Heavy Water Plants (₹3.28 crore) (iv) Management Services Group (₹0.08 crore) (v) Nuclear Fuel Complex (₹93.53 crore) (vi) Nuclear Recycle Board (₹47.02 crore) (II) O&M expenditure of BARC (₹2.65 crore), Nuclear Recycle Board (₹0.18 crore), Nuclear Fuel Complex (₹224.44 crore) and (III) Grant in aid to Electronics Corporation of India Limited to undertake development of new projects (₹20 crore).	132.24	-	132.24
(ग) निम्नलिखित के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. विभाग के विभिन्न यूनितों का 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का बकाया (₹517.18 करोड़) 2. विभिन्न यूनितों का ओ एंड एम व्यय (₹44.80 करोड़) 3. स्वायत्त निकायों को सहायता अनुदान वेतन (₹23.75 करोड़) और परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी (₹19 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure towards payment for 1. 7th Central Pay Commission arrears of various units of the Department (₹517.18 crore) 2. O&M Expenditure of various units (₹44.80 crore) 3. Grants-in-aid Salary to Autonomous Bodies (₹23.75 crore) and to Atomic Energy Education Society (₹19 crore).	331.52	-	331.52
(घ) कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना (केकेएनपीपी) 5 और 6 के लिए भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. में निवेश हेतु व्यय पूरा करना (₹515 करोड़)।	(d) For meeting expenditure towards investment in Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL) for Kudankulam Nuclear Power Project (KKNPP) 5&6 (₹515 crore).	-	113.43	113.43
(ङ) केकेएनपीपी 3 और 4 के लिए एनपीसीआईएल को अतिरिक्त ऋण (रूसी ऋण) का व्यय पूरा करना (₹550 करोड़)।	(e) For meeting expenditure of additional loan (Russian credit) towards KKNPP-3&4 to NPCIL (₹550 crore).	-	165.29	165.29
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	<b>MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)</b>			
5. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	5 <b>Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)</b>			
(क) अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹5.52 करोड़) (ii) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹71.69 करोड़) (iii) विभिन्न स्कीमों के	(a) For providing additional funds for (i) Grants-in-aid General towards Swachhta Action Plan under various schemes (₹5.52 crore) (ii) Grants-in-aid Salaries under various schemes (₹71.69 crore) (iii) Grants-			

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान वेतन (₹15.78 करोड़) (iv) सूचना, शिक्षा और संचार पर व्यय स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹3 करोड़)।	in-aid General under various schemes (₹15.78 crore) and (iv) Advertisement & Publicity under the scheme Expenditure on Information, Education and Communication (₹3 crore).	50.15	-	50.15
(ख) अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए 1. स्कीम के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (i) पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग (₹0.05 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर लोक औषध संस्थान, पासीघाट (₹0.28 करोड़) 2. पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹1.45 करोड़) 3. राष्ट्रीय आयुष मिशन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹6 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹6 करोड़)।	(b) For providing additional funds for 1. Grants in Aid General for Swachhta Action Plan under the scheme (i) North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong (₹0.05 crores) and (ii) North Eastern Institute of Folk Medicine, Passighat (₹0.28 crore) 2.Grants-in-aid Salary under the scheme North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong (₹1.45 crores) 3. Grants-in-aid General (₹6 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹6 crore) under the scheme National AYUSH Mission (NAM).	13.00	-	13.00
(ग) राष्ट्रीय आयुष मिशन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹35.18 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹23 करोड़)।	(c) For providing additional Grants-in-aid General (₹35.18 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹23 crore) under the scheme National AYUSH Mission (NAM).	38.00	-	38.00
(घ) कार्यालय भवन की अधिप्राप्ति स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना।	(d) For providing additional funds towards major works under the scheme Acquisition of Office Building.	-	28.00	28.00
<b>रसायन और उर्वरक मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS</b>			
<b>8. भेषज विभाग</b>	<b>8 Department of Pharmaceuticals</b>			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹7.35 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets to National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER) under North East Area (₹7.35 crore).	4.85	-	4.85
(ख) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को सामान्य सहायता अनुदान और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹10 करोड़), कोलकाता (₹2.50 करोड़) और रायबरेली (₹1 करोड़) और (ii) एनआईपीईआर के लिए टीबी और कालाजार रोधी हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹2.50 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General and Grants for Creation of Capital Assets to National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER) at Hyderabad (₹10 crore), at Kolkata (₹2.50 crore) and at Rai Bareli (₹1 crore) and (ii) Grants-in-aid General for NIPER's Anti TB and Kala Azar (₹2.50 crore).	13.50	-	13.50
<b>नागर विमानन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CIVIL AVIATION</b>			
<b>9. नागर विमानन मंत्रालय</b>	<b>9 Ministry of Civil Aviation</b>			
विशेष प्रचालन के लिए सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु (₹25 करोड़)।	For providing additional funds under the scheme Subsidy for special operation (₹25 crore).	8.24	-	8.24

		(₹ करोड़ In ₹ Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय</b>				
<b>11. वाणिज्य विभाग</b>				
(क) संभार तंत्र प्रभाग पर व्यय सहित सचिवालय व्यय के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने हेतु।	<b>11 Department of Commerce</b> (a) For meeting the additional requirement for Secretariat expenditure including expenditure on logistic division.	10.00	-	10.00
(ख) सरकारी ई-बाजार स्थान विशेष प्रयोजन माध्यम का प्रचालनात्मक खर्च हेतु सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु।	(b) For meeting the additional requirement as Grants-in-aid General towards the operational expenses of Government e-Marketplace Special Purpose Vehicle (GeM SPV).	60.00	-	60.00
(ग) निम्नलिखित की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (i) निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए कतिपय रोजगार गहन क्षेत्रों के लिए ब्याज समकरण स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹900 करोड़) (ii) नेटवर्किंग केंद्र फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान (एफडीडीआई), कम्प्यूटर नेटवर्किंग केन्द्र (सीएनसी) के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹5 करोड़) (iii) कीमती पत्थर और आभूषण क्षेत्र (₹5 करोड़) (iv) परिवहन सहायता और अवसंरचना विकास के कारण लंबित देनदारियों हेतु कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को (₹87.50 करोड़) और (v) डब्ल्यूटीओ के लिए भारत सरकार की वचनबद्ध देनदारियों को पूरा करने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत अंशदान (₹10 करोड़)।	(c) For meeting the additional requirement towards (i) Subsidies under Interest Equalisation Scheme for certain employment intensive sectors to boost the exporters (₹900 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under Networking Centre Footwear Design and Development Institute (FDDI), Computer Networking Centre (CNC) (₹5 crore) (iii) Gem & Jewellery Sector (₹5 crore) (iv) Agricultural Product Export Development Authority (APEDA) for pending liabilities on account of Transport Assistance and Infrastructure Development (₹87.50 crore) and (v) Contribution under International Cooperation for meeting out committed liability of Government of India towards WTO (₹10 crore).	1,007.50	-	1,007.50
(घ) नए कार्यालय भवन (वाणिज्य भवन) के निर्माण हेतु लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिचय के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना।	(d) For meeting the additional requirement towards Capital Outlay on Public works for construction of new office building (Vanijya Bhavan).	-	59.00	59.00
<b>संचार मंत्रालय</b>				
<b>13. डाक विभाग</b>				
(क) उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न छावनी बोर्ड आगरा को सेवा प्रभारों के भुगतान हेतु प्रदान करना।	<b>13 Department of Posts</b> (a) Providing for payment of service charges to Cantonment Board, Agra arising out of Supreme Court Judgement.	3.01	-	3.01
(ख) व्यय पूरा करने हेतु (i) एयर इंडिया और अन्य निजी एयरलाइनों को भुगतान योग्य हवाई डाक प्रभार, डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा एजेंटों को प्रोत्साहन, नासिक और हैदराबाद में प्रतिभूति प्रेस को मुद्रण प्रभार, किराया दर और कर स्थानीय नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित (₹200 करोड़) और (ii) स्वच्छता कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु (₹4 करोड़)।	(b) For meeting expenditure (i) on air mail charges payable to Air India and other Private airlines, incentive to Postal Life Insurance/Rural Postal Life Insurance agents, printing charges to Security Press at Nasik and Hyderabad, rent, rates and taxes levied by local municipal authorities (₹200 crore) and (ii) for implementation of Swachhta Action Plan (₹4 crore).	204.00	-	204.00
(ग) स्वच्छता कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु				

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹16 करोड़) और डाकघरों में आधार नामांकन की स्थापना और केंद्रों का अद्यतन (₹200 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure for implementation of Swachhta Action Plan (₹16 crore) and for establishing Aadhaar enrolment and updation centres in Post Offices (₹200 crore).	-	216.00	216.00
<b>उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION</b>			
<b>16. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग</b>	<b>16 Department of Food and Public Distribution</b>			
(क) निम्नलिखित प्रदान करने हेतु (i) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से भारतीय खाद्य निगम (भा.ख.नि.) को दिए गए ऋण के संबंध में ब्याज देनदारी के भुगतान के लिए अतिरिक्त सब्सिडी (₹3080 करोड़) और भा.ख.नि. को खाद्य सब्सिडी (₹276.27 करोड़) (ii) चीनी मीलों को कम ब्याज पर ऋण देने के लिए ब्याज माफी (₹5.06 करोड़) (iii) सामान्य सहायता अनुदान (₹19.59 करोड़) तथा अन्य प्रभार (₹0.58 करोड़) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढीकरण स्कीम के अंतर्गत और (iv) चीनी विकास को अंतरण (₹104 करोड़)।	(a) For providing (i) additional subsidy for payment of interest liability in respect of loan granted to Food Corporation of India (FCI) from National Small Savings Fund (₹3080 crore) and food subsidy to FCI (₹276.27 crore) (ii) interest subvention for extending soft loans to Sugar Mills (₹5.06 crore) (iii) Grants-in-aid General (₹19.59 crore) and Other Charges (₹0.58 crore) under the scheme Strengthening of PDS Operations and (iv) Transfer to Sugar Development (₹104 crore).	3,480.44	-	3,480.44
(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढीकरण स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।	(b) For providing Grants-in-aid General under the scheme Strengthening of PDS Operations.	4.40	-	4.40
(ग) केंद्रीय सतर्कता आयोग के कर्मचारियों के संबंध में वेतन के बकाया का भुगतान करने के लिए।	(c) For payment of arrears of Salary in respect of employee of Central Vigilance Committee.	0.02	-	0.02
(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढीकरण स्कीम के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु।	(d) For providing additional fund towards Professional Services under the scheme Strengthening of PDS Operations.	2.15	-	2.15
<b>कारपोरेट कार्य मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS</b>			
<b>17. कारपोरेट कार्य मंत्रालय</b>	<b>17 Ministry of Corporate Affairs</b>			
निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त प्रावधान के लिए (i) कारपोरेट कार्य मंत्रालय का पुनरुद्धार (₹8 करोड़) (ii) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा आईसीएलएस अकादमी (₹0.02 करोड़) और (iii) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के लिए पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान, कार्यालय स्थान के संबंध में (₹88.40 करोड़) (iv) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹4.05 करोड़)।	For additional provision for (i) Renovation of Ministry of Corporate Affairs (₹8 crore) (ii) Indian Corporate Law Service (ICLS) Academy (₹0.02 crore) (iii) Grants for Creation of Capital Assets for Competition Commission of India (CCI) in respect of office space (₹88.40 crore) (iv) Grants-in-aid General for hosting the International Competition Network Annual Conference (₹4.05 crore).	32.79	-	32.79
<b>रक्षा मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF DEFENCE</b>			
<b>19. रक्षा मंत्रालय (विविध)</b>	<b>19 Ministry of Defence (Misc.)</b>			
तटरक्षक संगठन द्वारा जहाज, वायुयान और भूमि अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता हेतु प्रदान करना।	For providing additional requirements towards acquisition of ships, aircrafts and land by Coast Guard Organisation.	-	115.72	115.72

		(₹ करोड़ In ₹ Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>20. रक्ष सेवाएं (राजस्व)</b>	<b>20 Defence Services (Revenue)</b>			
(क) सेना के वेतन और भत्तों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure under Pay and Allowances of Army.	1,293.23	-	1,293.23
(ख) नौ सेना के वेतन और भत्तों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure under Pay and Allowances of Navy.	53.36	-	53.36
(ग) वायु सेना के वेतन और भत्तों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (₹2048.05 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure under Pay and Allowances of Air Force (₹2048.05 crore).	1,581.56	-	1,581.56
(घ) अनुसंधान और विकास के वेतन और भत्तों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(d) For meeting additional expenditure under Pay and Allowances of Research and Development.	26.51	-	26.51
<b>पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION</b>			
<b>24. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय</b>	<b>24 Ministry of Drinking Water and Sanitation</b>			
वेतन शीर्ष (₹0.25 करोड़) और कार्यालय खर्च (₹0.14 करोड़) के अंतर्गत आवश्यकता पूरी करने के लिए निधियां प्रदान करने हेतु।	For providing funds to meet the requirement under salary head (₹ 0.25 crore) and office expense (₹0.14 crore).	0.39	-	0.39
<b>वित्त मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF FINANCE</b>			
<b>33. राजस्व विभाग</b>	<b>33 Department of Revenue</b>			
स्थापना संबंधी व्यय हेतु।	For estnbvablshment related expenditure.	43.69	-	43.69
<b>35. अप्रत्यक्ष कर</b>	<b>35 Indirect Taxes</b>			
(क) सीमा शुल्क के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय हेतु।	(a) For establishment related expenditure under Customs.	250.00	-	250.00
(ख) जीएसटीएन को उन्नत प्रयोक्ता प्रभार और सूचना प्रौद्योगिकी आदि के भुगतान सहित स्थापना संबंधी व्यय हेतु।	(b) For establishment related expenditure including payment of Advance User Charges to GSTN and Information Technology etc.	960.09	-	960.09
(ग) रिहायशी आवासों की मरम्मत और रखरखाव के लिए।	(c) For repair and maintenance of residential accommodation.	0.40	-	0.40
<b>36. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग</b>	<b>36 Indian Audit and Accounts Department</b>			
वेतन (₹51.10 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹20 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹14.67 करोड़) वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure under Salaries (₹51.10 crore), Domestic Travel Expenses (₹20 crore) and Professional Services (₹14.67 crore).	74.65	-	74.65
<b>39. पेंशन</b>	<b>39 Pensions</b>			
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को विभिन्न पेंशन संबंधी लाभ के भुगतान हेतु।	(a) For payment of various pensionary benefits to judges of High Court in States and Union Territories.	95.00	-	95.00
(ख) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण पेंशन संबंधी हकदारी में	(b) For payment of increased pensionary benefits upon revision of pensionery			

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
बढ़ोत्तरी होने पर अधिक पेंशन संबंधी लाभ के भुगतान हेतु ।	entitlement on account of implementation of recommendations of 7th Central Pay Commission.	5,905.00	-	5,905.00
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	<b>MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE</b>			
<b>42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग</b>	<b>42 Department of Health and Family Welfare</b>			
(क) निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए 1. विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹358.41 करोड़) 2. विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹419.90 करोड़) 3. विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹94.18 करोड़) 4. (i) संक्रामक रोगों के लिए फ्लैक्सीबल पूल - विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय (ईएपी) (₹215 करोड़) (ii) राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम ईएपी (₹138.91 करोड़) (iii) राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य कार्यक्रम (₹3 करोड़) (iv) केंद्रीय ब्यूरो के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपोजिटरी (₹12 करोड़) (v) आपूर्तियों और सामग्रियों की खरीद (₹477.96 करोड़) और (vi) जीएफएटीएम परियोजना के अंतर्गत वैश्विक निधि को कर की देनदारी की प्रतिपूर्ति (₹222.57 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards 1. Grants in Aid Salaries under various Schemes (₹358.41 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under various Schemes (₹419.90 crore) 3. Grants in Aid General under various Schemes (₹94.18 crore) 4. (i) Flexible Pool for Communicable Diseases-Expenditure in UTs without legislature (EAP) (₹2.15 crore) (ii) National AIDS and STD Control Programme-EAP (₹138.91 crore) (iii) National Mental Health Programme (₹3 crore) (iv) National Health Resource Repository under Central Bureau (₹12 crore) (v) procurement of Supplies and Materials (₹477.96 crore) and (vi) reimbursement of Tax Liability to Global Fund under GFATM Project (GBS) (₹222.57 crore).	300.20	-	300.20
(ख) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए 1. स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली (₹2 करोड़) और (ii) अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई (₹9.75 करोड़) 2. दिनचर्या प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्सपोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, आदि सहित आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान - विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय (₹5.68 करोड़) 3. (i) दिनचर्या प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्सपोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, आदि सहित आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल स्कीम - विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय (₹0.26 करोड़) और (ii) निरोधों का सामाजिक विपणन (₹125 करोड़)	(b) For meeting expenditure towards 1. Grants in Aid Salaries under the schemes (i) National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (₹2 crore) and (ii) International Institute for Population Sciences, Mumbai (₹9.75 crore) 2. Grants-in-Aid General under the scheme RCH Flexible Pool including Routine Immunisation programme, Pulse polio Immunisation Programme, etc.- Expenditure in UTs without legislature (EAP) (₹5.68 crore) 3. (i) RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse polio Immunisation Programme, etc.- Expenditure in UTs without legislature (EAP) (₹0.26 crore) and (ii) Social Marketing of Contraceptives (₹125 crore).	5.94	-	5.94
(ग) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए 1. विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन ₹ 148.89 करोड़) 2. विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता अनुदान (₹ 444.67 करोड़) 3. विभिन्न	(c) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-Aid Salaries under various Schemes (₹148.89 crore) 2. Grants-in-Aid General under various Schemes (₹444.67			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
स्कीमों के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 90 करोड़) 4. (i) केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (₹ 6 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय एडस और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम-ईएपी (₹15.40 करोड़)।	crore) 3. Grants for Creation of Capital Assets under various Schemes (₹90 crore) 4. (i) Central Government Health Scheme (₹6 crore) and (ii) National AIDS and STD Control Programme-EAP (₹15.40 crore).	354.07	-	354.07
(घ) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) दिनचर्या प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्सपोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल (जीबीएस) (₹358 करोड़), (ईएपी- ₹ 2012.19 करोड़) (ii) संक्रामक रोगों के लिए फ्लैक्सीबल पूल ईएपी (₹ 1017.89 करोड़)।	(d) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the Schemes (i) RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio immunization Programme, etc.(GBS) (₹358 crore), (EAP- ₹2012.19 crore) and (ii) Flexible Pool for Communicable Diseases EAP-(₹1017.89 crore).	3,030.08	-	3,030.08
(ङ) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) दिनचर्या प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्सपोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, आदि सहित आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल ईएपी (₹ 24.05 करोड़) और (ii) संक्रामक रोगों के लिए फ्लैक्सीबल पूल ईएपी (₹ 13 करोड़)।	(e) For meeting expenditure towards Grant-in-Aid General under the Schemes (i) RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio immunization Programme, etc. EAP (₹24.05 crore) and (ii) Flexible Pool for Communicable Diseases-EAP-(₹13 crore).	37.05	-	37.05
(च) निम्नलिखित का व्यय पूरा करना:- (i) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के लिए (मशीनरी और उपकरण (₹ 347 करोड़) और मुख्य निर्माण कार्य (₹ 65 करोड़) तथा (ii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एस.के. अस्पताल के लिए-मोटरगाड़ी (₹ 0.15 करोड़) और मुख्य निर्माण कार्य (₹0.31 करोड़)।	(f) For meeting Expenditure towards (i) Machinery and Equipment-(₹347 crore) and Major Works (₹65 crore) for Safdarjang Hospital, New Delhi and (ii) Motor Vehicle (₹0.15 crore) and Major Works (₹0.31 crore) for Lady Hardinge Medical College & SK Hospital.	-	271.00	271.00
<b>43. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग</b> निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करना 1. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद हेतु सहायता अनुदान वेतन (₹70 करोड़) 2. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹90 करोड़) और 3. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में आंतरिक भित्ति और बाह्य भित्ति अनुसंधान क्रियाकलापों/परियोजनाओं के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹103.60 करोड़) और 4. स्कीमों के अंतर्गत (i) अंतरक्षेत्रीय समाभिरूपता और स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी बढ़ावा तथा दिशानिर्देश के लिए समन्वयन (₹10 करोड़) (ii) अनुसंधान अभिशासन संबंधी बढ़ावा तथा दिशानिर्देश (₹1 करोड़) (iii) स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण (₹6 करोड़) (iv) महामारी तथा राष्ट्रीय आपदाओं के प्रबंधन हेतु प्रयोगशालाओं के नेटवर्क की स्थापना (₹10 करोड़) (v) चिकित्सा कॉलेजों में बहुआयामी अनुसंधान यूनिटों की स्थापना में शामिल स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा, समन्वयन और विकास	<b>43 Department of Health Research</b> For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid Salary to Indian Council of Medical Research (ICMR) (₹70 crore), 2. Grants for Creation of Capital Assets to Indian Council of Medical Research (ICMR) (₹90 crore) and 3. Grants-in-aid General for funding of intra mural and extra mural research activities/projects at Indian Council of Medical Research (ICMR) (₹103.60 crore) and 4. Under the schemes (i) Inter-Sectoral Convergence & Coordination for Promotion & Guidance on Health Research (₹10 crore), (ii) Promotion and Guidance on Research Governance (₹1 crore), (iii) Training for Human Resource Development for Health Research (₹6 crore), (iv) Establishment of Network of Laboratories for Managing Epidemics and National Calamities (₹10 crore), (v) Promotion,			

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(₹9 करोड़) (vi) राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान यूनिटों की स्थापना (₹2 करोड़) और (vii) महामारी फैलने को रोकने के लिए साधनों का विकास (₹2 करोड़)।	Coordination & Development of Health Research involving establishment of Multi-Disciplinary Research Units in Medical Colleges (₹9 crore), (vi) Establishment of Rural Health Research Units in States (₹2 crore) and (vii) Development of Tool to Prevent outbreaks of Epidemics (₹2 crore).	243.39	-	243.39
<b>गृह मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HOME AFFAIRS</b>			
<b>47 मंत्रिमंडल</b>	<b>47 Cabinet</b>			
(क) इनके व्यय को पूरा करने के लिए (i) प्रधानमंत्री वायुयान रखरखाव (अन्य प्रभार) (₹150 करोड़) (ii) मंत्रिमंडल सचिवालय, आईटी (₹0.81 करोड़) और डीबीटी मिशन (₹12.65 करोड़) (iii) प्रो. वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़) (iv) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय कार्यालय व्यय और प्रधानमंत्री का कार्यालय (₹ 5 करोड़) और गुप्त सेवा व्यय (₹ 1.25 करोड़) और (v) प्रधानमंत्री का कार्यालय को सामान्य सहायता अनुदान (₹1.87 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) PM's Aircraft Maintenance (Other Charges) (₹150 crore) (ii) Cabinet Secretariat (IT) (₹0.81 crore) and DBT Mission (₹12.65 crore) (iii) Grants-in-aid General to office of the Pr. Scientific Advisor (₹10 crore) (iv) Office Expenses to National Security Council Secretariat and Prime Minister's Office (₹5 crore) and Secret Service Expenditure (₹1.25 crore) and (v) Grants-in-aid General to Prime Minister's Office (₹1.87 crore).	19.93	-	19.93
(ख) अन्य प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत राष्ट्रपति सचिवालय के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure for President's Secretariat under Other Administrative Expenditure.	0.07	-	0.07
<b>48. पुलिस</b>	<b>48 Police</b>			
(क) निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करने के लिए (i) सीएपीएफ और केंद्रीय पुलिस संगठन तथा अन्य पुलिस संबंधी संगठनों के वेतन पर (₹5200 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹23.60 करोड़), अन्य प्रभार (₹20.43 करोड़), पीओएल (₹13.38 करोड़), डीटीई (₹90 करोड़), कपड़े और टैटेज (₹12 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹0.26 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹13 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹10.33 करोड़) और (ii) बामपंथी-चरमपंथी प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (सामान्य सहायता अनुदान) (₹50 करोड़), सीसीटीएनएस-विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹8.50 करोड़), ई-कारावास का क्रियान्वयन- विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2 करोड़), संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम (विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों को सामान्य सहायता अनुदान-ए एंड एन प्रशासन (₹10.35 करोड़), केंद्रीय पुलिस संगठन को कल्याण अनुदान-सामान्य सहायता अनुदान (₹20 करोड़), क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेजों का उत्पादन (व्यावसायिक सेवाएं) (₹18.88 करोड़), अन्य सरकारों/विभागों को प्रदत्त प्रभार	(a) For meeting expenditure for (i) CAPFs and Central Police Organisations and other police related organisations on Salaries (₹5200 crore), Minor Works (₹23.60 crore), Other Charges (₹20.43 crore), POL (₹13.38 crore), DTE (₹90 crore), Clothing & Tentage (₹12 crore), Grants-in-aid General (₹0.26 crore), Supplies & Materials (₹13 crore) and Professional Services (₹10.33 crore) and (ii) Assistance to Central Agencies for Left Wing Extremist Management (Grants in aid General) (₹50 crore), Crime and Criminal Tracking Network System(CCTNS)-grants for Creation of Capital Assets to UTs without legislature (₹8.50 crore), Implementation of e-Prisons-Grants for Creation of Capital Assets to UTs without legislature (₹2 crore), Police Modernisation Scheme for UTs (Grants-in-aid General to UTs without legislature-A&N Administration (₹10.35 crore), Welfare Grants to Central Police Organisations GIA-General (₹20crore), Production of cryptographic documents			

		(₹ करोड़ In ₹ Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(व्यवसायिक सेवाएं) (₹30 करोड़) और सीमा जांच चौकी (व्यवसायिक सेवाएं) (₹20 करोड़)।	(Professional Services) (₹18.88 crore), Charges paid to other Governments/ Departments (Professional Services) (₹30 crore) and Border Check Posts (Professional Services) (₹20 crore).	3,982.85	-	3982.85
(ख) निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करने के लिए (i) सीसीटीएनएस- पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹220 करोड़), (ii) ई-कारावास का क्रियान्वयन- पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹28 करोड़) (iii) गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹135 करोड़) (iv) पुलिस अवसंरचना के उन्नयन हेतु विशेष परियोजनाओं/स्कीमों के लिए राज्यों को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु सहायता (₹62 करोड़) और (v) 35 सबसे अधिक बामपंथी-चरमपंथी प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹175 करोड़)।	(b) For meeting expenditure for (i) CCTNS- Grants for Creation of Capital Assets (₹220 crore) (ii) Implementation of e-Prisons- Grants for Creation of Capital Assets (₹28 crore) (iii) Grants for Creation of Capital Assets for Gorkhaland Territorial Administration (₹135 crore) (iv) Grants for Creation of Capital Assets for Assitance to States for Special Projects/Schemes for upgrading Police Infrastructure (₹62 crore) and (vi) Grants in-aid General for Special Central Assistance for 35 worst Left Wing Extremist (LWE) affected Districts (₹175 crore).	310.00	-	310.00
<b>49. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह</b>	<b>49 Andaman and Nicobar Islands</b>			
(क) कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी पर होने वाले खर्च को वहन करने के लिए यू टी जी एस टी के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल को चुंगी कर से प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त राशि हेतु।	(a) For providing additional funds towards compensation for loss of revenue of the Port Blair Municipal Council (PBMC) from octroi in view of implementation of UTGST to meet the salary/wages of the employees.	100.00	-	100.00
(ख) पोतों की खरीद के लिए भुगतान हेतु अतिरिक्त निधियां देने के लिए।	(b) For providing additional funds for payment towards acquisition of vessels.	-	416.00	416.00
<b>50 चंडीगढ़</b>	<b>50 Chandigarh</b>			
(क) होम गार्डों के संबंध में बकाया के लिए निधियां देने हेतु।	(a) For providing funds towards arrears in respect of Home Guards.	62.77	-	62.77
(ख) न्यायालय के निर्णय के कारण भू-स्वामियों को बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए।	(b) For making payment of enhanced compensation to land owners as per Court decision.	-	317.58	317.58
<b>मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT</b>			
<b>57 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग</b>	<b>57 Department of School Education and Literacy</b>			
निम्नलिखित प्रदान करने हेतु 1. स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (i) केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) (₹300.53 करोड़), (ii) नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) (₹325 करोड़) (iii) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (₹18.94 करोड़) (iv) केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (₹4.62 करोड़) (v) राष्ट्रीय बाल भवन (₹0.91 करोड़)। 2. स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) (₹751.49 करोड़) (ii) नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)	For providing 1. Grants-in Aid-Salaries under the scheme (i) Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹300.53 crore) (ii) Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) (₹325 crore) (iii) National Council of Educational Research and Training (NCERT) (₹18.94 crore) (iv) Central Tibetan Schools Administration (CTSA) (₹4.62 crore), (v) National Bal Bhawan (₹0.91 crore) 2. Grant in aid General under the scheme (i)			

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(₹687.16 करोड़), (iii) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (₹42.27 करोड़) (iv) केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (₹11.17 करोड़) (v) राष्ट्रीय बाल भवन (₹1.74 करोड़) और (vi) सुलभता तथा इक्विटी (₹0.36 करोड़) 3. स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) (₹290 करोड़), (ii) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (₹7.49 करोड़) (iii) केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (₹13 करोड़) (iv) सर्वशिक्षा अभियान (₹2.44 करोड़) 4. राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (₹273.46 करोड़) 5. स्कीम के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं(त) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (₹2.93 करोड़) और (ii) सर्वशिक्षा अभियान (₹12 करोड़) ।	Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹751.49 crore) (ii) Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) (₹687.16 crore) (iii) National Council of Educational Research and Training (NCERT) (₹42.27 crore) (iv) Central Tibetan Schools Administration (CTSA) (₹11.17 crore), (v) National Bal Bhawan (₹1.74 crore) and (vi) Access & Equity (₹0.36 crore) 3. Grant for creation Capital Assets under the scheme (i) Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹290 crore) (ii) National Council of Educational Research and Training (NCERT) (₹7.49 crore) (iii) Central Tibetan Schools Administration (CTSA) (₹13 crore) (iv) Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (₹2.44 crore) 4. Scholarship/Stipends under the scheme National Means Cum Merit Scholarship Scheme (₹273.46 crore) 5. Professional Services under the Scheme of (i) Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) (₹ 2.93 crore) and (ii) Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (₹12 crore).	650.00	-	650.00
<b>58 उच्चतर शिक्षा विभाग</b> (क) सामान्य शिक्षा की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹41.57 करोड़), पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹39 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹809.94 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने हेतु।  (ख) तकनीकी शिक्षा की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹240.38 करोड़), पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹48.30 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹655.82 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने हेतु।  (ग) शीर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹65 करोड़), पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹40 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹276 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	<b>58 Department of Higher Education</b> (a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹41.57 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹39 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹809.94 crore) under various schemes of General Education.  (b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹240.38 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹48.30 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹655.82 crore) under various schemes of Technical Education.  (c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹65 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹40 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹276 crore) under various schemes under head North Eastern Areas	708.94	-	708.94
<b>विधि और न्याय मंत्रालय</b> <b>61 विधि और न्याय</b> मशीनरी और उपस्कर के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम) तथा (वी.वी.पी.ए.टी.) की खरीद के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना।	<b>MINISTRY OF LAW AND JUSTICE</b> <b>61 Law and Justice</b> For meeting additional requirement under Machinery and Equipment for purchase of Electronic Voting Machines (EVMs) and Voter Verifiable Paper Audit Trials (VVPATs).	-	46.26	46.26

		(₹ करोड़ In ₹ Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>62. निर्वाचन आयोग</b> (क) स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने के लिए।	<b>62 Election Commission</b> (a) For meeting establishment related expenditure.	5.00	-	5.00
(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से जमीन की खरीद पर व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure on purchase of land from Delhi Development Authority (DDA).	-	38.79	38.79
<b>63. भारत का उच्चतम न्यायालय</b> निम्नलिखित के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (i) कार्यालय व्यय (₹15.06 करोड़ रु) (ii) चिकित्सा खर्च (₹1 करोड़ रु) (iii) व्यावसायिक सेवाएं (₹7.50 करोड़ रु)।	<b>63 Supreme Court of India</b> For meeting additional requirement under (i) Office Expenses (₹15.06 crore) (ii) Medical Expenses (₹1 crore) and (iii) Professional Services (₹7.50 crore)	8.00	-	8.00
<b>संसदीय कार्य मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS</b>			
<b>69. संसदीय कार्य मंत्रालय</b> सभी राज्यों/विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों में ई-विधान शुरू करने की प्रक्रिया के पहल के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	<b>69 Ministry of Parliamentary Affairs</b> For meeting additional expenditure for initiating the process of rolling out of e-Vidhan in all the States/UTs with Legislature.	0.50	-	0.50
<b>कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS</b>			
<b>70. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय</b> कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) में व्यावसायिक सेवाओं के लिए व्यय पूरा करने के लिए (₹152.13 करोड़)।	<b>70 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions</b> For meeting expenditure towards Professional Services in Staff Selection Commission (₹152.13 crore).	137.00	-	137.00
<b>71. केंद्रीय सतर्कता आयोग</b> स्थापना संबंधी व्यय के लिए निधियां प्रदान करना।	<b>71 Central Vigilance Commission</b> For providing funds towards establishment related expenditure.	3.35	-	3.35
<b>योजना मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF PLANNING</b>			
<b>73. योजना मंत्रालय</b> निम्नलिखित के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करना (i) स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोग सहित अटल नवोन्मेष मिशन (₹38 करोड़), और यूएनडीपी सहायता प्राप्त परियोजना 'विकेन्द्रीकृत आयोजना के लिए क्षमता सुदृढीकरण' (₹0.08 करोड़)।	<b>73 Ministry of Planning</b> For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under (i) Atal Innovation Mission (AIM) including Self Employment and Talent Utilization (SETU) (₹38 crore) and (ii) UNDP assisted project "Strengthening Capacities for Decentralized Planning" (₹0.08 crore).	27.26	-	27.26
<b>विद्युत मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF POWER</b>			
<b>74. विद्युत मंत्रालय</b> निम्नलिखित प्रदान करने हेतु: दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्कीम के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के लिए (i) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 1451.25 करोड़), सब्सिडियां (₹ 60 करोड़) और अन्य प्रभार (₹38.75 करोड़) और (ii) एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों	<b>74 Ministry of Power</b> For providing (i) Grants for creation of Capital Assets (₹1451.25 crore), Subsidies (₹60 crore) and other charges (₹38.75 crore) for 'Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana' (Saubhagya) under the scheme 'Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana' (DDUGJY) and (ii) Grants for			

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<p>के सृजन के लिए अनुदान (₹ 437.75 करोड़), सब्सिडियां (₹ 10 करोड़) और अन्य प्रभार (₹2.25 करोड़) (iii) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य में ट्रांसमिशन सिस्टम का सुदृढीकरण स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 93.50 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹ 13.50 करोड़) (iv) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रणाली में सुधार स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए (₹ 81 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹ 22.50 करोड़) (v) भारत सरकार के पूर्ण शोधित बांड पर ब्याज के भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 26.39 करोड़) (vi) विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण स्कीम के अन्तर्गत निधियां (₹ 5.41 करोड़) (vii) जे एण्ड के पीएमडीपी 2015 के अन्तर्गत पाकुल डल हेप के लिए केंद्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 100 करोड़) (viii) दीनदायल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए (₹ 566 करोड़) और अन्य व्यय (₹ 20 करोड़) (ix) ₹राष्ट्रीय विद्युत निधि को ब्याज सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां (एनईएफ) (₹ 65 करोड़) और (x) विद्युत प्रणाली विकास स्कीम के अन्तर्गत विद्युत प्रणाली विकास निधि को निधियों का अन्तरण पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए (₹ 272.21 करोड़) और व्यावसायिक प्रभार (₹ 0.20 करोड़) के लिए अनुदान पीएसडीएफ से पूरे किए जाएंगे। (xi) विद्युत प्रणाली विकास स्कीम के अन्तर्गत विद्युत प्रणाली विकास निधि को निधियों का अन्तरण पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए (₹ 272.21 करोड़) और व्यावसायिक प्रभार (₹ 0.20 करोड़) के लिए अनुदान पीएसडीएफ से पूरे किए जाएंगे।</p>	<p>creation of Capital Assets (₹437.75 crore), Subsidies (₹10 crore) and other charges (₹2.25 crore) under the schemes 'Integrated Power Development Scheme' (IPDS) (iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹93.50 crore) and Professional Services (₹13.50 crore) under the scheme 'Strengthening of Transmission System in the State of Arunachal Pradesh and Sikkim' (iv) Grants for Creation of Capital Assets (₹81 crore) and professional services (₹22.50 crore) under the scheme Power System Improvement in North Eastern States excluding Arunachal Pradesh and Sikkim (v) Grants in Aid General for payment of interest on Government of India fully serviced bond (₹26.39 crore) (vi) funds under the scheme Appellate Tribunal for Electricity (APTEL) (₹5.41 crore) (vii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme Central assistance for Pakul Dul HEP under J and K PMDP 2015 (₹100 crore) (viii) Grants for creation of Capital Assets (₹566 crore) and other expenditure (₹20 crore) under the scheme Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY) (ix) additional funds under the scheme 'Interest subsidy to National Electricity Fund' (NEF) (₹65 crore) (x) funds to Power System Development Fund (PSDF) provide Grant for Creation of Capital Assets (₹272.21 crore) and professional charges (₹0.20 crore) under the scheme for Power System Development to be met from PSDF (xi) Grant for Creation of Capital Assets (₹272.21 crore) and professional charges (₹0.20 crore) for Power System Development Fund (PSDF) under the scheme for Power System Development to be met from PSDF.</p>	1,033.79	-	1033.79
<p>राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय</p>	<p>THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT</p>			
<p>78. उप-राष्ट्रपति का सचिवालय वाहन की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (₹ 1.33 करोड़)।</p>	<p>78 Secretariat of the Vice-President For meeting the additional expenditure towards purchase of vehicle (₹1.33 crore).</p>	1.28	-	1.28
<p>79. संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा और चयन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (₹ 13 करोड़)</p>	<p>79 Union Public Service Commission For meeting additional expenditure towards Examination and Selections (₹13 crore).</p>	12.11	-	12.11

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT</b>			
<b>82. ग्रामीण विकास विभाग</b> निम्नलिखित प्रदान करने हेतु (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अंतरण के लिए अतिरिक्त निधि (₹ 4800 करोड़) और (ii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4800 करोड़)।	<b>82 Department of Rural Development</b> For providing (i) additional fund for transferring to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee scheme (₹4800 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (₹4800 crore).	3,594.57	-	3594.57
<b>विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY</b>			
<b>85. जैव प्रौद्योगिकी विभाग</b> निम्नलिखित का व्यय पूरा करना (i). जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 42.48 करोड़) (ii) औद्योगिक और उद्यमिता विकास को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 50 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 10.05 करोड़) (iii) स्वायत्त संस्थाओं के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 16 करोड़) और (iv) बायोफार्मा मिशन (ईएपी) (₹ 0.01 करोड़)।	<b>85 Department of Biotechnology</b> For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General for Biotechnology Research & Development (₹42.48 crore) (ii) Grants-in-aid General (₹50 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹10.05 crore) to Industrial and Entrepreneurship Development (iii) Grants for Creation of Capital Assets for Autonomous Institution (₹16 crore) and (iv) Biopharma Mission (EAP) (₹0.01 crore).	38.00	-	38.00
<b>अंतरिक्ष विभाग</b>	<b>DEPARTMENT OF SPACE</b>			
<b>91. अंतरिक्ष विभाग</b> व्यय को पूरा करने के लिए 1. सामान्य सहायता अनुदान (i) इसरो उपग्रह केन्द्र (₹ 2.38 करोड़) (ii) सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी (₹ 127.91 करोड़), (iii) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 3.32 करोड़) 2. सहायता अनुदान वेतन (i) सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी (₹ 9.91 करोड़) (ii) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 3.56 करोड़), (iii) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 0.20 करोड़) 3. पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (i) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 6.18 करोड़), (ii) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 24.94 करोड़)।	<b>91 Department of Space</b> For meeting expenditure towards 1. Grants in Aid General for (i) ISRO Satellite Centre (ISAC) (₹2.38 crore) (ii) Semi Conductor Laboratory (SCL) (₹127.91 crore), (iii) Indian Institute of Space Science & Technology (IIST) (₹3.32 crore) 2. Grants in aid Salaries (i) Semi Conductor Laboratory (SCL) (₹9.91 crore), (ii) Physical Research Laboratory (PRL) (₹3.56 crore), (iii) National Atmospheric Research Laboratory (₹0.20 crore) 3. Grants for Creation of Capital Assets for (i) Indian Institute of Space Science & Technology (IIST) (₹6.18 crore), (ii) Physical Research Laboratory (PRL) (₹24.94 crore).	61.78	-	61.78
<b>कपड़ा मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF TEXTILES</b>			
<b>94. कपड़ा मंत्रालय</b> निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (i) भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद (₹ 500 करोड़) (ii) स्वच्छता कार्य योजना (कपड़ा समिति को सहायता) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु (₹ 0.50 करोड़) (iii) कपड़ा समिति को सहायता के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन हेतु (₹ 8.44 करोड़) और भारतीय जूट उद्योग	<b>94 Ministry of Textiles</b> For meeting additional requirement towards (i) procurement of cotton by Cotton Corporation of India (₹500 crore) (ii) Grants-in-Aid General under Swachhta Action plan (Assistance to Textiles Committee) (₹0.50 crore) (iii) Grants-in-aid Salaries under Assistance to Textile			

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अनुसंधान संघ को (₹ 1 करोड़) (iv) सहायता अनुदान वेतन (₹8 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹23.90 करोड़) और जूट पर उपकर संग्रहण के लिए जूट विनिर्माण विकास परिषद को भुगतान के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 12 करोड़)।	Committee (₹8.44 crore) and Indian Jute Industry Research Association (₹1crore) (iv) Grants-in-Aid salaries (₹8 crore), Grants-in-Aid General (₹23.90 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹12 crore) under Payment to Development Council for Jute Manufacture against collection of Cess on Jute.	24.23	-	24.23
<b>जनजातीय कार्य मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS</b>			
<b>96. जनजातीय कार्य मंत्रालय</b>	<b>96 Ministry of Tribal Affairs</b>			
(क) सचिवालय के वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure towards Salaries for Secretariat.	2.00	-	2.00
(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting the additional expenditure towards Salaries for National Commission for Scheduled Tribes (NCST).	1.00	-	1.00
<b>शहरी विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT</b>			
<b>97. शहरी विकास मंत्रालय</b>	<b>97 Ministry of Urban Development</b>			
(क) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) चिकित्सा (₹ 2 करोड़) (ii) डीटीई (₹ 3 करोड़) (iii) सरकारी भवनों के रख-रखाव के लिए लघु निर्माण कार्य (₹ 10 करोड़) और (iv) समाधियों के रख-रखाव हेतु पेशेवर सेवाएं (₹ 5 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Medical (₹2crore), (ii) DTE (₹3 crore), (iii) Minor works for maintenance work of Government office buildings (₹10 crore) and (iv) Professional Services for maintenance of Samadhis (₹5 crore).	20.00	-	20.00
(ख) निम्नलिखित के अंतर्गत व्यय पूरा करने हेतु (i) रिहायशी सरकारी आवासों और संसदीय आवास की मरम्मत और रख-रखाव के लिए लघु निर्माण कार्य (₹ 15 करोड़) और (ii) सरकारी आवासीय भवनों के स्थानीय निकायों की देनदारियों का निपटान करने के लिए किराया, दर और कर (आरआरटी) (₹ 15 करोड़)।	(b) For meeting expenditure under (i) Minor Works for maintenance and repairs of Government Residential Accommodations and Parliamentary Residences (₹15 crore) and (ii) Rent, Rates & Taxes to clear the dues of local bodies for Government Residential buildings (₹15 crore).	30.00	-	30.00
(ग) (i) उच्चतम न्यायालय, संसदीय सौंध और वित्त (राजस्व), बांद्रा-कुर्ला परियोजना और लेखापरीक्षा के कार्यालय भवन की चालू परियोजना (₹46 करोड़) और (ii) आपूर्ति, स्थापना तथा चालू करने के नए कार्य (₹6.05 करोड़) के व्यय पूरा करना।	(c) For meeting expenditure for (i) ongoing project of Supreme Court, Parliament House Annexe and Finance (Revenue), Bandra Kurla Project and Office Building of Audit (₹46 crore) and (ii) New works for supply, installation and commissioning (₹6.05 crore).	-	46.00	46.00
(घ) वेस्टर्न कोर्ट परियोजनाएं और मुंबई, लखनऊ, रायपुर, नई दिल्ली और तेलंगाना स्थित विभिन्न भवनों, महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, त्रिवेंद्रम हेतु नए निर्माण कार्य के लिए मुख्य निर्माण कार्य हेतु व्यय पूरा करना।	(d) For meeting expenditure towards Major Works for Western Court Projects and various buildings situated at Mumbai, Lucknow, Raipur, New Delhi and Telangana, new works for Regional Vocational Training Institutes of Women at Trivendrum.	-	40.00	40.00
<b>कुल नकद व्यय</b>	<b>Total Cash Outgo</b>	<b>31,506.92</b>	<b>1,873.07</b>	<b>33,379.99</b>

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
3. पूरक अनुदानों की मांगों के इस बैच में ₹32732.05 करोड़ के लिए तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के लिए प्रस्ताव शामिल हैं, जिसे अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या मंत्रालयों/विभागों की तदनुसूची बचतों द्वारा समतुल्य किया गया है। मदें निम्नानुसार हैं :	3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹32732.05 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:			

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>तकनीकी पूरक मांग अनुदान</b> <b>परमाणु ऊर्जा विभाग</b>	<b>Technical Supplementary Demands for grants</b> <b>DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY</b>			
<b>4. परमाणु ऊर्जा</b> 7वें केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करने के कारण संशोधित भत्तों एवं बकायों के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (₹ 80.26 करोड़) (ii) विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (₹ 10.01 करोड़) (iii) भारी जल संयंत्र (₹ 3.28 करोड़) (iv) प्रबंधन सेवा समूह (₹ 0.08 करोड़) (v) नाभिकीय ईंधन परिसर (₹ 93.53 करोड़) (vi) नाभिकीय पुनर्चक्रण बोर्ड (₹ 47.02 करोड़) (ii) बीएआरसी के ओएण्डएम व्यय (₹ 2.65 करोड़) नाभिकीय पुनर्चक्रण बोर्ड (₹ 0.18 करोड़), नाभिकीय ईंधन परिसर (₹ 224.44 करोड़) और (iii) नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सहायता अनुदान (₹ 20 करोड़)।	<b>4 Atomic Energy</b> For meeting additional expenditure towards payment of revised allowances and arrears due to implementation of 7th Central Pay Commission of (I) (i) Bhabha Atomic Research Centre (BARC) (₹80.26 crore) (ii) Board of Radiation and Isotope Technology (₹10.01 crore) (iii) Heavy Water Plants (₹3.28 crore) (iv) Management Services Group (₹0.08 crore) (v) Nuclear Fuel Complex (₹93.53 crore) (vi) Nuclear Recycle Board (₹47.02 crore) (II) O&M expenditure of BARC (₹2.65 crore), Nuclear Recycle Board (₹0.18 crore), Nuclear Fuel Complex (₹224.44 crore) and (III) Grant in aid to Electronics Corporation of India Limited to undertake development of new projects (₹20 crore).	218.23	-	218.23
<b>रसायन और उर्वरक मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS</b>			
<b>7. उर्वरक विभाग</b> यूरिया भाड़ा सब्सिडी की देनदारियों का भुगतान करने के लिए व्यय हेतु (₹2000 करोड़) और 2. तीन उर्वरक के सार्वजनिक क्षेत्र के यूनितों के संबंध में ऋण और ब्याज को बट्टे खाते डालने हेतु (i) भारतीय उर्वरक निगम लि. (10643.75 करोड़) (ii) हिंदुस्तान उर्वरक निगम लि. (9079.49 करोड़) और (iii) ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लि. (809.26 करोड़)।	<b>7 Department of Fertilisers</b> For 1. meeting expenditure to clear liabilities towards Urea Freight Subsidy (₹2000 crore) and 2. writing off the loan and waiver of interest in respect of three Fertilisers' Public Sector Undertakings (i) Fertiliser Corporation of India Limited (₹10643.75 crore) (ii) Hindustan Fertilisers Corporation Ltd. (₹9079.49 crore) and (iii) Brahmaputra Valley Fertiliser Corporation Ltd. (₹809.26 crore).	20,532.50	-	20,532.50
<b>नागर विमानन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CIVIL AVIATION</b>			
<b>9. नागर विमानन मंत्रालय</b> (क) वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त निधि प्रदान कराना (₹ 1.30 करोड़), विज्ञापन एवं प्रचार (₹0.90 करोड़), सूचना प्रौद्योगिकी - कार्यालय व्यय (₹ 1.85 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹0.40 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹0.70 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 0.30 करोड़)।	<b>9 Ministry of Civil Aviation</b> (a) For providing additional funds under Salary (₹1.30 crore), Advertising & Publicity (₹0.90 crore), Information Technology-Office Expenses (₹1.85 crore), Foreign Travel Expense (₹0.40 crore), Domestic Travel Expenses (₹0.70 crore), Office Expenses (₹0.30 crore).	5.45	-	5.45

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) विशेष कार्य के लिए सब्सिडी योजना के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना (₹ 25 करोड़)।	(b) For providing additional subsidy under the scheme subsidy for Special Operation (₹25 crore).	16.76	-	16.76
(ग) निम्नलिखित के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (i) वेतन (₹ 1.94 करोड़), किराया, दरें और कर (₹ 7.46 करोड़), व्यावसायिक सेवा (₹ 2.01 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹0.80 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 1.18 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 10.07 करोड़), चिकित्सा व्यय (₹ 0.26 करोड़) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 1.28 करोड़)। (ii) पैक्योंग विमान पत्तन तैयार करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹49.93 करोड़) और (iii) विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7 करोड़)।	(c) For meeting additional requirement under (i) Salary (₹1.94 crore), Rent, Rates & Taxes (₹7.46 crore), Professional Service (₹2.01 crore), Foreign Travel Expenses (₹0.80 crore), Domestic Travel Expenses (₹1.18 crore), Office Expenses (₹10.07 crore), Medical Expenses (₹0.26 crore) and Other Administrative Expenses (₹1.28 crore) (ii) Grants for creation of Capital asset to Airports Authority of India for development of Pakyong Airport (₹49.93 crore) and (iii) Grants-in-aid-General to Airports Economic Regulatory Authority (₹7 crore).	54.77	-	54.77
<b>संचार मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF COMMUNICATIONS</b>			
<b>14. दूरसंचार विभाग</b>	<b>14 Department of Telecommunications</b>			
देसी 5 जी टेस्ट बेड स्थापित करने के लिए निधियां प्रदान करने हेतु।	For providing funds towards setting up of indigenous 5G Test Bed.	-	35.00	35.00
<b>उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION</b>			
<b>15. उपभोक्ता मामले विभाग</b>	<b>15 Department of Consumer Affairs</b>			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र शीर्ष के अंतर्गत बाट तथा माप के सुदृढीकरण की स्कीम के तहत मशीनरी और उपकरण' के लिए निधियां प्रदान करना।	(a) For providing funds for Machinery and Equipment under the scheme Strengthening of Weights and Measures under the head North Eastern Areas.	-	1.35	1.35
(ख) बाट तथा माप के सुदृढीकरण की स्कीम के तहत 'मशीनरी और उपकरण' के लिए निधियां प्रदान करना।	(b) For providing funds for Machinery and Equipment under the scheme Strengthening of Weights and Measures.	-	7.15	7.15
<b>कारपोरेट कार्य मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS</b>			
<b>17. कारपोरेट कार्य मंत्रालय</b>	<b>17 Ministry of Corporate Affairs</b>			
निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त प्रावधान (i) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पुनरुद्धार हेतु (₹ 8 करोड़)। (ii) भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा अकादमी' (₹0.02 करोड़) और (iii) भारतीय प्रतियोगिता आयोग के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु कार्यालय स्थल के संबंध में अनुदान (₹ 88.40 करोड़) (ii) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नेटवर्क (आईसीएन) के वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.05 करोड़)।	For additional provision for (i) renovation of Ministry of Corporate Affairs (₹8 crore) (ii) Indian Corporate Law Service Academy (₹0.02 crore) and (iii) Grants for Creation of Capital Assets for Competition Commission of India (CCI) in respect of Office space (₹88.40 crore) (ii) Grants-in-aid General for hosting the International Competition Network Annual Conference (₹4.05 crore).	8.00	-	8.00

		(₹ करोड़ In ₹ Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>रक्षा मंत्रालय</b>				
<b>19. रक्षा मंत्रालय (विविध)</b>	<b>19 Ministry of Defence (Misc.)</b>			
तट रक्षक संगठन द्वारा जहाज, वायुयान और भूमि की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु।	For providing additional requirement towards acquisition of ships, aircrafts and land by Coast Guard Organisation.	-	384.28	384.28
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय</b>				
<b>23. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय</b>	<b>23 Ministry of Development of North Eastern Region</b>			
निम्नलिखित प्रदान करने हेतु (i) विश्व बैंक सहायता के साथ पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹65 करोड़) (ii) बिक्री सब्सिडीयों की लंबित देनदारी को चुकाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विपणन निगम लि. को भूगतान करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि बागवानी उत्पादों में विपणन सहायता नामक पूर्वोत्तर परिषद स्कीम के अन्तर्गत (₹8.66 करोड़)।	For providing (i) Grants-in-aid General under the scheme North Eastern Rural Livelihood Project with World Bank Assistance (NERLP) (₹65 crore) (ii) additional funds under the scheme North East Council namely Marketing Support to Agri-horti produces in NE Region for making payment to North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited (NERAMAC) for clearing the pending liability of sales subsidy (₹8.66 crore).	65.00	-	65.00
<b>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय</b>				
<b>27. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय</b>	<b>27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change</b>			
(क) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु 1. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.90 करोड़), पूंजी अस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.20 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 1.30 करोड़) 2. भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.25 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹ 4.25 करोड़) 3. भारतीय प्लाइवूड उद्यम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.56 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹ 0.84 करोड़) 4. सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय वन्यजीव संस्थान (₹ 5.67 करोड़) (ii) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (₹3.75 करोड़) (iii) पशु कल्याण बोर्ड (₹ 1 करोड़) और (iv) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (₹ 4.75 करोड़) और 5. इको-टास्क फोर्स के लिए अन्य संविदागत सेवाएं (₹ 164 करोड़) 6. अंडमान एवं निकोबार द्वीप वनरोपण विकास निगम के तहत बकाया भारत सरकार ऋण का बट्टा खाता (₹186.83 करोड़) और प्रोद्भूत ब्याज (₹ 185.18 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General (₹0.90 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹0.20 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹1.30 crore) to Indian Institute of Forest Management 2. Grants-in-aid General (₹6.25 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹4.25 crore) to Indian Council of Forestry Research and Education 3. Grants-in-aid General (₹0.56 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹0.84 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹0.85 crore) to Indian Plywood Industries Research and Training Institute 4. Grants-in-aid General for (i) Wildlife Institute of India (₹5.67 crore) (ii) Central Zoo Authority (₹3.75 crore) (iii) Animal Welfare Board (₹1 crore) and (iv) National Tiger Conservation Authority (₹4.75 crore) and 5. Other contractual services (₹164 crore) for Eco-Task Force. 6. Write-off of GoI loan (₹186.83 crore) and accrued interest (₹185.18 crore) outstanding against Andaman & Nicobar Islands Forests Plantation Development Corporation.	372.01	-	372.01

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>वित्त मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF FINANCE</b>		
<b>29. आर्थिक कार्य विभाग</b>		<b>29 Department of Economic Affairs</b>		
(क) अफ्रीकी विकास निधि में अभिदान के लिए।	(a) For subscription to African Development Fund (AfDF).	34.00	-	34.00
(ख) (i) भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईडीएफ) हेतु संभावित पीपीपी परियोजना विकास संबंधी व्यय का निधियन (₹2 करोड़) और (ii) वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को भारत की सदस्यता के लिए अंशदान (₹0.21 करोड़)।	(b) For (i) funding of potential PPP Projects Development expenses for India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) (₹2 crore) and (ii) India's Membership contribution to Financial Action Task Force (FATF) (₹0.21 crore).	2.00	-	2.00
(ग) सिक्कों की मांग में वृद्धि के कारण भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और टकसाल निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद हेतु।	(c) For purchase of coins from Security Printing and Minting Corporation of India Ltd. (SPMCIL) due to upward revision of indent of coins.	-	100.00	100.00
<b>31. वित्तीय सेवा विभाग</b>		<b>31 Department of Financial Services</b>		
निम्नलिखित हेतु (i) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को शेयर पूंजी का अभिदान (₹380 करोड़) और (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए (₹ 212 करोड़)।	For (i) subscription to share capital to National Bank of Agriculture and Rural Development (NABARD) (₹380 crore) and (ii) Re-capitalisation of Regional Rural Banks (RRBs) (₹212 crore).	-	292.00	292.00
<b>36. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग</b>		<b>36 Indian Audit and Accounts Department</b>		
वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (₹51.10 करोड़), घरेलू यात्रा खर्च (₹ 20 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹14.67 करोड़)।	For meeting additional expenditure under Salaries (₹51.10 crore), Domestic Travel Expenses (₹20 crore) and Professional Services (₹14.67 crore).	11.12	-	11.12
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</b>		<b>MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE</b>		
<b>42. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</b>		<b>42 Department of Health and Family Welfare</b>		
(क) निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय 1. विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹358.41 करोड़) 2. विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 419.90 करोड़) 3. विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 94.18 करोड़) 4. (i) संक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सिबल पुल - विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय (₹ 2.15 करोड़) (ii) राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (ईएपी) (₹ 138.91 करोड़) (iii) राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 3 करोड़) (iv) केंद्रीय ब्यूरो के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपोजिटरी (₹ 12 करोड़) (v) आपूर्ति और सामग्रियों की खरीद (₹ 477.96 करोड़) और (vi) जीएफएटीएम परियोजना के अंतर्गत वैश्विक निधि को कर देनदारी की प्रतिपूर्ति (₹ 222.57 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards 1. Grants in Aid Salaries under various Schemes (₹358.41 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under various Schemes (₹419.90 crore) 3. Grants in Aid General under various Schemes (₹94.18 crore) 4. (i) Flexible Pool for Communicable Diseases-Expenditure in UTs without legislature (EAP) (₹2.15 crore) (ii) National AIDS and STD Control Programme-EAP (₹138.91 crore) (iii) National Mental Health Programme (₹3 crore) (iv) National Health Resource Repository under Central Bureau (₹12 crore) (v) procurement of Supplies and Materials (₹477.96 crore) and (vi) reimbursement of Tax Liability to Global Fund under GFATM Project (GBS) (₹222.57 crore).	691.96	-	691.96

		(₹ करोड़ In ₹ Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए 1. विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹ 148.89 करोड़) 2. विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 444.67 करोड़) 3. विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 90 करोड़) 4. (i) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (₹ 6 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम ईएपी (₹ 15.40 करोड़)	(b) For meeting expenditure towards 1.Grants-in-Aid Salaries under various Schemes (₹148.89 crore) 2. Grants-in-Aid General under various Schemes (₹444.67 crore) 3. Grants for Creation of Capital Assets under various Schemes (₹90 crore) 4. (i) Central Government Health Scheme (₹6 crore) and (ii) National AIDS and STD Control Programme-EAP (₹15.40 crore).	100.00	-	100.00
(ग) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन के सुदृढीकरण के लिए सामग्री सहायता हेतु व्यय पूरा करना।	(c) For meeting expenditure towards Material Assistance for Strengthening of National Immunization Programme and Polio Eradication.	2,168.22	-	2,168.22
<b>गृह मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HOME AFFAIRS</b>			
<b>46. गृह मंत्रालय</b>	<b>46 Ministry of Home Affairs</b>			
निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) गृह मंत्रालय में आपदा नियंत्रण कक्ष और सहायता डेस्क खोलना (₹ 4 करोड़)। (ii) पीओएल (₹ 2 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर बल (एनडीआरएफ) के लिए अन्य प्रभार (₹ 1 करोड़)।	For meeting the expenditure for (i) opening of Disaster Control Room and Help Desk in MHA (₹4 crore). (ii) POL (₹2 crore) and (iii) Other Charges (₹1 crore) for National Disaster Response Force (NDRF).	4.00	-	4.00
<b>52. दमन और दीव</b>	<b>52 Daman and Diu</b>			
दीव में शिक्षा केंद्र के विकास और पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन, हॉस्टल भवन का निर्माण तथा नए स्कूल भवन की साज-सज्जा के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (₹ 42 करोड़)	For meeting the additional requirement for Development of Education Hub at Diu and Construction of Polytechnic College Building, Hostel Building & Furnishing of New school building (₹42 crore).	-	20.00	20.00
<b>खान मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF MINES</b>			
<b>65. खान मंत्रालय</b>	<b>65 Ministry of Mines</b>			
भारतीय भूगर्भ विज्ञान सर्वेक्षण के अंतर्गत वेतन, मजदूरी, किराया-दरें और कर, अन्य प्रशासनिक व्यय तथा कार्यालय व्यय के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।	For meeting additional requirements towards Salary, Wages, Rent-Rates & Taxes, Other Administrative Expenses and Office Expenses under Geological Survey of India (GSI).	47.00	-	47.00
<b>कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS</b>			
<b>70. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय</b>	<b>70 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions</b>			
(क) डीओपीटी के कार्यालय व्यय (₹1.27 करोड़) और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (₹0.57 करोड़) व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure for DoPT's office Expenses (₹1.27 crore) and Department of Pensions & Pensioner's Welfare (₹0.57 crore).	1.84	-	1.84
(ख) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण हेतु स्थापना संबंधी व्यय के लिए।	(b) For establishment related expenditure for Central Administrative Tribunal.	6.49	-	6.49
(ग) कर्मचारी चयन आयोग में व्यावसायिक सेवाओं	(c) For meeting expenditure towards			

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
के लिए व्यय पूरा करना (₹152.13 करोड़)।	Professional Services in Staff Selection Commission (₹152.13 crore).	15.13	-	15.13
(घ) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए स्थापना संबंधी व्यय हेतु।	(d) For establishment related expenditure for Central Bureau of Investigation.	27.98	-	27.98
(ङ) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए) (₹1.59 करोड़) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (₹6.24 करोड़) और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान केन्द्रीय सूचना आयोग (₹0.40 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting expenditure towards Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (₹1.59 crore), Institute of Secretariat Training and Management (₹6.24 crore) and Central Information Commission (₹0.40 crore).	8.23	-	8.23
<b>पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS</b>			
<b>72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>	<b>72 Ministry of Petroleum and Natural Gas</b>			
(क) निम्नलिखित प्रदान करने हेतु 1. स्कीमों के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विशाखापटनम (₹ 1 करोड़) और (ii) ऊर्जा उत्कृष्टता केन्द्र, असम (₹ 1 करोड़) तथा बंगलौर (₹ 1 करोड़) और 2. निर्धन परिवारों को एलपीजी कनेक्शन स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना) (₹ 425 करोड़)।	(a) For providing 1. Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) Indian Institute of Petroleum & Energy (IIPPE), Vishakhapatnam (₹1 crore) and (ii) Centre of Excellence for Energy, Assam (₹1 crore) and Bangalore (₹1 crore) and 2. subsidy under the scheme LPG connections to Poor Households (Pradhan Mantri Ujjwala Yojna) (₹425 crore).	3.00	-	3.00
(ख) राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम योजना के लिए भारत के तलछटीय बेसिनों के गैर मूल्यांकित क्षेत्रों के सर्वेक्षण हेतु निधियां प्रदान करना।	(b) For providing funds under the scheme National Seismic Programme for Survey of un-appraised areas of Sedimentary Basins of India.	-	300.00	300.00
<b>74. विद्युत मंत्रालय</b>	<b>74 Ministry of Power</b>			
(क) निम्नलिखित प्रदान करने हेतु (i) (1) "दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना स्कीम के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 1451.25 करोड़), सब्सिडियां (₹60 करोड़) और अन्य प्रभार (₹38.75 करोड़) और (ii) एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन (₹ 437.75 करोड़), सब्सिडियां (₹10 करोड़) और अन्य प्रभार (₹2.25 करोड़) के लिए अनुदान (iii) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य में ट्रांसमिशन सिस्टम का सुदृढ़ीकरण स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 93.50 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹ 13.50 करोड़) (iv) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रणाली में सुधार स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए (₹ 81 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹ 22.50 करोड़) का अनुदान (v) भारत सरकार के पूर्ण सेवा बांड (₹ 26.39 करोड़) पर ब्याज के भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (vi) विद्युत अपीलीय	(a) For providing (i) Grants for creation of Capital Assets (₹1451.25 crore), Subsidies (₹60 crore) and other charges (₹38.75 crore) for 'Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana' (Saubhagya) under the schemes 'Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana' (DDUGJY) and (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹437.75 crore), Subsidies (₹10 crore) and other charges (₹2.25 crore) under the schemes 'Integrated Power Development Scheme' (IPDS) (iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹93.50 crore) and Professional Services (₹13.50 crore) under the scheme 'Strengthening of Transmission System in the State of Arunachal Pradesh and Sikkim' (iv) 'Grants for Creation of Capital Assets' (₹81 crore) and professional services (₹22.50 crore) under the scheme 'Power System Improvement in North Eastern States excluding Arunachal Pradesh and			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<p>न्यायाधिकरण स्कीम के अन्तर्गत निधियां (₹ 5.41 करोड़) (vii) जे एण्ड के पीएमडीपी 2015 के अन्तर्गत "पाकुल डल हेप के लिए केंद्रीय सहायता" स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 100 करोड़) (viii) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए (₹ 566 करोड़) और अन्य व्यय (₹ 20 करोड़) (ix) 'राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) को ब्याज सब्सिडी' स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां (₹ 65 करोड़) (x) विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) स्कीम के अंतर्गत विद्युत प्रणाली विकास निधि को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए निधि (₹ 272.21 करोड़) और व्यावसायिक प्रभार (₹ 0.20 करोड़) पीएसडीएफ से पूरे किए जाएंगे। (xi) "विद्युत प्रणाली विकास" स्कीम के अंतर्गत विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन (₹272.21 करोड़) और व्यावसायिक प्रभार (₹0.20 करोड़) का अनुदान पीएसडीएफ से पूरा किया जाएगा।</p>	<p>Sikkim (v) 'Grants in Aid General' for payment of interest on Government of India (GoI) fully serviced bond (₹26.39 crore) (vi) funds under the scheme 'Appellate Tribunal for Electricity' (APTEL) (₹5.41 crore) (vii) ₹Grants for creation of Capital Assets' under the scheme 'Central assistance for Pakul Dul HEP under J and K PMDP 2015 (₹100 crore) (viii) 'Grants for creation of Capital Assets' (₹566 crore) and other expenditure (₹20 crore) under the scheme Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY) (ix) additional funds under the scheme 'Interest subsidy to National Electricity Fund' (NEF) (₹65 crore) (x) funds to Power System Development Fund (PSDF) to provide Grant for Creation of Capital Assets (₹272.21 crore) and professional charges (₹0.20 crore) under the scheme 'for Power System Development to be met from PSDF (xi) Grant for Creation of Capital Assets (₹272.21 crore) and professional charges (₹0.20 crore) for Power System Development Fund (PSDF) under the scheme for Power System Development to be met from PSDF.</p>	1,961.76	-	1961.76
<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT</b>			
<b>82. ग्रामीण विकास विभाग</b>	<b>82. Department of Rural Development</b>			
<p>निम्नलिखित हेतु (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को अंतरण के लिए अतिरिक्त निधि (₹ 4800 करोड़) और (ii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4800 करोड़)।</p>	<p>For providing (i) additional fund for transferring to National Employment Guarantee Fund for funding Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee scheme (₹4800 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (₹4800 crore).</p>	4,800.00	-	4800.00
<b>विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY</b>			
<b>84. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग</b>	<b>84. Department of Science and Technology</b>			
<p>निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) विभाग के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु मुख्य निर्माण कार्य (₹.2 करोड़) (ii) भारतीय मशीनरी एवं उपकरण सर्वेक्षण (3 करोड़)।</p>	<p>For meeting expenditure towards (i) Major Works (₹2 crore) for construction of office building of the Department (ii) Machinery &amp; Equipment of Survey of India (₹3 crore).</p>	-	5.00	5.00
<b>सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT</b>			
<b>89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग</b>	<b>89. Department of Social Justice And Empowerment</b>			
<p>निम्नलिखित हेतु 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) नशीले पदार्थ दुरुपयोग और</p>	<p>For providing 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) National Survey to</p>			

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<p>द्रव्यों के दुरुपयोग की हद, पैटर्न और प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण (₹ 13.48 करोड़) और राष्ट्रीय वायोश्री योजना (₹ 1.50 करोड़) 2. राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.54 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹0.26 करोड़)।</p>	<p>assess the extent, pattern and trends on Drug Abuse and Substance Abuse (₹13.48 crore) and Rashtriya Vayoshri Yojana (₹1.50 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets (₹1.54 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹0.26 crore) under the scheme National Institute of Social Defence.</p>	1.50	-	1.50
<p><b>अंतरिक्ष विभाग</b></p> <p><b>91. अंतरिक्ष विभाग</b></p> <p>निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) अंतरिक्ष निगम लिमिटेड द्वारा जारी बोनस शेयर के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (₹ 3.40 करोड़) (ii) पोलर सैटेलाइट लांच व्हिकल के लिए मुख्य निर्माण कार्य (₹ 11.63 करोड़) (iii) राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केन्द्र के लिए मुख्य निर्माण कार्य (आवास) (₹ 2.50 करोड़) (iv) इसरो उपग्रह केन्द्र के लिए आईटी मशीनरी और उपकरण (₹6.98 करोड़) (v) रडार इमैजिंग सैटेलाइट-1ए के लिए आरएफ प्रणाली की प्राप्ति हेतु मशीनरी और उपकरण (₹ 5.92 करोड़) (vi) नासा-इसरो सीथेटिक अपेर्चर रडार मिशन एनआईएसएआर के लिए मशीनरी और उपकरण (₹ 7.52 करोड़)।</p>	<p><b>DEPARTMENT OF SPACE</b></p> <p><b>91 Department of Space</b></p> <p>For meeting expenditure towards (i) additional equity investment in form of bonus shares issued by Antrix Corporation Limited (ACL) (₹3.40 crore)(ii) Major Works for Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-C) (₹11.63 crore) (iii) Major Works (Housing) for National Remote Sensing Centre (₹2.50 crore) (iv) IT-Machinery &amp; Equipments for ISRO Satellite Centre (₹6.98 crore) (v) Machinery &amp; Equipment for the realization of RF Systems for Radar Imaging Satellite-1A (₹5.92 crore) (vi) Machinery &amp; Equipment for NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar Mission (NISAR) (₹7.52 crore)</p>	-	3.40	3.40
<p><b>जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय</b></p> <p><b>98. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय</b></p> <p>(क) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय के लिए (i) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नाबार्ड को ब्याज का भुगतान करने हेतु राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (₹150 करोड़) और (ii) अनुसंधान और विकास कार्यक्रम (₹ 13.89 करोड़)।</p>	<p><b>MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION</b></p> <p><b>98 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation</b></p> <p>(a) For providing expenditure towards Grants-in-aid General to (i) National Water Development Agency towards payment of interest to NABARD under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna(₹150 crore) and (ii) Research and Development Programme (₹13.89 crore).</p>	150.00	-	150.00
<p>(ख) अतिरिक्त प्रदान करने हेतु (i) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम के तहत पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 200 करोड़) और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (₹375 करोड़) और (iii) नदी प्रबंधन गतिविधि और सीमा क्षेत्र से संबंधित निर्माण कार्य के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु निधि (₹ 50 करोड़)।</p>	<p>(b) For providing additional (i) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (₹200 crore) and Flood Management Programme (₹375 crore) and (iii) fund for Grants-in-aid General under the scheme River Management Activities and Works related to Border Areas (₹50 crore).</p>	180.05	-	180.05
<p><b>युवा मामले और खेल मंत्रालय</b></p> <p><b>100. युवा मामले और खेल मंत्रालय</b></p> <p>भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी की प्रतिपूर्ति हेतु साईं स्टेडियम के पुनरुद्धार योजना</p>	<p><b>MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS</b></p> <p><b>100 Ministry of Youth Affairs and Sports</b></p> <p>For recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India towards Grants-</p>			

		(₹ करोड़ In ₹ Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
के तहत सामान्य सहायता अनुदान।	in-aid General under the scheme SAI Stadia Renovation.	96.87	-	96.87
<b>कुल तकनीकी</b>	<b>Total Technical</b>	<b>31,583.87</b>	<b>1,148.18</b>	<b>32,732.05</b>
4. नीचे उल्लिखित मदों के संबंध में, ₹1 लाख की पूरक अनुदान भी लिए जाने का प्रस्ताव है, जिसके सामने दर्शाए गए व्यय को संबंधित अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी खंड में बचत के पुर्नविनियोजन, जैसा भी मामला हो, से पूरा किया जाएगा।	4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by re-appropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

		(₹ करोड़ In ₹ Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>सांकेतिक पूरक अनुदान मांग</b>	<b>Token Supplementary Demands for grants</b>			
<b>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE</b>			
<b>1. कृषि, सहभागिता एवं किसान कल्याण विभाग</b>	<b>1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare</b>			
(क) (i) जैविक कृषि (₹6 करोड़) के प्रोत्साहन राष्ट्रीय परियोजना के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान, (ii) हरित क्रांति कृषोन्नति योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य और उर्वरकता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना और बीज एवं वृक्षारोपण सामग्री (₹20.62 करोड़) पर सब-मिशन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (2) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जनजाति क्षेत्र सब योजना (₹80 करोड़) और अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (₹170 करोड़), सामान्य घटकों के लिए अतिरिक्त अंशदान (₹758 करोड़), (3) नैफेड के दावों की प्रतिपूर्ति के लिए मार्केट इंटरवेशन योजना/मूल्य सहायता योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आर्थिक सहायता का भुगतान (₹550.70 करोड़) मुहैया कराने के लिए।	(a) For 1. providing (i) Grants for Creation of Capital Assets towards National Project on Promotion of Organic Farming (₹6 crore) (ii) Grants-in-aid General towards Sub Mission on Seeds and Planting Material (₹20.62 crore) and National Project on Management of Soil Health and Fertility (₹6 crore) under Green Revolution-Krishonnati Yojna 2. additional Contributions towards General Component (₹758 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹170.10 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹80 crore) under the scheme Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna 3. payment of additional subsidies under the scheme Market Intervention Scheme/Price Support Scheme (₹550.70 crore) for reimbursement of claims of NAFED.	1,591.42	-	1,591.42
(ख) किसानों को अल्पाधिक जमा के लिए ब्याज आर्थिक सहायता के अंतर्गत अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए।	(b) For providing additional Subsidies under Interest Subsidies for Short Term Credit to Farmers.	2,150.00	-	2,150.00
(ग) हरित क्रांति कृषोन्नति योजना के अंतर्गत वन संरक्षण और प्लांट क्वारेन्टाइन के लिए सब-मिशन के तहत (₹1.70 करोड़) और जैविक कृषि के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत प्रमुख कार्यों के लिए (₹3.10 करोड़) अतिरिक्त सहायता मुहैया कराने के लिए।	(c) For providing additional requirement towards Major Works under National Project on Promotion of Organic Farming (₹3.10 crore) and under Sub Mission on Plant Protection and Plant Quarantine (₹1.70 crore) under Green Revolution Krishonnati Yojna.	-	4.80	4.80
<b>2. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग</b>	<b>2 Department of Agricultural Research and Education</b>			
पूंजी आस्तियों के सृजन (₹1 करोड़) और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सामान्य अनुदान	For providing additional Grants for Creation of Capital Assets (₹1 crore) and Grants-in-			

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सहायता (₹12.87 करोड़) मुहैया कराने के लिए।	aid General (₹ 12.87 crore) to Central Agricultural University, Imphal.	13.87	-	13.87
<b>3. पशु पालन डेरी एवं मात्स्यिकी विभाग</b>	<b>3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries</b>			
(क) राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सामान्य सहायता अनुदान मुहैया कराना।	(a) For providing Grants-in-aid General to State Implementing Agencies under the scheme Rashtriya Gokul Mission.	30.00	-	30.00
(ख) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को सामान्य सहायता अनुदान मुहैया कराना।	(b) For providing Grants-in-aid General to National Fisheries Development Board.	100.00	-	100.00
<b>परमाणु ऊर्जा विभाग</b>	<b>DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY</b>			
<b>4. परमाणु ऊर्जा</b>	<b>4 Atomic Energy</b>			
(क) (i) बार्क के 7वें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान (₹0.50 करोड़), (ii) कुंडाकुलम विद्युत परियोजना पर नेबरहूड विकास (₹109 करोड़), (iii) संशोधित ब्याज की दर के कारण गुरु जल पुल प्रबंधन (₹70 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) payment of 7th pay commission arrears of BARC (₹0.50 crore) (ii) Neighbourhood Development at Kudankulam Power Project (₹109 crore) (iii) Heavy Water Pool Management (₹70 crore) due to revised interest rate.	179.50	-	179.50
(ख) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। (i) गुरु जल संयंत्र (₹39.34 करोड़) के 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने के कारण संशोधित भत्तों तथा बकाया राशि का भुगतान (ii) ओसकाम, उड़ीसा पर रेअर अर्थ पार्क की स्थापना (₹6 करोड़) (iii) आंध्र प्रदेश में यूसिल पर तुमालापल्लि माइनिंग और मिलिंग परियोजना पर ज्यादा लागत (₹239 करोड़) (iv) एएमडी (₹0.68 करोड़) और फीड स्टॉक (₹49.18 करोड़)	(b) For meeting additional expenditure towards (i) payment of revised allowances and arrears due to implementation of 7th Central Pay Commission of Heavy Water Plants (₹39.34 crore), (ii) setting up of Rare Earths Park at OSCOM, Odisha (₹6 crore) (iii) cost over run in Tumallapalle Mining and Milling Project at Andhra Pradesh of UCIL (₹239 crore) (iv) AMD (₹0.68 crore) and (v) Feedstock (₹49.18 crore).	-	334.20	334.20
<b>रसायन और उर्वरक मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS</b>			
<b>7 उर्वरक विभाग</b>	<b>7 Department of Fertilisers</b>			
(क) देशी पी एंड के व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure on indigenous P&K.	2,020.00	-	2,020.00
<b>नागर विमानन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CIVIL AVIATION</b>			
<b>9 नागर विमानन मंत्रालय</b>	<b>9 Ministry of Civil Aviation</b>			
निवेश के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम के सृजन के लिए।	For creation of Special Purpose Vehicle for disinvestment.	-	0.10	0.10
<b>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY</b>			
<b>11. वाणिज्य विभाग</b>	<b>11 Department of Commerce</b>			
(क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं पूरा करने के लिए (i) चाय बोर्ड (₹ 0.50 करोड़), काफी बोर्ड (₹ 1.51 करोड़) रबर बोर्ड (₹ 0.36 करोड़) और मसाला बोर्ड (₹ 0.25 करोड़) के लिए स्वच्छता कार्य योजना के तहत सामान्य अनुदान सहायता (ii) रबर बोर्ड में वेतन अनुदान	(a) For meeting the additional requirement towards (i) Grants-in-aid General for Swachhta Action Plantowards Tea Board (₹0.50 crore), Coffee Board (₹1.51 crore), Rubber Board (₹0.36 crore) and Spices Board (₹0.25 crore) (ii) Grants-in-aid Salary			

		(₹ करोड़ In ₹ Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सहायता (₹0.49 करोड़) और (iii) मसाला बोर्ड के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹1.94 करोड़) पूंजी आस्तियों (₹0.01 करोड़) के सृजन के लिए अनुदान, सब्सिडी (₹7.38 करोड़),	(₹0.49 crore) in Rubber Board and (iii) Grants-in-aid General (₹1.94 crore), subsidies (₹7.38 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹0.01 crore) for Spices Board.	12.44	-	12.44
(ख) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं पूरा करने हेतु (i) चाय बोर्ड के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹2.30 करोड़) सब्सिडी (₹2 करोड़) और (ii) काफी बोर्ड के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.49 करोड़)।	(b) For meeting the additional requirement towards (i) Grants-in-aid General (₹2.30 crore) and Subsidies (₹2 crore) under Tea Board and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹0.49 crore) under Coffee Board.	4.79	-	4.79
<b>12. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग</b>	<b>12 Department of Industrial Policy and Promotion</b>			
(क) लघु निर्माण कार्यों के अंतर्गत पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन की अतिरिक्त आवश्यकताएं मुहैया कराने के लिए।	(a) For providing additional requirement towards Petroleum and Explosive Safety Organisation under Minor Works.	1.00	-	1.00
(ख) लंबित वचनबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए सब्सिडी के अंतर्गत परिवहन सब्सिडी योजना/ एफएफएस (₹306 करोड़) और पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (नीप) के लिए (₹183 करोड़) अतिरिक्त आवश्यकताएं मुहैया कराना।	(b) For providing additional requirements towards North East Industrial and Investment Promotion Policy (NEIIP) (₹183 crore) and Transport Subsidy Scheme/FSS (₹306 crore) under Subsidies for settlement of pending committed liabilities.	489.00	-	489.00
(ग) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं मुहैया कराना (i) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जोरहाट (₹130 करोड़) के निर्माण कार्य के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के तहत स्वायत्त संस्थाओं की परियोजनाधरित सहायता (ii) वेतन अनुदान सहायता के अंतर्गत स्वायत्त निकायों (डीसीपीपीएआई और एनपीसी) को सहायता (₹8 करोड़) (iii) विज्ञापन और प्रचार एवं पेशेवर सेवाओं के अंतर्गत स्टार्ट अप इंडिया (₹5 करोड़) और (iv) पेशेवर सेवाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन (₹0.37 करोड़)	(c) For providing additional requirements towards (i) Project Based Support to Autonomous Institutions under Grants for Creation of Capital Assets for construction of work of National Institute of Design (NID), Jorhat (₹130 crore) (ii) Assistance to Autonomous Bodies (DCPPAI and NPC) (₹8 crore) under Grants-in-aid Salaries (iii) Startup India (₹5 crore) under Advertising & Publicity and Professional Services and (iv) implementation of National Manufacturing Policy (₹0.37 crore) under Professional Services.	143.37	-	143.37
(घ) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं मुहैया कराने के लिए (i) पूर्व परियोजना व्यय के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के अंतर्गत प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर, द्वारका (₹495 करोड़), (ii) लंबित वचनबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए सब्सिडी के अंतर्गत जेएण्डके, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए विशेष श्रेणी दर्जा के लिए पैकेज (₹54 करोड़)।	(d) For providing additional requirements towards (i) Exhibition-cum-Convention Centre (ECC), Dwarka under Grants for Creation of Capital Assets for pre-project Expenditure (₹495 crore) (ii) Package for Special Category States for J&K, Himachal Pradesh & Uttarakhand (₹54 crore) under Subsidies for settlement of pending committed liabilities.	549.00	-	549.00
(ङ) निवेशों के अंतर्गत एसपीवी को इक्विटी अंशदान के लिए प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर, द्वारका के	(e) For providing the additional requirement towards Exhibition-cum-Convention Centre			

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं मुहैया कराने के लिए।	(ECC), Dwarka for Equity contribution to SPV under Investments.	-	5.00	5.00
<b>संचार मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF COMMUNICATIONS</b>			
<b>14 दूरसंचार विभाग</b>	<b>14 Department of Telecommunications</b>			
(क) मोबाइल टावर्स और हैंड सेट्स से रेडियेशन एक्सपोजर के प्रभाव पर एक अध्ययन कराने के लिए निधियां उपलब्ध कराना।	(a) For providing funds towards conducting a study on the impact of radiation exposure from mobile towers and handsets.	4.95	-	4.95
(ख) पंडित दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास प्रतिष्ठान की स्थापना के लिए निधियां उपलब्ध कराना।	(b) For providing funds towards establishing Pandit Deen Dayal Upadhyay Kaushal Vikas Pratisthan.	5.00	-	5.00
<b>उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION</b>			
<b>15 उपभोक्ता मामले विभाग</b>	<b>15 Department of Consumer Affairs</b>			
उपभोक्ता फोरा को पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.16 करोड़) और (ii) उपभोक्ता संरक्षण सेल के स्वच्छता कार्य योजना के लिए क्लीन मार्केट को अन्य प्रभारों के लिए निधियां (₹0.05 करोड़) मुहैया करने के लिए।	For providing (i) Grants for Creation of Capital Assets to Consumer Fora (₹0.16 crore) and (ii) funds towards Other Charges to Clean Market (₹0.05 crore) for Swachhta Action Plan of Consumer Protection Cell.	0.21	-	0.21
<b>16. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग</b>	<b>16 Department of Food and Public Distribution</b>			
(क) राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर के मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत निधियां प्रदान करना।	(a) For providing providing funds under 'Major Works' of National Sugar Institute, Kanpur.	-	0.10	0.10
(ख) बेगासे स्थित विद्युत परियोजना के सह-उत्पादन के लिए चीनी मिलों को ऋण मुहैया कराना।	(b) For providing funds to Sugar Mills for Bagasse based Co-generation of Power Project.	-	50.00	50.00
<b>संस्कृति मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CULTURE</b>			
<b>18 संस्कृति मंत्रालय</b>	<b>18 Ministry of Culture</b>			
अकादमियों को सहायता योजना के अंतर्गत पूंजी आस्तियों (₹30 करोड़) के सृजन हेतु अनुदान और (सामान्य घटक ₹17 करोड़)। सामान्य सहायता अनुदान और टीएसपी घटक (₹2 करोड़) (ii) सामान्य अनुदान सहायता (₹2.50 करोड़) और बौद्ध तिब्बतीय संस्थान और स्मारक योजना के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1 करोड़) (iii) अकादमियों को सहायता योजना के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (₹2 करोड़) संग्रहालय को सहायता (₹30.73 करोड़), पुस्तकालयों (₹1 करोड़) और बौद्ध तिब्बतीय संस्थानों तथा स्मारकों (₹5.22 करोड़) को सहायता	For (i) Grants-in-aid General (General Component- ₹17 crore and TSP Component- ₹2 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹30 crore) under the scheme Support to Akademies and (ii) Grants-in-aid General (₹2.50 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹1 crore) under the scheme Buddhist Tibetan Institution and Memorials (iii) Grants-in-aid Salaries under the scheme Support to Akademies (₹2 crore), Support to Museum (₹30.73 crore), Support to Libraries (₹1 crore) and Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹5.22 crore).	91.45	-	91.45
(ख) बौद्ध तिब्बतीय संस्थानों और स्मारकों को सामान्य अनुदान सहायता के लिए	(b) For Grants-in-aid General to Buddhist Tibetan Institutions and Memorials.	0.40	-	0.40

		(₹ करोड़ In ₹ Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) भारतीय राष्ट्रीय पुरातत्व योजना के अंतर्गत प्रमुख कार्यों के लिए।	(c) For major works under the scheme National Archives of India.	-	3.00	3.00
<b>पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION</b>			
<b>24 पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय</b>	<b>24 Ministry of Drinking Water and Sanitation</b>			
स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान मुहैया कराने के लिए	For providing Grants-in-aid General under Swachh Bharat Abhiyan (Gramin).	726.00	-	726.00
<b>इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY</b>			
<b>26 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>	<b>26 Ministry of Electronics and Information Technology</b>			
(क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त निधियां मुहैया कराने हेतु (i) डिजिटल भुगतान के संवर्धन के लिए भारत इंटरफेस फार मनी स्कीम (₹50 करोड़), (ii) प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹50 करोड़) और (iii) सामान्य अनुदान सहायता (₹125 करोड़) पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹120 करोड़) और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी आफ इंडिया के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹5 करोड़)	(a) For providing additional funds towards (i) "Bharat Interface for Money (BHIM)" for Promotion of Digital Payment (₹50 crore) (ii) Grants-in-Aid General to "Pradhan Mantri Gramin Digital Sakharta Abhiyan (PMGDISHA)" (₹50 crore) and (iii) Grants-in-Aid General (₹125 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹120 crore) & Grants-in-Aid Salaries (₹5 crore) to Unique Identification Authority of India (UIDAI).	350.00	-	350.00
(ख) मशीनरी एवं संयंत्र के लिए नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना	(b) For providing additional funds for National Informatics Centre towards Machinery and Equipment.	-	29.05	29.05
<b>पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE</b>			
<b>27 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय</b>	<b>27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change</b>			
(क) निम्नलिखित के व्यय को पूरा करने के लिए (1) जीबी पंत हिमालयन इंस्टीट्यूट आफ एनवायरनमेंट एण्ड डेवलेपमेंट को वेतन अनुदान सहायता (₹0.50 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2 करोड़), (ii) सामान्य अनुदान सहायता (₹75.05 करोड़) और केंद्रीय प्रदूषण नियोजन बोर्ड को वेतन अनुदान सहायता (₹18.90 करोड़) (iii) राष्ट्रीय बायोडिवर्सिटी प्राधिकरण को सामान्य अनुदान सहायता (₹3 करोड़), (iv) जल प्रदूषण के नियंत्रण एवं बचाव के लिए अन्य संविदागत सेवाएं (₹435.71 करोड़) (v) खतरनाक पदार्थ प्रबंधन के लिए पूंजी आस्तियों का सृजन (₹5.50 करोड़) (vi) खतरनाक पदार्थ प्रबंधन के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹15 करोड़) और सामान्य अनुदान सहायता (₹35 करोड़)	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹2 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹0.50 crore) to GB Pant Himalayan Institute of Environment and Development (ii) Grants-in-aid General (₹75.05 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹18.90 crore) to Central Pollution Control Board (iii) Grants-in-aid General (₹3 crore) to National Biodiversity Authority (iv) Other contractual services (₹435.71 crore) for prevention and Control of Water Pollution (v) Grants for Creation of Capital Assets (₹5.50 crore) to Hazardous Substances Management (vi) Grants-in-aid General (₹35 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹15 crore) to Hazardous Substances Management (EAP).	590.66	-	590.66
(ख) वन्यप्राणी आवासन के एकीकृत विकास के	(b) For meeting expenditure towards			

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सामान्य अनुदान सहायता के लिए व्यय को पूरा करने के लिए	Grants-in-aid General to Integrated Development of Wildlife Habitats.	0.07	-	0.07
(ग) नेशनल म्यूजियम आफ नेचुरल हिस्ट्री के प्रमुख कार्यों हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Major Works to National Museum of Natural History.	-	6.22	6.22
<b>विदेश मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS</b>			
<b>28. विदेश मंत्रालय</b>	<b>28 Ministry of External Affairs</b>			
(क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए (i) प्रकाशन के लिए केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (₹97.15 करोड़) और राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रों को भुगतान (₹46 करोड़) (ii) पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय (₹120 करोड़) और (iii) इंडिया सेंटर फार माइग्रेशन के लिए वेतन अनुदान सहायता (₹0.75 करोड़) और सामान्य अनुदान सहायता (₹1.70 करोड़)	(a) For providing additional funds towards (i) Central Passport Organisation towards Publication (₹97.15 crore) and payments to States/UTs (₹46 crore) (ii) South Asian University towards Grants for Creation of Capital Assets (₹120 crore) and (iii) India Centre for Migration towards Grants-in-aid Salary (₹0.75 crore) and Grants-in-aid General (₹1.70 crore).	265.60	-	265.60
(ख) प्रमुख कार्यों के अंतर्गत आवासन एवं अन्य भवन निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय हेतु अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए।	(b) For providing additional funds towards Capital Outlay on Housing for other Building constructions under Major Works.	-	35.00	35.00
(ग) प्रमुख कार्यों के अंतर्गत सरकारी रिहायशी भवन के निर्माण के लिए पूंजी परिव्यय के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए।	(c) For providing additional funds towards Capital Outlay on Housing for Government Residential Building under Major Works.	-	115.00	115.00
<b>वित्त मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF FINANCE</b>			
<b>29. आर्थिक कार्य विभाग</b>	<b>29 Department of Economic Affairs</b>			
(क) प्रबंधन शुल्क के रूप में राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि लि. का भुगतान	(a) Payment to National Investment and Infrastructure Fund Limited (NIIFL) as management fee.	44.25	-	44.25
(ख) (i) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के रेजिडेंट प्रतिनिधियों पर होने वाले व्यय के लिए अंशदान (₹1.81 करोड़) और (ii) एशिया अवसंरचनात्मक निवेश बैंक (एआईआईबी) की सालाना आम बैठक को आयोजित करने के लिए (₹20 करोड़)	(b) For (i) contribution towards expenses of resident representatives of United Nations Development Programme (₹1.81 crore) and (ii) organizing the Annual General Meeting of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (₹20 crore).	21.81	-	21.81
(ग) राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना और अवसंरचना निधि लि. (एनआईआईएफएल) के शेयरों की खरीद के लिए भारत की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के लिए	(c) For recoupment of Contingency Fund of India for purchase of shares in National Investment and Infrastructure and Infrastructure Fund Limited (NIIFL).	-	0.35	0.35
(घ) 14वें जीआरक्यू के प्रभाव के फलस्वरूप आईएमएफ को अंशदान के लिए।	(d) For subscription to IMF consequent to the effectiveness of the 14th GRQ.	-	74.40	74.40
(ङ) कंप्यूटर की खरीद के लिए सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम	(e) For advances to Government servant for purchase of Computers.	-	10.00	10.00
<b>31 वित्तीय सेवाएं विभाग</b>	<b>31 Department of Financial Services</b>			
(क) निम्नलिखित स्थापना संबंधी व्यय के लिए	(a) For establishment related expenditure for			

		(₹ करोड़ In ₹ Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(i) तत्कालीन औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण अपीलीय प्राधिकरण और औद्योगिकीकरण वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड के लिए रेंटल दायिता के लिए लंबित बकाया राशि (₹23.28 करोड़) और (ii) विभिन्न योजनाओं के लिए प्रचार/प्रसार (₹20 करोड़)	(i) pending Arrears of Rental liability for erstwhile Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction and Board for Industrial and Financial Reconstruction (₹23.28 crore) and (ii) publicity and awareness for various schemes (₹20 crore).	43.28	-	43.28
(ख) बुजुर्गों को आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पीएमपीवीवाई)	(b) For Pradhan Mantri Vaya Vandan Yojana (PMVVY) towards subsidy to elderly persons.	58.02	-	58.02
(ग) (i) स्ट्रेसड एसेट्स स्टैबलाइजेशन फंड को (₹150 करोड़) जारी प्रतिभूतियों के मोचन के लिए और (ii) "इन्ट्रेस्ट डिफरेंशियल फंड" के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक में जमा निधियों के पुर्नभुगतान हेतु (₹13.46 करोड़) के लिए सहायता अनुदान।	(c) For (i) redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF) (₹150 crore); and (ii) Grants-in-aid for reimbursement of funds to ICICI Bank deposited (₹13.46 crore) under 'Interest Defferential Fund'.	163.46	-	163.46
(घ) (i) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (₹10 करोड़) और (ii) स्टैंडअप "इंडिया (₹10 करोड़) के प्रचार-प्रसार हेतु निधियां मुहैया कराने के लिए	(d) For providing funds for Publicity and awareness of (i) Pradhan Mantri Mudra Yojna (₹10 crore) and (ii) Stand-Up India (₹10 crore).	20.00	-	20.00
<b>34. प्रत्यक्ष कर</b>	<b>34 Direct Taxes</b>			
अलवर में आयकर विभाग कर्मियों के सरकारी आवास और कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद हेतु अतिरिक्त व्यय मुहैया कराने के लिए।	For additional expenditure towards purchase of land for construction of office building and residential quarters for Income Tax Department at Alwar.	-	14.92	14.92
<b>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES</b>			
<b>41 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय</b>	<b>41 Ministry of Food Processing Industries</b>			
(क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त 1. सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराने के लिए (i) एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धित अवसंरचना (₹23.83 करोड़) (ii) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.18 करोड़), मानव संसाधन तथा संस्थान योजना के अंतर्गत विज्ञापन, प्रचार/प्रसार (₹1 करोड़) (2) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण के सृजन/विस्तारण योजना के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार/प्रसार के लिए निधियां (₹0.10 करोड़) (3) भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान को वेतन सहायता अनुदान (4.89 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.28 करोड़) (4) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान को वेतन अनुदान सहायता (₹1.37 करोड़)	(a) For providing additional 1. Grants-in-aid General towards (i) Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure (₹23.83 crore) (ii) Other Administrative expenses (₹0.18 crore), Advertising and Publicity (₹1 crore) under the scheme Human Resource and Institutions 2. funds for Advertising and publicity under the scheme Creation/Expansion of Food Processing and Preservation (₹0.10 crore) 3. Grants-in-aid Salaries (₹4.89 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹0.28 crore) to Indian Institute of Crop Processing Technology 4. Grants-in-aid Salaries to National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (₹1.37 crore).	55.53	-	55.53
(ख) आधुनिक बूचड़खाना योजना के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए	(b) For providing additional Grants-in-aid General under the scheme Modern Abattoir.	6.13	-	6.13

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	<b>MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE</b>			
<b>42</b> स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	<b>42 Department of Health and Family Welfare</b>			
क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय, पटना के प्रमुख कार्यों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए	For meeting expenditure towards Major Works for Regional Health Office, Patna.	-	0.67	0.67
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	<b>MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES</b>			
<b>44</b> भारी उद्योग विभाग	<b>44 Department of Heavy Industry</b>			
चालू अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रक्रियाओं में कानूनी शुल्क के भुगतान के लिए पेशेवर सेवाएं (सचिवालय) मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं पूरा करने के लिए	For meeting additional requirement towards Professional Services (Secretariat) for payment of legal fee in ongoing international Arbitration Proceedings.	3.00	-	3.00
गृह मंत्रालय	<b>MINISTRY OF HOME AFFAIRS</b>			
<b>46</b> गृह मंत्रालय	<b>46 Ministry of Home Affairs</b>			
(क) सचिवालय की पेशेवर सेवाओं के लिए व्यय को पूरा करने के लिए	(a) For meeting expenditure towards Professional Services for Secretariat.	0.86	-	0.86
(ख) सिविल रक्षा महानिदेशक (डीजीसीडी) में पेशेवर सेवाओं (₹0.10 करोड़) और सप्लाई एवं सामग्री (₹0.83 करोड़) के खर्च को पूरा करने के लिए	(b) for meeting expenditure towards Professional Services (₹0.10 crore) and Supplies and Materials (₹0.83 crore) for Director General of Civil Defence (DGCD)	0.93	-	0.93
(ग) निम्नलिखित हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (i) जे एण्ड के 'उड़ान' योजना (₹30 करोड़) के अंतर्गत विशेष औद्योगिक प्रयास के लिए सामान्य अनुदान सहायता और (ii) स्वतंत्रता सेनानी के लिए मुफ्त पास योजना (₹61.31 करोड़) और (iii) पाक अधिकृत जे एण्ड के और छंब से विस्थापित जनता के लिए (₹700 करोड़)	(c) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General for Special Industry Initiative for J&K 'Udaan' scheme (₹30 crore) and (ii) scheme Freedom Fighters Free Railway Passes (₹61.31 crore) and (iii) displaced persons of PoJK and Chhamb (₹700 crore).	791.31	-	791.31
(घ) नागरिक राष्ट्रीय रजिस्टर के अद्यतन के लिए सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए	(d) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for National Register of Citizens updation.	371.00	-	371.00
<b>48</b> पुलिस	<b>48 Police</b>			
(क) निम्नलिखित के लिए व्यय को पूरा करने के लिए (i) अपराध एवं अपराधियों की खोज नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) (₹4.50 करोड़) के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (ii) ई-प्रिजन्स के कार्यान्वयन हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹5 करोड़) और (iii) एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.28 करोड़)	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets for Crime and Criminal Tracking Network System (CCTNS) (₹4.50 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets for Implementation of e-Prisons (₹5 crore) and (iii) Grants-in-aid General for Anti Human Trafficking (₹0.28 crore).	9.78	-	9.78
(ख) निम्नलिखित के लिए व्यय को पूरा करने के लिए (i) विशेष सुरक्षा ग्रुप (एसपीजी) और अन्य संगठनों के लिए कार्यालय भवन (₹142.21 करोड़) (ii) मशीनरी एवं संयंत्र की खरीद (₹2.14 करोड़) (iii) हेलीबेसिस के लिए स्थायी अंशसंरचना का विकास (₹4.06 करोड़) (iv) अनुसंधान अन्य पूंजी व्यय (₹164 करोड़) और (v) भारत-बंगला	(b) For meeting expenditure towards (i) Office Building for Special Protection Group (SPG) and other organisations (₹142.21 crore) (ii) Procurement of Machineries & Equipments (₹2.14 crore) (iii) Development of Permanent Infrastructure for Helibases (₹4.06 crore)			

		(₹ करोड़ In ₹ Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
देश सीमा कार्य - सड़कों का निर्माण (₹50 करोड़) (vi) ओपी टावर्स का निर्माण (₹150 करोड़) और बार्डर आउट पोस्ट (₹350 करोड़)	(iv) Research Other Capital Expenditure (₹164 crore) and (v) Indo- Bangladesh Border Works-Construction of Roads (₹50 crore) (vi) Construction of OP Towers (₹150 crore) and Border Out Posts (₹350 crore).	-	862.41	862.41
<b>49 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह</b>	<b>49 Andaman and Nicobar Islands</b>			
(क) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास को वरीयता पट्टा धनराशि के भुगतान के व्यय को पूरा करने के लिए	(a) For meeting expenditure towards payment of differential lease amount to the Vishakhapatnam Port Trust.	-	6.95	6.95
(ख) सीपी डब्ल्यूडी के पंचाट मामलों में पंचाट न्यास, विधिक एवं यात्रा संबंधी खर्चों में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Arbitration Awards, legal and travel expenses in arbitration cases of CPWD.	-	3.00	3.00
<b>50 चंडीगढ़</b>	<b>50 Chandigarh</b>			
(क) पटियाला की राव शूटिंग रेंज के निर्माण/ नवीकरण तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय चंडीगढ़ में तैनात सुरक्षाकर्मियों के आवास के लिए अतिरिक्त निधियां मुहैया कराने के लिए	(a) For providing additional funds for construction/renovation of Patiala-ki-Rao Shooting Range and accommodation to Security Personnel deployed at Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.	-	0.25	0.25
(ख) जेल परिसर में सड़कों को चौड़ा करने, पार्किंग ब्लॉकों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करना	(b) For providing additional funds for widening of roads, construction parking of blocks, etc. in Jail Complex.	-	0.15	0.15
(ग) कामर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन राजकीय महा विद्यालय के निर्माण, लड़कियों के लिए राजकीय महा-विद्यालय में हास्टल ब्लॉक का निर्माण इत्यादि (₹16.60 करोड़) और मनिमाजरा, स्पोर्ट्स परिसर सांरगपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण की दायिताकों की निकासी (₹4.10 करोड़) के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना	(c) For providing additional funds for the completion of Government College of Commerce, Business Administration, Construction of Hostel Block in Government College for Girls, etc. (₹16.60 crore), and Clear the liability for construction of Sports Stadium, Manimajra, Sports Complex Sarangpur etc. (₹ 4.10 crore).	-	20.70	20.70
(घ) राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में एक मंजिला इमरजेंसी ब्लॉक का निर्माण (₹0.44 करोड़) और आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक डिसपेंसरीज (₹0.17 करोड़) के लिए अतिरिक्त निधियां मुहैया कराना।	(d) For providing additional funds for construction of new single storey emergency block in Government Medical College and Hospital (₹0.44 crore) and Ayurvedic and Homoeopathic Dispensaries (₹0.17 crore).	-	0.61	0.61
(ङ) विभिन्न ग्रामों में पीने के पानी के लिए नलकूपों की स्थापना तथा कैबवाला गांव से मध्य मार्ग तक सीवेरेज प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना।	(e) For providing additional funds for strengthening of Sewerage system from Village Kaimbwalato Madya Marg and for installation of tubewells for drinking water in various villages.	-	0.45	0.45
(च) मलोया गांव, चंडीगढ़ में 3 आंगनवाडियों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना।	(f) For providing additional funds for construction of 3 Anganwaries in Village Maloya, Chandigarh.	-	1.25	1.25

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(छ) परिवहन विभाग के वर्कशाप डिपुओं I, II और III के उन्नयन के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना।	(g) For providing additional funds for up-gradation of Workshop Depots I, II & III of Transport Department.	-	0.90	0.90
<b>52 दमन और दीव</b>	<b>52 Daman and Diu</b>			
(क) दमन एवं दीव जिला में दमन एवं दीव ग्रामीण आवास योजना के लिए केंद्र शासित क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सब्सिडी के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए	(a) For meeting the additional requirement towards subsidies to carry out UT Schemes for Daman and Diu Gramin Awas Yojana in Daman & Diu District.	2.60	-	2.60
(ख) एंटी सी इरोजन परियोजनाओं से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए	(b) For meeting the additional requirement under Grants-in-aid General to carry out works for Anti-Sea Erosion Prjects.	2.00	-	2.00
(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग के लिए विद्युतीकरण, अनुरक्षण कार्य एवं भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए	(c) For meeting the additional requirement under Grants-in-aid General to carry out works for electrification and maintenance and payment to Electricity Department in Rural Areas.	5.50	-	5.50
(घ) दमन एवं दीव केंद्र शासित क्षेत्रों में औद्योगिक अवसंरचना के विकास में सहयोग नयी योजना हेतु सब्सिडी के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए	(d) For meeting the additional requirement under Subsidies for new scheme Assistance for Development of Industrial Infrastructure in UT of Daman and Diu.	3.00	-	3.00
(ङ) प्रमुख कार्यों के अंतर्गत विभिन्न परियोजना संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए	(e) For meeting the additional requirement to carry out works in various projects under Major Works.	-	18.70	18.70
<b>53 लक्षद्वीप</b>	<b>53 Lakshadweep</b>			
(क) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के कारपस फंड में यूटी अंशदान और लक्षद्वीप कला अकादमी को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	(a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid to Lakshadweep Kala Academy and UT Contribution to Corpus Fund of South Zone Cultural Centre.	0.25	-	0.25
(ख) कोच्चि - अगात्ति क्षेत्र के बीच एलियांस एअर आपरेटिंग के वीजीएफ के भुगतान के लिए संविदागत सेवाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	(b) For meeting additional expenditure towards Contractual Services for the payment of VGF to alliance air operating between Kochi-Agatti Sector.	13.20	-	13.20
(ग) आपदा प्रबंधन दायित्वों को सम्हालने एवं एक बहुउद्देशीय मोटर वाहन की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	(c) For meeting additional expenditure towards Motor Vehicle for procurement of one multipurpose four wheeler and for handling disaster management duties.	-	0.05	0.05
(घ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन के दूसरे चरण के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	(d) For meeting additional expenditure towards construction of 2nd phase of Industrial Training Institute building.	-	4.00	4.00
(ङ) करावत्ती हेलिपैड पर फायर वाहनों के लिए भवन के निर्माण हेतु प्रमुख कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	(e) For meeting additional expenditure towards Major Works for construction of building for fire vehicles at Kavaratti Helipad.	-	0.20	0.20

		(₹ करोड़ In ₹ Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(च) स्टेडियम भवन के निर्माण के लिए प्रमुख कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	(f) For meeting additional expenditure towards Major Works for construction of stadium buildings.	-	0.50	0.50
(छ) विभिन्न द्वीपों में नेटवर्क के वितरण और डीसैलिनिऐशन प्लांट्स, वर्षा पानी टैंक के निर्माण एवं भूमि अधिग्रहण की लागत संबंधी प्रमुख कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	(g) For meeting additional expenditure towards Major Works for cost of land acquisition and construction of desalination plants, rain water tanks and distribution of network in different islands.	-	2.00	2.00
(ज) सरकारी आवासों के निर्माण एवं भूमि अधिग्रहण की लागत से संबंधित प्रमुख कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	(h) For meeting additional expenditure towards Major Works for cost of land acquisition and construction of Government accommodations.	-	2.00	2.00
(झ) करावत्ती पर जिला पंचायत के कार्यालय भवन के निर्माण संबंधी प्रमुख कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	(i) For meeting additional expenditure towards Major Works for construction of Office Building for District Panchayat at Kavaratti.	-	0.50	0.50
(ञ) विभिन्न द्वीपों में सड़कों के निर्माण/चौड़ा करने के लिए और भूमि अधिग्रहण की लागत से संबंधित प्रमुख कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	(j) For meeting additional expenditure towards Major Works for cost of land acquisition and construction/widening of roads in different islands.	-	5.00	5.00
(ट) पर्यावरण भवन के निर्माण से संबंधित प्रमुख कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	(k) For meeting additional expenditure towards Major Works for construction of Paryavaran Bhavan.	-	0.30	0.30
<b>आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION</b>			
<b>56 आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय</b>	<b>56 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation</b>			
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए	For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for Pradhan Mantri Awas Yojna.	20.00	-	20.00
<b>मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT</b>			
<b>57 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग</b>	<b>57 Department of School Education and Literacy</b>			
(क) (1) योजना के अंतर्गत निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान मुहैया कराने के लिए (i) केंद्रीय विद्यालय संगठन (₹442 करोड़), (ii) नवोदय विद्यालय समिति (₹80 करोड़), (iii) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (₹5.11 करोड़), (iv) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (₹12.43 करोड़) और (v) सर्व शिक्षा अभियान (₹202.55 करोड़) और (2) योजना के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (₹28.83 करोड़) और (ii) सर्व शिक्षा अभियान (₹94.59 करोड़)	(a) For providing 1. Grants in Aid General under the scheme (i) Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹442 crore) (ii) Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) (₹80 crore) (iii) National Council of Educational Research and Training (NCERT)(₹5.11 crore) (iv) Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) (₹12.43 crore) and (v) Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (₹202.55 crore) and 2. Grants Grant for creation of capital assets under the scheme (i) Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)			

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	(₹28.83 crore) and (ii) Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (₹94.59 crore).	865.51	-	865.51
(ख) (1) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान मुहैया कराने के लिए (i) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (₹78.44 करोड़) (ii) सर्व शिक्षा अभियान (₹216.55 करोड़) और (iii) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (₹12.07 करोड़) (2) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹102.82 करोड़)	(b) For providing 1. Grants in Aid General under the scheme (i) Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) (₹78.44 crore) (ii) Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (₹216.55 crore) and (iii) Strengthening of Teacher Training Institutions (₹12.07 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) (₹102.82 crore),	409.88	-	409.88
(ग) सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹36.92 करोड़) और सामान्य अनुदान सहायता (₹0.08 करोड़)	(c) For providing Grants in Aid General (₹0.08 crore) and Grants for creation of capital assets (₹36.92 crore) under the scheme Sarva Shiksha Abhiyan (SSA).	37.00	-	37.00
<b>सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING</b>			
<b>59 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय</b>	<b>59 Ministry of Information and Broadcasting</b>			
(क) लघु कार्यो (₹0.01 करोड़) और आईटी (आई) (₹0.15 करोड़) के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराने के लिए	(a) For providing of funds under Minor Works (₹0.01 crore) and IT (OE) (₹0.15 crore)	0.16	-	0.16
(ख) अरुण प्रभा चैनल नयी योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान मुहैया कराने के लिए	(b) For providing Grants-in-aid General for the new scheme Arun Prabha Channel.	56.99	-	56.99
(ग) अरुण प्रभा चैनल नयी योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सामान्य सहायता अनुदान मुहैया कराने के लिए	(c) For providing Grants-in-aid General for North East Region under the new scheme Arun Prabha Channel.	56.99	-	56.99
<b>श्रम एवं रोजगार मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT</b>			
<b>60 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय</b>	<b>60 Ministry of Labour and Employment</b>			
(क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं पूरा करने के लिए (i) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹63.90 करोड़) और अंशदान (₹241.94 करोड़), (ii) असम बगान कामगारों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अन्य प्रशासनिक व्यय (₹1 करोड़), (iii) फैमिली पेंशन एवं जीवन बीमा योजना के लिए अंशदान (₹43.10 करोड़) और (iv) चाय बगानों के लिए जमा संबद्ध बीमा योजना के लिए अंशदान (₹9.10 करोड़) और अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.80 करोड़)	(a) For meeting additional requirement towards (i) Contribution (₹241.94 crore) and Grants-in-aid General (₹63.90 crore) for Employee Pension Scheme, 1995 (ii) Other Administrative Expenses for Social Security for Assam Plantation Workers (₹1 crore) (iii) Contribution (₹43.10 crore) for Family Pension-cum-Life Assurance Scheme and (iv) Other Administrative Expenses (₹0.80 crore) and Contribution (₹9.10 crore) for Deposit Linked Insurance Scheme for Tea Plantation.	359.84	-	359.84
(ख) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (i) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में सरकारी अंशदान की बकाया राशि के भुगतान के लिए अंशदान (₹26.88 करोड़) और	(b) For meeting additional requirement towards (i) Contribution for payment of arrear on Government share towards Employees Pension Scheme, 1995 (₹26.88			

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ii) पूर्वोत्तर घटकों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹7.10 करोड़) (iii) परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा योजना के अंतर्गत असम बगान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (₹4.90 करोड़)। (iv) चाय बगानों के लिए जमा संबद्ध बीमा योजना के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.10 करोड़) और अंशदान (₹1 करोड़)।	crore) and (ii) Grants-in-aid General under the North Eastern Components (₹7.10 crore) (iii) Social Security for Assam Plantation Workers (₹4.90 crore) under Family Pension-cum-Life Assurance Scheme (iv) Other Administrative Expenses (₹0.10 crore) and Contribution (₹1 crore) for Deposit Linked Insurance Scheme for Tea Plantation.	39.98	-	39.98
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय श्रमिक संस्थान की संस्थान योजना के अंतर्गत प्रमुख कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional requirement towards Major Works under the scheme Establishment of Regional Labour Institute for North Eastern Region.	-	0.50	0.50
<b>विधि एवं न्याय मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF LAW AND JUSTICE</b>			
<b>61. विधि एवं न्याय</b>	<b>61 Law and Justice</b>			
विधि अधिकारी/परामर्शदाताओं के लंबित बिलों के निपटान के लिए पेशेवर सेवाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।	For meeting additional requirement under Professional Services to clear the pending bills of Law Officers/Counsels.	16.00	-	16.00
<b>सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES</b>			
<b>64. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय</b>	<b>64 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises</b>			
(क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए सब्सिडी (₹13 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एशियाई विकास बैंक से बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के रूप में खादी सुधार विकास पैकेज के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹19 करोड़)।	(a) For meeting the additional requirement towards (i) subsidies to Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) (₹13 crore) and (ii) Grants-in-aid General under Khadi Reform Development Package (KRDP) as an Externally Aided Project from Asian Development Bank (ADB) (₹19 crore) for NER.	32.00	-	32.00
(ख) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी (₹152 करोड़) और विज्ञापन एवं प्रचार (₹50 करोड़) (ii) खादी सुधार विकास पैकेज के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹361 करोड़) (iii) योजना के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम और प्रोत्साहन सेवाएं संस्थानों के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार/प्रसार (₹5 करोड़) और (iv) अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹45.62 करोड़)	(b) For meeting the additional requirement towards (i) Subsidies (₹152 crore) and Advertisement and Publicity (₹5 crore) under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)(ii) Grants-in-aid General under Khadi Reform Development Package (₹361 crore) (iii) Advertisement & Publicity (₹5 crore) under Promotional Services Institutions and Programme for Promotion of the scheme and (iv) Grants-in-aid General under Infrastructure Development and Capacity Building (EAP) (₹45.62 crore).	568.62	-	568.62
<b>अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS</b>			
<b>66. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय</b>	<b>66 Ministry of Minority Affairs</b>			
(क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग इत्यादि द्वारा आयोजित	(a) For meeting additional expenditure under (i) Support for Students clearing prelims conducted by UPSC, SSC, State Public			

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
की गई प्रारंभिक (प्रेलिम्स) परीक्षाओं को पास करने के लिए विधार्थियों को सहायता (₹2.70 करोड़), (ii) अल्पसंख्यक विधार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय वजीफा (₹45 करोड़), (iii) दसवीं परीक्षा के आगे छात्रवृत्ति योजना (₹11.29 करोड़) और (iv) कौशल विकास पहल (₹2.50 करोड़)।	Service Commission etc. (₹2.70 crore), (ii) Maulana Azad National Fellowship for Minority Students. (₹45 crore), (iii) Post-Matric Scholarship Scheme (₹11.29 crore) and (iv) Skill Development Initiatives (₹2.50 crore).	61.49	-	61.49
(ख) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण और राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढीकरण (₹12 करोड़), (ii) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास (₹7 करोड़), (iii) पारंपरिक कला/कौशल में प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन (₹7 करोड़), (iv) विदेशों में पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी (₹9 करोड़), (v) लघु अल्प संख्यक समुदायों की घटती आबादी को रोकना (₹1 करोड़) और हज पर व्यय (₹0.10 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure under (i) Computerisation of Records and Strengthening of State Waqf Boards (₹12 crore), (ii) Leadership Development of Minority Women (₹7 crore), (iii) Upgrading Skill and Training in Traditional Arts/Crafts (₹7 crore), (iv) Interest Subsidy on Educational Loans for Overseas Studies (₹9 crore), (v) Containing Population decline of small Minority Communities (₹1 crore) and expenditure on Haj (₹0.10 crore).	36.10	-	36.10
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) राज्य वक्फ बोर्डों के दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण (₹0.70 करोड़), (ii) अल्प संख्यक विधार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय वजीफा (₹5 करोड़), (iii) यूपीएससी, एसएससी इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक (प्रेलिम्स) परीक्षाओं को पास करने के लिए विधार्थियों को सहायता (₹0.30 करोड़) और (iv) अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम (₹120.50 करोड़)।	(c) For Meeting additional expenditure under North Eastern Areas (i) Computerisation of Records of State Waqf Boards, (₹0.70 crore), (ii) Maulana Azad National Fellowship for Minority Students (₹5 crore), (iii) Support for Students clearing prelims conducted by UPSC, SSC etc. (₹0.30 crore) and (iv) Multi-sectoral programme for Minority (₹120.50 crore).	126.50	-	126.50
(घ) पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के रूप में स्वच्छता कार्य योजना हेतु अल्पसंख्यक विधार्थियों के लिए बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional requirement under Multi Sectoral Development Program for Minorities (MSDP) for Swachhta Action Plan as Grants for Creation of Capital Assets.	2.00	-	2.00

**नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**67. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

निम्नलिखित को मुहैया कराने के लिए (i) ग्रिड इंटरएक्टिव एवं डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूवेबल पावर योजना के अंतर्गत वाइंड पावर के लिए सब्सिडी हेतु अतिरिक्त निधि (₹350 करोड़)। (ii) अटल ज्योति योजना और सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था और घरों में प्रकाश व्यवस्था, सोलर पंपिंग कार्यक्रम के लिए ऑफ ग्रिड/डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूवेबल पावर योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹356 करोड़) (iii) केंद्रीय क्षेत्र योजना राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ऑफ ग्रिड/ डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूवेबल पावर के अन्तर्गत बायोगैस के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹10 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹5

**MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY**

**67 Ministry of New and Renewable Energy**

For providing (i) additional fund for subsidy towards Wind Power under the scheme Grid Interactive and Distributed Renewable Power (₹350 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets towards Solar Power under the scheme Off-Grid/Distributed and Decentralised Renewable Power for Solar Pumping Programme, Streetlights & Houselights and Atal Jyoti Yojana (AJAY) (₹356 crore) (iii) Grants-in-aid General (₹5 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹10 crore) towards Biogas under the scheme Off-Grid/Distributed and Decentralised Renewable Power for

		(₹ करोड़ In ₹ Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
करोड़।	implementation of Central Sector Scheme National Biogas and Manure Management Programme (NBMMP).	721.00	-	721.00
<b>68. पंचायती राज मंत्रालय</b>	<b>68 Ministry of Panchayati Raj</b>			
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मीडिया एवं प्रचार/प्रसार के अंतर्गत निधियां मुहैया कराने के लिए।	For providing funds under Media & Publicity in other Rural Development Programme.	8.00	-	8.00
<b>70. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय</b>	<b>70 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions</b>			
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के लिए पूंजी व्यय हेतु आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	For meeting requirement towards capital expenditure of Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA).	-	3.00	3.00
<b>72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>	<b>72 Ministry of Petroleum and Natural Gas</b>			
(क) अतिरिक्त निधियों का प्रावधान करना (i) कार्यालय व्यय (₹1.45 करोड़), (ii) अंशदान (₹0.07 करोड़), (iii) व्यावसायिक सेवाएं (₹0.02 करोड़) और (iv) चिकित्सा उपचार (₹0.16 करोड़)।	(a) For providing additional funds towards (i) Office Expenses (₹1.45 crore) (ii) Contribution (₹0.07 crore) (iii) Professional Services (₹0.02 crore) and (iv) Medical Treatment (₹0.16 crore).	1.70	-	1.70
(ख) किरोसीन वितरण सुधार के लिए राज्य सरकारों को नकदी प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(b) For providing Grants-in-aid General under the scheme Cash incentive to State Governments for Kerosene Distribution Reforms.	84.00	-	84.00
<b>73. योजना मंत्रालय</b>	<b>73 Ministry of Planning</b>			
प्रधानमंत्री आर्थिक एडवाइजरी परिषद के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards Economic Advisory Council to the Prime Minister.	0.75	-	0.75
<b>74. विद्युत मंत्रालय</b>	<b>74 Ministry of Power</b>			
कारगिल से होते हुए श्री नगर से लेह तक 220केवी ट्रांसमिशन लाईन स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme 220 KV Transmission Line from Srinagar to Leh via Kargil.	-	250.00	250.00
<b>80. रेल मंत्रालय</b>	<b>80 Ministry of Railways</b>			
विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure under various schemes/projects.	-	2,381.98	2381.98
<b>81. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</b>	<b>81 Ministry of Road Transport and Highways</b>			

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(क) राज्यों के लिए केंद्रीय सड़क निधि को अंतर खाता अंतरण के लिए।	(a) For Inter Account Transfer to Central Road Fund for States.	7,162.00	-	7,162.00
(ख) विधानमंडल सहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सड़क निधि को अंतर खाता अंतरण के लिए।	(b) For Inter Account Transfer to Central Road Fund for UTs with legislatures.	75.78	-	75.78
(ग) अतिरिक्त वयय पूरा करने के लिए 1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हेतु केंद्रीय सड़क निधि को अंतर खाता अंतरण (₹15429.45 करोड़)। 2. निम्नलिखित के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य (i) राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर-संयोजकता सुधार कार्यक्रम (विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ईएपी) (₹262 करोड़) (ii) जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण से सहायता प्राप्त विदेशी सहायता प्राप्त योजना (₹40 करोड़) और (iii) वामपंथी-चरमपंथी प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत सड़क संयोजकता विकास हेतु विशेष कार्यक्रम (राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सड़कें) (₹177 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure towards 1. Inter Account Transfer to Central Road Fund to NHAI (₹15429.45 crore) 2. Major Works under the (i) National Highway Inter-connectivity Improvement Programme (World Bank assisted EAP) (₹262 crore) (ii) Japan International Cooperation Agency aided Externally Aided Schemes (₹40 crore) and (iii) Special Programme for Development of Road Connectivity (NH and State Roads) under Left Wing Extremists Affected Areas (TSP) (₹177 crore).	-	15,908.45	15,908.45
<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT</b>			
<b>82. ग्रामीण विकास विभाग</b>	<b>82. Department of Rural Development</b>			
(क) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ऋण के मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए।	(a) For repayment of Principle and interest on National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) Loan under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna.	1.00	-	1.00
(ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान देना।	(b) For providing Grants for Creation of Capital Assets for Social Audit under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee.	170.00	-	170.00
<b>विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY</b>			
<b>84. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग</b>	<b>84. Department of Science and Technology</b>			
व्यय पूरा करने के लिए 1. निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की अनुसंधान (₹120 करोड़) (ii) विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम (₹5 करोड़) (iii) महासर्वेक्षक (₹0.73 करोड़) (iv) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (₹150 करोड़) 2. महासर्वेक्षक के लिए सहायता अनुदान वेतन (₹2.72 करोड़)।	For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General for (i) Science and Engineering Research (₹120 crore) (ii) Disha Programme for Woman in Sciences (₹5 crore) (iii) Surveyor General (₹0.73 crore) (iv) Technology Development Board (₹150 crore) 2. Grants-in-aid Salaries for Surveyor General (₹2.72 crore).	278.45	-	278.45
<b>नौवहन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF SHIPPING</b>			
<b>87. नौवहन मंत्रालय</b>	<b>87. Ministry of Shipping</b>			
(क) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (i) तटीय सड़क संरक्षण कार्य हेतु चेन्नई पत्तन न्यास (₹23 करोड़) (ii) कोचीन पत्तन न्यास और सबवे/फ्लाईओवर का निर्माण (₹6.55 करोड़) और रेल ओवर ब्रिज (₹31.61 करोड़)।	(a) For providing Grants for Creation of Capital Assets to (i) Chennai Port Trust for Coastal Road Protection Work (₹23 crore) and (ii) Cochin Port Trust and Construction of Subway/Flyover (₹6.55 crore) and Rail Overbridge (₹31.61 crore).	61.16	-	61.16

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) महा निदेशालय (पोत परिवहन) के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (कार्यालय व्यय) के अंतर्गत प्रावधान करने के लिए।	(b) For making provision under Information Technology (Office Expenses) for Directorate General (Shipping).	2.00	-	2.00
<b>कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP</b>			
<b>88. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय</b>	<b>88 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship</b>			
पोलिटिकल के जरिए पालिटिकल समुदाय विकास स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए और राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रशिक्षण स्कीम (₹50 करोड़) (ii) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (कौशल विकास) के अन्तर्गत (₹19.40 करोड़) और (iii) वामपंथी चरमपंथी से प्रभावित 47 जिलों के लिए कौशल विकास हेतु (₹22.37 करोड़)।	For meeting additional requirement towards Grants-in-aid General under scheme Polytechnics, community Development through Polytechnics (CDTP) and National Apprenticeship Training Scheme (NATS) (₹50 crore) (ii) under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana-(Development of Skills) (₹19.40 crore) and (iii) for Skill Development for 47 Districts affected by Left Wing Extremism (₹22.37 crore).	91.77	-	91.77
<b>सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT</b>			
<b>89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय</b>	<b>89 Department of Social Justice And Empowerment</b>			
निम्नलिखित के लिए 1. पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़) 2. स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) बालक छात्रावास (₹108 करोड़) (ii) बालिका छात्रावास (₹108 करोड़) और बालक और बालिका छात्रावास (₹ 10 करोड़) 3. अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (₹5.70 करोड़)।	For providing 1. Grants in Aid General under the scheme Assistance to Voluntary Organisations for Backward Classes (₹5 crore). 2. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (i) Boys Hostel (₹108 crore) (ii) Girls Hostel (₹108.00 crore) and Boys and Girls Hostel (₹10 crore). 3. Scholarships/Stipends under the Scheme National Overseas Scholarship for OBCs (₹5.70 crore).	236.70	-	236.70
<b>90. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग</b>	<b>90 Department of Empowerment of Persons with Disabilities</b>			
सहायक सामग्रियों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing Grants-in-aid General under the scheme Assistance to Disabled Persons for purchase/fitting of Aids and Appliances (ADIP).	20.00	-	20.00
<b>कपड़ा मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF TEXTILES</b>			
<b>94. कपड़ा मंत्रालय</b>	<b>94 Ministry of Textiles</b>			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में जेओ टेक्सटाइल के उपयोग हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए अतिरिक्त राशि पूरा करना।	(a) For meeting additional amount towards grants for creation of capital assets for Usage of Geotextiles in North Eastern Region.	4.83	-	4.83
(ख) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त राशि पूरी करने हेतु (i) भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.60 करोड़) (ii) हस्तशिल्प मेगाकलस्टर के अंतर्गत	(b) For meeting additional amount towards (i) Grants-in-Aid General under Indian Institute of Handloom Technology (₹0.60 crore) (ii) Grants-in-Aid General (₹15			

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सामान्य सहायता अनुदान (₹15 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹0.50 करोड़) (iii) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक खर्च (₹0.30 करोड़), (iv) किराया, दर और कर (₹0.15 करोड़), हस्तशिल्प शिल्पकार व्यापक कल्याण स्कीम में अन्य खर्च (₹0.10 करोड़) (v) मानव संसाधन विकास (हस्तशिल्प) में अन्य प्रभार (₹11 करोड़) (vi) भारतीय दरी प्रौद्योगिकी संस्थान भदोई के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹1.50 करोड़) (vii) विद्युत करघा क्षेत्र विकास हेतु एकीकृत स्कीम के अंतर्गत घरेलू यात्रा व्यय (₹0.05 करोड़), अन्य खर्च (₹0.61 करोड़) और अन्य प्रशासनिक खर्च (₹ 0.06 करोड़), अन्य प्रभार (₹0.17 करोड़)।	crore) and Professional Services (₹0.50 crore) under Handicraft Mega Cluster. (iii) Other Administrative Expenses (₹0.30 crore) under Development Commissioner (Handicraft) (iv) Rent, Rate & Taxes (₹0.15 crore), Other Expenses (₹0.10 crore) under Handicraft Artisans Comprehensive Welfare Scheme (v) other charges (₹11 crore) in Human Resource Development (Handicraft) (vi) Grants-in-Aid Salaries (₹1.50 crore) under Indian Institute of Carpet Technology (IICT), Bhadoi (vii) Domestic Travel Expenses (₹0.05 crore), Other Expenses (₹0.61 crore) and Other Administrative Expenses (₹0.06 crore), Other Charges (₹0.17 crore) under Integrated Scheme for Powerloom Sector Development.	30.04	-	30.04
(ग) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त राशि पूरी करना	(c) For meeting additional amount towards Major Works under National Handloom Development Programme.	-	13.00	13.00
<b>पर्यटन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF TOURISM</b>			
<b>95. पर्यटन मंत्रालय</b>	<b>95 Ministry of Tourism</b>			
सामान्य सहायता अनुदान मुहैया कराने के लिए (1) योजनाओं के अंतर्गत स्वच्छ कार्य योजना का क्रियान्वयन (i) स्वदेश दर्शन (₹18 करोड़) (ii) तीर्थस्थल पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक विकास अभियान (प्रसाद) (₹2.47 करोड़) और (iii) सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) (₹0.41 करोड़) और (2) होटल प्रबंधन खानपान प्रौद्योगिकी और प्रयुक्त संस्थान के लिए अनुदान योजना के अंतर्गत (₹2.80 करोड़)।	For providing Grants-in-aid General (1) towards implementation of Swachhta Action Plan under the schemes (i) Swadesh Darshan (₹18 crore) (ii) Pilgrimage Rujuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD) (₹2.47 crore) and (iii) Capacity Building for Service Providers (CBSP) (₹0.41 crore) and (2) under the scheme Grants to Institutes of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition (₹2.80 crore).	23.68	-	23.68
<b>शहरी विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT</b>			
<b>97. शहरी विकास मंत्रालय</b>	<b>97 Ministry of Urban Development</b>			
(क) भारतीय सर्वेक्षण की प्रतिबद्ध दायिताओं का निपटान करने के लिए सामान्य अनुदान के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-General to clear the committed liabilities of Survey of India.	1.14	-	1.14
(ख) नागपुर, बेंगलोर चरण-2, अहमदाबाद, पुणे और नोएडा-ग्रेटर नोएडा में नई परियोजनाओं के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards new projects at Nagpur, Bangalore Phase-2, Ahmedabad, Pune and Noida - Greater Noida.	-	731.15	731.15
(ग) नागपुर, बेंगलोर चरण-2, अहमदाबाद, पुणे और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नई परियोजनाओं के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards new projects at Nagpur, Bangalore Phase-2, Ahmedabad, Pune and Noida - Greater Noida.	-	321.85	321.85

		(₹ करोड़ In ₹ Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय		<b>MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION</b>		
<b>98</b> जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	<b>98</b> Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
(क) "मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण योजना के "क्षमता निर्माण कार्यक्रम" उप-योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान मुहैया कराने के लिए।	(a) For providing additional Grant-in-aid General to North Eastern Regional Institute of Water and Land Management under sub-scheme "Capacity Building Programme" of scheme "Human Resource Development Capacity Building"	1.50	-	1.50
(ख) नदी प्रबंधन गतिविधि योजना और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्यों के तहत अंशदान के तहत व्यय मुहैया कराने के लिए।	(b) For providing expenditure towards Contributions under the scheme River Management Activities and Works related Border Areas.	3.00	-	3.00
(ग) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (ईएपी घटक) के अंतर्गत राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के लिए पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान पूरा कराने के लिए।	(c) For providing additional Grants for creation of Capital Assets to National Ganga River Basin Authority under National River Conservation Plan (EAP component).	470.00	-	470.00
(घ) फरक्का बांध परियोजना के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों के तहत अतिरिक्त निधि मुहैया कराने के लिए।	(d) For providing additional funds towards Major Works under the scheme Farakka Barrage Project.	-	15.00	15.00
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय		<b>MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT</b>		
<b>99</b> महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	<b>99</b> Ministry of Women and Child Development			
(क) मुहैया कराने के लिए 1. योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) बाल संरक्षण योजना (₹98 करोड़), (ii) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) (₹14.17 करोड़) (iii) केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) (₹10.68 करोड़), (iv) निर्भया निधि से वित्तपोषित अन्य योजनाएँ (₹45 करोड़) और (v) कार्यरत महिला होस्टल (₹0.25 करोड़) 2. योजना के अंतर्गत पूँजी आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (i) आंगनवाड़ी सेवाएँ (₹1.15 करोड़), (ii) कार्यरत महिला होस्टल (₹16.15 करोड़), 3. एनआईपीसीसीडी योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹7.53 करोड़), 4. (i) बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं (₹0.12 करोड़) और राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत किराया, दर एवं कर (₹0.80 करोड़) के तहत व्यय।	(a) For providing 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) Child Protection Scheme (₹98 crore), (ii) National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) (₹14.17 crore), (iii) Central Social welfare Board (CSWB) (₹10.68 crore), (iv) Other Schemes funded from Nirbhaya Fund (₹45 crore) and (v) Working Women Hostels (₹0.25 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (i) Anganwadi Services (₹1.15 crore), (ii) Working Women Hostels (₹16.15 crore), and (iii) One Stop Centre (₹15 crore) 3. Grants-in-aid Salary under the scheme NIPCCD (₹7.53 crore) 4. expenditure towards (i) Professional Services under the scheme Child Protection (₹0.12 crore) and (ii) Rents, Rates & taxes under the scheme National Nutrition Mission (₹0.80 crore).	208.85	-	208.85
(ख) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान मुहैया कराने के लिए (i) आंगनवाड़ी सेवाएँ	(b) For providing Grants-in-aid General under the scheme (i) Anganwadi Services			

(₹ करोड़ In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(₹207.73 करोड़) और (ii) बाल संरक्षण (₹84.61 करोड़)।	(₹ 207.73 crore) and (ii) Child Protection (₹84.61 crore).	292.34	-	292.34
(ग) आंगनवाड़ी सेवा योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान मुहैया कराने के लिए।	(c) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Anganwadi Services.	0.60	-	0.60
<b>युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS</b>			
<b>100. युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय</b>	<b>100 Ministry of Youth Affairs and Sports</b>			
अतिरिक्त व्यय मुहैया कराने के लिए (i) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के अंतर्गत अंशदान (₹1 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय खेलकूद कोचिंग संस्थान योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़)	For providing additional expenditure towards (i) Contribution under the scheme International Cooperation (₹1 crore) and (ii) Grants-in-aid General under the scheme National Institute of Sports Coaching (₹5 crore).	6.00	-	6.00
<b>कुल सांकेतिक</b>	<b>Total Token</b>	<b>0.85</b>	<b>0.45</b>	<b>1.30</b>
5. आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय आकस्मिक निधि से स्वीकृत ₹97,22,00,000 की अग्रिम राशि अनुदान की पूरक मांगों के अनुमोदन के बाद निधि में पूर्ति की जाएगी।	5. An advance of ₹97,22,00,000 sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting contingency requirement, will be recouped to the fund after the Supplementary Demands for Grants are approved.			
<b>सकल योग</b>	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>63,091.64</b>	<b>3,021.70</b>	<b>66,113.34</b>
<b>निवल नकद व्यय</b>	<b>Net Cash Outgo</b>	31,506.92	1,873.07	33,379.99
<b>तकनीकी पूरक</b>	<b>Technical Supplementary</b>	1,583.87	1,148.18	32,732.05
<b>सांकेतिक पूरक</b>	<b>Token Supplementary</b>	0.85	0.45	1.30

**विषय सूची**  
**CONTENTS**

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि, एवं कृषक कल्याण मंत्रालय		<b>MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE</b>					
1.	कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग स्वीकृत	1. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare	Voted	0.02	0.01	0.03	1
2.	कृषि अनुसंधान विभाग और शिक्षा स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	192.00	...	192.00	3
3.	पशु पालन और डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग स्वीकृत	3. Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Voted	0.02	...	0.02	5
परमाणु ऊर्जा विभाग		<b>DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY</b>					
4.	परमाणु ऊर्जा स्वीकृत	4. Atomic Energy	Voted	688.26	278.73	966.99	6
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)		<b>MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)</b>					
5.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) स्वीकृत	5. Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	101.15	28.00	129.15	8
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		<b>MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS</b>					
7.	उर्वरक विभाग	7. Department of Fertilisers	Voted	20532.51	...	20532.51	10
8.	भेषज विभाग	8. Department of Pharmaceuticals	Voted	18.35	...	18.35	11
नागर विमानन मंत्रालय		<b>MINISTRY OF CIVIL AVIATION</b>					
9.	नागर विमानन मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	85.22	0.01	85.23	12
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		<b>MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY</b>					
11.	वाणिज्य विभाग स्वीकृत	11. Department of Commerce	Voted	1077.52	59.00	1136.52	14
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग स्वीकृत	12. Department of Industrial Policy and Promotion	Voted	0.04	0.01	0.05	16
दूरसंचार मंत्रालय		<b>MINISTRY OF COMMUNICATIONS</b>					
13.	डाक विभाग भारित स्वीकृत	13. Department of Posts	Charged	3.01	...	3.01	18
14.	दूरसंचार विभाग स्वीकृत	14. Department of Telecommunications	Voted	204.00	216.00	420.00	19
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		<b>MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION</b>					
15.	उपभोक्ता मामले विभाग स्वीकृत	15. Department of Consumer Affairs	Voted	0.01	8.50	8.51	20
16.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारित स्वीकृत	16. Department of Food and Public Distribution	Charged	0.02	...	0.02	21
16.			Voted	3486.99	0.02	3487.01	21
कारपोरेट कार्य मंत्रालय		<b>MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS</b>					
17.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय स्वीकृत	17. Ministry of Corporate Affairs	Voted	40.79	...	40.79	23
संस्कृति मंत्रालय		<b>MINISTRY OF CULTURE</b>					
18.	संस्कृति मंत्रालय स्वीकृत	18. Ministry of Culture	Voted	0.02	0.01	0.03	24
रक्षा मंत्रालय		<b>MINISTRY OF DEFENCE</b>					
19.	रक्षा मंत्रालय (विविध) स्वीकृत	19. Ministry of Defence (Misc.)	Voted	...	500.00	500.00	25
20.	रक्षा सेवाएं (राजस्व) स्वीकृत	20. Defence Services (Revenue)	Voted	2954.66	...	2954.66	26
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		<b>MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION</b>					
23.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय स्वीकृत	23. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	65.00	...	65.00	27

		(₹ करोड़ in ₹ crore)					
मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
<b>पेयजल एवं स्वच्छता</b>		<b>MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION</b>					
मंत्रालय							
24. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	स्वीकृत	24. Ministry of Drinking Water and Sanitation	Voted	0.40	...	0.40	28
<b>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी</b>		<b>MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY</b>					
मंत्रालय							
26. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		26. Ministry of Electronics and Information Technology	Voted	0.01	0.01	0.02	29
<b>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE</b>					
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	स्वीकृत	27. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Voted	372.03	0.01	372.04	30
<b>विदेश मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS</b>					
विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	28. Ministry of External Affairs	Voted	0.01	0.02	0.03	32
<b>वित्त मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF FINANCE</b>					
आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	29. Department of Economic Affairs	Voted	36.02	100.03	136.05	33
वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	31. Department of Financial Services	Voted	0.04	292.00	292.04	35
राजस्व विभाग	स्वीकृत	33. Department of Revenue	Voted	43.69	...	43.69	37
प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	34. Direct Taxes	Voted	...	0.01	0.01	38
अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	35. Indirect Taxes	Voted	1210.49	...	1210.49	39
भास्तीय लेखा और लेखा परिक्षा विभाग	स्वीकृत	36. Indian Audit and Accounts Department	Voted	85.77	...	85.77	40
पेंशन	भारित	39. Pensions	Charged	95.00	...	95.00	41
	स्वीकृत		Voted	5905.00	...	5905.00	
<b>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES</b>					
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	41. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.02	...	0.02	42
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE</b>					
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	42. Department of Health and Family Welfare	Voted	6687.52	271.01	6958.53	43
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	43. Department of Health Research	Voted	243.39	...	243.39	46
<b>भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES</b>					
भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	44. Department of Heavy Industry	Voted	0.01	...	0.01	47
<b>गृह मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF HOME AFFAIRS</b>					
गृह मंत्रालय	स्वीकृत	46. Ministry of Home Affairs	Voted	4.04	...	4.04	48
मंत्रिमंडल	स्वीकृत	47. Cabinet	Voted	20.00	...	20.00	49
पुलिस	स्वीकृत	48. Police	Voted	4292.86	0.01	4292.87	50
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	स्वीकृत	49. Andaman and Nicobar Islands	Voted	100.00	416.02	516.02	52
चंडीगढ़	भारित	50. Chandigarh	Charged	...	317.58	317.58	53
	स्वीकृत		Voted	62.77	0.07	62.84	
दमन एवं दीव	स्वीकृत	52. Daman and Diu	Voted	0.04	20.01	20.05	55
लक्षद्वीप	स्वीकृत	53. Lakshadweep	Voted	0.02	0.09	0.11	57
<b>आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION</b>					
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	स्वीकृत	56. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	Voted	0.01	...	0.01	59
<b>मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT</b>					
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	57. Department of School Education and Literacy	Voted	650.03	...	650.03	60
उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	58. Department of Higher Education	Voted	1532.76	...	1532.76	62
<b>सूचना और प्रसारण मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING</b>					
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	59. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.03	...	0.03	64

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand	(₹ करोड़ in ₹ crore)				
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
<b>श्रम एवं रोजगार मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT</b>					
60.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय स्वीकृत	60. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.02	0.01	0.03	65
<b>विधि और न्याय मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF LAW AND JUSTICE</b>					
61.	न्याय व निधि स्वीकृत	61. Law and Justice	Voted	0.01	46.26	46.27	67
62.	निर्वाचन आयोग स्वीकृत	62. Election Commission	Voted	5.00	38.79	43.79	68
63.	विनियोग-भारत का उच्चतम न्यायालय <i>भारित</i>	63. Appropriation - Supreme Court of India	<i>Charged</i>	8.00	...	8.00	69
<b>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES</b>					
64.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय स्वीकृत	64. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.02	...	0.02	70
<b>खान मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF MINES</b>					
65.	खान मंत्रालय स्वीकृत	65. Ministry of Mines	Voted	47.00	...	47.00	71
<b>अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS</b>					
66.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय स्वीकृत	66. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.04	...	0.04	72
<b>नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY</b>					
67.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय स्वीकृत	67. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.01	...	0.01	74
<b>पंचायती राज मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ</b>					
68.	पंचायती राज मंत्रालय स्वीकृत	68. Ministry of Panchayati Raj	Voted	0.01	...	0.01	75
<b>संसदीय कार्य मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS</b>					
69.	संसदीय कार्य मंत्रालय स्वीकृत	69. Ministry of Parliamentary Affairs	Voted	0.50	...	0.50	76
<b>कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS</b>					
70.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय स्वीकृत	70. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	196.67	0.01	196.68	77
71.	<i>भारित</i>	71. Appropriation - Central Vigilance Commission	<i>Charged</i>	3.35	...	3.35	79
<b>पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS</b>					
72.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वीकृत	72. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	3.02	300.00	303.02	80
<b>योजना मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF PLANNING</b>					
73.	योजना मंत्रालय स्वीकृत	73. Ministry of Planning	Voted	27.27	...	27.27	81
<b>विद्युत मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF POWER</b>					
74.	विद्युत मंत्रालय स्वीकृत	74. Ministry of Power	Voted	2995.55	0.01	2995.56	82
<b>राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय</b>		<b>THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT</b>					
78.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय स्वीकृत	78. Secretariat of the Vice-President	Voted	1.28	...	1.28	84
79.	विनियोग- संघ लोक सेवा आयोग <i>भारित</i>	79. Appropriation - Union Public Service Commission	<i>Charged</i>	12.11	...	12.11	85
<b>रेलवे मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF RAILWAYS</b>					
80.	रेलवे मंत्रालय स्वीकृत	80. Ministry of Railways	Voted	...	0.01	0.01	86
<b>सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS</b>					
81.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय स्वीकृत	81. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	0.02	0.01	0.03	90
<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT</b>					
82.	ग्रामीण विकास विभाग स्वीकृत	82. Department of Rural Development	Voted	8394.59	...	8394.59	91
<b>विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY</b>					
84.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत	84. Department of Science and Technology	Voted	0.01	5.00	5.01	92
85.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत	85. Department of Biotechnology	Voted	38.00	...	38.00	93
<b>पोत परिवहन मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF SHIPPING</b>					
87.	पोत परिवहन मंत्रालय स्वीकृत	87. Ministry of Shipping	Voted	0.02	...	0.02	94

		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	<b>MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP</b>				
88. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	88. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	Voted 0.01	...	0.01	95
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	<b>MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT</b>				
89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	89. Department of Social Justice and Empowerment	Voted 1.51	...	1.51	96
90. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	90. Department of Empowerment of Persons with Disabilities	Voted 0.01	...	0.01	97
अंतरिक्ष विभाग	<b>DEPARTMENT OF SPACE</b>				
91. अंतरिक्ष विभाग	91. Department of Space	Voted 61.78	3.40	65.18	98
वस्त्र मंत्रालय	<b>MINISTRY OF TEXTILES</b>				
94. वस्त्र मंत्रालय	94. Ministry of Textiles	Voted 24.25	0.01	24.26	99
पर्यटन मंत्रालय	<b>MINISTRY OF TOURISM</b>				
95. पर्यटन मंत्रालय	95. Ministry of Tourism	Voted 0.01	...	0.01	101
जनजाति कार्य मंत्रालय	<b>MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS</b>				
96. जनजाति कार्य मंत्रालय	96. Ministry of Tribal Affairs	Voted 3.00	...	3.00	102
शहरी विकास मंत्रालय	<b>MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT</b>				
97. शहरी विकास विभाग	97. Ministry of Urban Development	Voted 50.01	86.02	136.03	103
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	<b>MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION</b>				
98. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	98. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted 330.08	0.01	330.09	105
महिला और बाल विकास मंत्रालय	<b>MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT</b>				
99. महिला और बाल विकास मंत्रालय	99. Ministry of Women and Child Development	Voted 0.03	...	0.03	107
युवा व्यापार और खेल मंत्रालय	<b>MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS</b>				
100. युवा मामले और खेल मंत्रालय	100. Ministry of Youth Affairs and Sports	Charged 96.87 Voted 0.01	...	96.87 0.01	108
<b>कुल जोड़</b>	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>63091.64</b>	<b>3021.70</b>	<b>66113.34</b>	
	भारित	Charged 218.36	317.58	535.94	
	स्वीकृत	Voted 62873.28	2704.12	65577.40	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS' WELFARE

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये )  
(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	52575.57	52575.57
पूँजी	Capital	...	79.43	79.43
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>52655.00</b>	<b>52655.00</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.05	0.05
पूँजी	Capital	...	12.85	12.85
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>12.90</b>	<b>12.90</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>52667.93</b>	<b>52667.93</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>52575.64</b>	<b>52575.64</b>
पूँजी	Capital	...	<b>92.29</b>	<b>92.29</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	0.01 (का)	0.01
2416-कृषि वित्तीय संस्थान	2416-Agricultural Financial Institutions	...	0.01 (खब)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>पूँजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4401-फसल कार्य पर पूँजी परिव्यय	4401-Capital Outlay on Crop Husbandry	...	0.01 (गक)	0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) हरित क्रांति- कृषोन्नति योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 6 करोड़ ) के लिए ।
- (ii) हरित क्रांति- कृषोन्नति योजना के तहत बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन परियोजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 20.62 करोड़) के लिए ।
- (iii) हरित क्रांति- कृषोन्नति योजना के तहत राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान- (₹ 6 करोड़ ) के लिए ।
- (iv) नेफेड के दावों के निपटारे के लिए एमआईएस/पीएसएस (₹ 550.70 करोड़ रुपये) के कार्यान्वयन के तहत अतिरिक्त आर्थिक सहायता के भुगतान के लिए
- (v) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत सामान्य घटक अतिरिक्त योगदान प्रदान करने के लिए घटक (₹ 758 करोड़ ), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना(₹ 170.10 करोड़ ) और जनजातीय क्षेत्र की उप योजना (₹ 80 करोड़ ) के लिए ।
- अनुदान के इसी खंड के भीतर उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) providing Grants in aid for creation of Capital Assets under National Project on Promotion of Organic Farming under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 6 crore).
- (ii) providing Grants in aid General under Sub Mission on Seeds and Planting Material under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 20.62 crore).
- (iii) additional Grants in aid General under National Project on Management of Soil Health and Fertility under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 6 crore).
- (iv) payment of additional subsidies under the scheme Market Intervention Scheme/ Price Support Scheme (₹ 550.70 crore) for reimbursement of claims of NAFED.
- (v) providing additional Contributions for General Component (₹ 758 crore), for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 170.10 crore) and for Tribal Area Sub-Plan (₹ 80 crore) under the scheme Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna.
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) किसानों को अल्पकालिक ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी के तहत अतिरिक्त सब्सिडी (₹ 2150 करोड़) प्रदान करने के लिए ।  
अनुदान के इसी खंड के भीतर उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूर्क अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) (i) हरित क्रांति- कृषोन्नति योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य के लिए (₹ 3.10 करोड़) ।  
(ii) हरित क्रांति- कृषोन्नति योजना के तहत पौध संरक्षण एवं पौध संघरोध उपमिशन के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य के लिए (₹ 1.70 करोड़) ।  
अनुदान के इसी खंड के भीतर उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूर्क अनुदान मांगा जाता है।
- (b) providing additional Subsidies under Interest Subsidies for Short Term Credit to Farmers (₹ 2150 crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) providing additional requirement for Major Works under National Project on Promotion of Organic Farming under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 3.10 crore ).  
(ii) providing additional requirement for Major Works under Sub Mission on Plant Protection and Plant Quarantine under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 1.70 crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये )  
(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	6800.00	6800.00
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>6800.00</b>	<b>6800.00</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	192.00	192.00
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>192.00</b>	<b>192.00</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>6992.01</b>	<b>6992.01</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>6992.01</b>	<b>6992.01</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education	...	191.99 (क)	191.99
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ख)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>192.00</b>	<b>192.00</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary grants are required for:

(क)	(i)	राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 73.33 करोड़)।	(a)	(i)	providing Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of National Agricultural Higher Education Project (₹ 73.33 crore).
	(ii)	राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 35.06 करोड़)		(ii)	providing Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of National Agricultural Higher Education Project (₹ 35.06 crore).
	(iii)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना। (₹ 120.40 करोड़)		(iii)	providing additional Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of ICAR Headquarter Administration (₹ 120.40 crore).
	(iv)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सहायता अनुदान-वेतन प्रदान करना। (₹ 140.91 करोड़)		(iv)	providing additional Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of ICAR Headquarter Administration (₹ 140.91 crore).
	(v)	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड को अतिरिक्त सामान्य अनुदान प्रदान करना। (₹ 1 करोड़)		(v)	providing additional Grants-in-aid General to Central Agricultural University, Bundelkhand (₹ 1 crore).
	(vi)	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना। (₹ 5 करोड़)		(vi)	providing additional Grants for creation of Capital Assets to Central Agricultural University, Bundelkhand (₹ 5 crore).
	(vii)	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान-वेतन प्रदान करना। (₹ 8 करोड़)।		(vii)	providing additional Grants-in-aid Salaries to Central Agricultural University, Bihar (₹ 8 crore).
	(viii)	फसल विज्ञान संस्थान अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाओं के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना। (₹ 9.88 करोड़)		(viii)	providing additional Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of Crop Science Institutes, Research & Education Schemes (₹ 9.88 crore).
	(ix)	फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाओं के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सामान्य अनुदान प्रदान करना। (₹ 1.40 करोड़)		(ix)	providing additional Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of Crop Science Institutes, Research & Education Schemes (₹ 1.40 crore).

- |  |  |
|--|--|
| <p>(x) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाओं के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना।(₹ 16.93 करोड़)</p> <p>(xi) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाओं के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।(₹ 0.31 करोड़)</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 191.99 करोड़ का नकद व्यय होगा।</p> | <p>(x) providing additional Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of Natural Resource Management Institutes, Research &amp; Education Schemes (₹ 16.93 crore).</p> <p>(xi) providing additional Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of Natural Resource Management Institutes, Research &amp; Education Schemes (₹ 0.31 crore).</p> <p>Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 191.99 crore.</p> |
| <p>(ख) (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंपाल को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना।(₹ 1 करोड़)</p> <p>(ii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंपाल के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।(₹ 12.87 करोड़ रूपए)</p> <p>अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है।</p>   | <p>(b) (i) Providing additional Grants for creation of Capital Assets to Central Agricultural University, Imphal (₹ 1 crore).</p> <p>(ii) Providing additional Grants-in-aid General to Central Agricultural University, Imphal (₹ 12.87 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>   |

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये )

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	2877.48	2877.48
पूंजी	Capital	...	43.52	43.52
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>2921.00</b>	<b>2921.00</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>2921.07</b>	<b>2921.07</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>2877.54</b>	<b>2877.54</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	<b>43.53</b>	<b>43.53</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry	...	0.01	(कa) 0.01
2405-मत्स्य पालन	2405-Fisheries	...	0.01	(खb) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान - सामान्य जारी करना (₹ 30.00 करोड़)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के लिए सहायता अनुदान - सामान्य जारी करना (₹ 100 करोड़)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

- (a) release of Grants-in-aid General to State Implementing Agencies under the scheme of Rashtriya Gokul Mission (₹ 30 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) release of Grants-in-aid-General to National Fisheries Development Board (₹ 100 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 4

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(\$ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	1.00	13109.36	13110.36
पूंजी	Capital	0.50	6505.58	6506.08
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>1.50</b>	<b>19614.94</b>	<b>19616.44</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	688.26	688.26
पूंजी	Capital	...	278.73	278.73
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>966.99</b>	<b>966.99</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>1.50</b>	<b>20581.93</b>	<b>20583.43</b>
राजस्व	Revenue	1.00	13797.62	13798.62
पूंजी	Capital	0.50	6784.31	6784.81
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	6.26	6.26 (का)
2801-विद्युत	2801-Power	...	0.01	0.01 (खb)
2852-उद्योग	2852-Industries	...	350.47	350.47 (गc)
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research	...	331.52	331.52 (घd)
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>688.26</b>	<b>688.26</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	113.43	113.43 (डेe)
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries	...	0.01	0.01 (चf)
6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	6801-Loans for Power Projects	...	165.29	165.29 (छg)
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>278.73</b>	<b>278.73</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>966.99</b>	<b>966.99</b>
<b>टिप्पणी:</b> अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।				
<b>Note:</b> The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय</b>	4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries	...	(-)40.21	(-)40.21

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) डीईई सचिवालय में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण संशोधित भत्तों एवं बकायों के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय (₹ 6.26 करोड़) को पूरा करना।  
इस व्यय में नकद व्यय आवश्यक होगा।
- (ख) निम्नलिखित का अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण बीएआरसी के बकायों का भुगतान (₹ 0.50 करोड़) (ii) तमिलनाडु की राज्य सरकार के माध्यम से कुडनकुलम विद्युत परियोजना में आस-पड़ोस विकास के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 109 करोड़) को पूरा करना (iii) संशोधित ब्याज दरों के कारण हेवी वाटर पूल मेनेजमेंट (₹ 70 करोड़)।  
अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting additional expenditure towards payment of revised allowances and arrears due to implementation of 7th Central Pay Commission of DAE Secretariat (₹ 6.26 crore).  
The above expenditure will entail a cash outgo.
- (b) Meeting additional expenditure towards (i) payment of 7th pay commission arrears of BARC (₹ 0.50 crore) (ii) Neighbourhood Development at Kudankulam Power Project through State Government of Tamil Nadu (₹ 109 crore) (iii) Heavy Water Pool Management (₹ 70 crore) due to revised interest rate.  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (ग) (i) बीएआरसी (₹ 80.26 करोड़) (ii) विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (₹ 10.01 करोड़) (iii) भारी पानी संयंत्र (₹ 3.28 करोड़) (iv) प्रबंधन सेवा समूह (₹ 0.08 करोड़) (v) नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र (₹ 93.53 करोड़) (vi) नाभिकीय पुनर्चक्रण बोर्ड (₹ 47.02 करोड़) (II) बीएआरसी के ओएण्डएम व्यय (₹ 2.65 करोड़) न्यूक्लीयर रिसाइकल बोर्ड (₹ 0.18 करोड़) न्यूक्लीयर फ्यूल कम्प्लेक्स (₹ 224.44 करोड़) और (vii) नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सहायता अनुदान (₹ 20 करोड़) के 7वें केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करने के कारण संशोधित भर्तों एवं बकायों के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
- अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए और ₹ 178.02 करोड़ की प्राप्त 40.21 करोड़ की वसूली से मेल को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 132.24 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (घ) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग को बकायों के भुगतान हेतु (i) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (₹ 12.41 करोड़) (ii) एटमिक मिनेरल्स डायरेक्टरेट ऑफ एक्सप्लोरेशन एण्ड रिसर्च (₹ 46.41 करोड़) (iii) भाबा एटमिक रिसर्च सेंटर (₹ 272.73 करोड़) (iv) डायरेक्टरेट ऑफ कन्स्ट्रक्शन सर्विसेज एण्ड एस्टेट मैनेजमेंट (₹ 12.64 करोड़) (V) डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एण्ड स्टोर्स (₹ 13.32 करोड़) (vi) सामान्य सेवा संगठन, कलपक्कम (₹ 14.70 करोड़) (vii) इंदिरा गाँधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (₹ 89.01 करोड़) (viii) राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र (₹ 40.37 करोड़) (ix) वायबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर (₹ 15.39 करोड़)। (II) डायरेक्टरेट ऑफ कन्स्ट्रक्शन सर्विसेज एण्ड एस्टेट मैनेजमेंट का ओएण्डएम व्यय (₹ 2.57 करोड़), (₹ 6.55 करोड़) सामान्य सेवा संगठन, कलपक्कम (₹ 34.78 करोड़) वार्षिकी (₹ 0.90 करोड़) (iii) स्वायत्त निकायों को सहायता अनुदान वेतन (₹ 23.75 करोड़) और एटमिक एनर्जी एडुकेशन सोसायटी (एईईएस) (₹ 19 करोड़) अनुदान सहायता वेतन का अतिरिक्त व्यय पूरा करना।
- इस अनुदान के इसी खंड के तहत उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 331.52 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ङ) केकेएनपीपी के लिए एनपीसीआईएल में निवेश के लिए ₹ 515 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए।
- इस अनुदान के इसी खंड के तहत उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 113.43 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (च) (i) भारी जल संयंत्रों में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करने के कारण संशोधित भर्तों एवं बकायों (₹ 39.34 करोड़) के भुगतान करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (ii) ओस्काम, ओडिशा में रेअर अर्थ्स पार्क की स्थापना के लिए (₹ 6 करोड़) का व्यय पूरा करना (iii) आंध्रप्रदेश में यूसीआईएल की तुमलापल्ली माइनिंग तथा मिलिंग परियोजना में लागत अधिक हो जाने के कारण अतिरिक्त निवेश (₹ 239 करोड़) को पूरा करना। (iv) एएमडी (₹ 0.68 करोड़) (v) फीड स्टॉक (₹ 49.18 करोड़)।
- अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, उपरोक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (छ) केकेएनपीपी-3 एवं 4 के तहत एनपीसीआईएल के लिए अतिरिक्त ऋण (रूसी ऋण) को पूरा करना। (₹ 550 करोड़)
- इस अनुदान के इसी खंड के तहत उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 165.29 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (c) Meeting additional expenditure towards payment of revised allowances and arrears due to implementation of 7th Central Pay Commission of (i) BARC (₹ 80.26 crore) (ii) Board of Radiation and Isotope Technology (₹ 10.01 crore) (iii) Heavy Water Plants (₹ 3.28 crore) (iv) Management Services Group (₹ 0.08 crore) (v) Nuclear Fuel Complex (₹ 93.53 crore) (vi) Nuclear Recycle Board (₹ 47.02 crore) (II) O&M expenditure of BARC (₹ 2.65 crore), Nuclear Recycle Board (₹ 0.18 crore), Nuclear Fuel Complex (₹ 224.44 crore) and (vii) Grant in aid to Electronics Corporation of India Limited to undertake development of new projects (₹ 20 crore)
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant and matching receipts of ₹ 178.02 crore & recoveries of ₹ 40.21 crore, this will entail a cash outgo of ₹ 132.24 crore.
- (d) meeting additional expenditure towards payment of (I) 7th Central Pay Commission arrears of (i) Atomic Energy Regulatory Board (₹ 12.41 crore) (ii) Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (₹ 46.41 crore) (iii) Bhabha Atomic Research Centre (₹ 272.73 crore) (iv) Directorate of Construction Services and Estate Management (₹ 12.64 crore) (V) Directorate of Purchase and Stores (₹ 13.32 crore) (vi) General Services Organisation, Kalpakkam (₹ 14.90 crore) (vii) Indira Gandhi Centre for Atomic Research (₹ 89.01 crore) (viii) Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹ 40.37 crore) (ix) Variable Energy Cyclotron Centre (₹ 15.39 crore) (II) O&M expenditure of Variable Energy Cyclotron Centre (₹ 2.57 crore), Directorate of Construction Services and Estate Management (₹ 6.55 crore), General Services Organisation, Kalpakkam (₹ 34.78 crore) Anunet (₹ 0.90 crore) (III) Grant in aid salary of Autonomous Bodies (₹ 23.75 crore) and of Atomic Energy Education Society (AEES) (₹ 19 crore).
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 331.52 crore.
- (e) meeting expenditure of ₹ 515 crore towards investment in NPCIL for KKNPP 5&6.
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 113.43 crore.
- (f) (i) Meeting additional expenditure towards payment of revised allowances and arrears due to implementation of 7th Central Pay Commission of Heavy Water Plants (₹ 39.34 crore), (ii) Meeting expenditure for setting up Rare Earths Park at OSCOM, Odisha (₹ 6 crore). (iii) Meeting additional investment towards cost over run in Tumallapalle Mining and Milling Project at Andhra Pradesh of UCIL (₹ 239 crore), (iv) AMD (₹ 0.68 crore), (v) Feedstock (₹ 49.18 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (g) Meeting expenditure on additional loan (Russian Credit) to NPCIL towards KKNPP-3&4 (₹ 550 crore).
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 165.29 crore.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 5**

**आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय**

**MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		<i>(₹ करोड़) (In ₹ crores)</i>		
		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	1425.35	1425.35
पूँजी	Capital	...	3.30	3.30
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>1428.65</b>	<b>1428.65</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	101.15	101.15
पूँजी	Capital	...	28.00	28.00
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>129.15</b>	<b>129.15</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>1557.81</b>	<b>1557.81</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>1526.51</b>	<b>1526.51</b>
पूँजी	<b>Capital</b>	...	<b>31.30</b>	<b>31.30</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	50.15 (का)	50.15
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	13.00 (खब)	13.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	38.00 (गक)	38.00
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>101.15</b>	<b>101.15</b>
<b>पूँजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	28.00 (घद)	28.00
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>129.15</b>	<b>129.15</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) योजना के तहत स्वच्छता कार्य योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान-(1) फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसीन (पीसीआईएम) (₹ 0.05 करोड़) (2) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली (₹ 0.01 करोड़) (3) स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर (₹ 0.05 करोड़) (4) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (₹ 0.65 करोड़) (5) आयुर्वेदिक विज्ञान में केंद्रीय अनुसंधान परिषद् (₹ 0.01 करोड़) (6) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (₹ 0.02 करोड़) (7) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता (₹ 0.05 करोड़) (8) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् (₹ 0.10 करोड़) (9) राष्ट्रीय यूनानी मेडिसीन संस्थान, बेंगलूर (₹ 2.45 करोड़) (10) यूनानी मेडिसीन में केंद्रीय अनुसंधान परिषद् (₹ 0.28 करोड़) (11) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई (₹ 0.58 करोड़) (12) केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद् (₹ 0.40 करोड़) (13) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (₹ 0.36 करोड़) और (14) उत्तर पूर्वी आयुर्वेद होम्योपैथी संस्थान, शिलांग (₹ 0.05 करोड़) (15) उत्तर पूर्वी लोक औषध संस्थान, पासीघाट (₹ 0.28 करोड़) (16) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (₹ 0.18 करोड़) (ii) योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (1) केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान में अनुसंधान परिषद् (₹ 34.37 करोड़) (2) यूनानी मेडिसीन में केंद्रीय अनुसंधान परिषद् (₹ 12.93 करोड़), (3) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् (₹ 6.90 करोड़) (4) केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद् (₹ 4 करोड़) (5) आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर (₹ 2 करोड़) (6) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (₹ 10 करोड़) (7) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई (₹ 0.18 करोड़) (8) राष्ट्रीय यूनानी मेडिसीन

The supplementary grants are required for:

- (a) (i). Grants in Aid General for Swachhta Action Plan under the scheme:- (1) Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine(PCIM) (₹ 0.05 crore), (2) All India Institute of Ayurveda(AIIA), New Delhi (₹ 0.01 crore), (3) Institute of Post Graduate Teaching & Research in Ayurveda, Jamnagar (₹ 0.05 crore), (4) National Institute of Ayurveda, Jaipur (₹ 0.65 crore), (5)Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (₹ 0.01 crore), (6) Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (₹ 0.02 crore), (7) National Institute of Homoeopathy, Kolkatta (₹ 0.05 crore), (8) Central Council for Research in Homoeopathy (₹ 0.10 crore), (9) National Institute of Unani Medicine, Bengalore (₹ 2.45 crore), (10) Central Council for Research in Unani Medicine (₹ 0.28 crore) (11) National Institute of Siddha, Chennai (₹ 0.58 crore), (12) Central Council for Research in Siddha (₹ 0.40 crore), (13) National Institute of Naturopathy (₹ 0.36), (14) North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong (₹ 0.05 Crore), (15) North Eastern Institute of Folk Medicine, Passsighat (₹ 0.28 Crore) and (16) Morarji Desai National Institute of Yoga (₹ 0.18 crore). (ii) Grant in Aid Salaries under the scheme-(1) Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (₹ 34.37 crore) (2) Central Council for Research in Unani Medicine (₹ 12.93 crore), (3) Central

संस्थान, बंगलोर (₹ 0.79 करोड़) और (9) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (₹ 0.52 करोड़) (iii) इस योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (1) अनुसंधान संस्थान के माध्यम से बाह्य अनुसंधान परियोजना (प्राइवेट/अर्ध सरकारी/सरकारी/विश्वविद्यालय/गैर सरकारी संगठन (₹ 3.98 करोड़) 2. आयुष शिक्षा / औषधि विकास और अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान फोक मेडिसीन में लगे गैर - सरकारी / निजी क्षेत्र में उत्कृष्ट मान्यता प्राप्त आयुष केंद्रों को सहायता (₹ 7 करोड़), (3) आयुष कार्मिकों को पुनः अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम/मेडिकल शिक्षा जारी रखना (आरओटीपी/सीएमई) (₹ 2 करोड़) (4) अंतरराष्ट्रीय संवर्धन सहयोग (₹ 2.28 करोड़) और (5) एएसयू ड्रग्स हेतु फार्माकॉ-विजिलेंस पहल (₹ 0.50 करोड़) (iv) अनुसंधान संस्थान (प्राइवेट/अर्ध सरकारी/सरकारी विश्वविद्यालय) के माध्यम से बाह्य भित्ति अनुसंधान परियोजना स्कीम के तहत अन्य प्रभार (₹ 0.02 करोड़) (v) योजना के तहत विज्ञापन और प्रचार, सूचना, शिक्षा और संचार पर व्यय (₹ 3 करोड़)।

Council for Research Homoeopathy (₹ 6.90 crore), (4) Central Council for Research in Siddha (₹ 4 crore), (5) Institute of Post Graduate Teaching & Research in Ayurveda, Jamnagar (₹ 2 crore), (6) National Institute of Ayurveda, Jaipur (₹ 10 crore), (7) National Institute of Siddha, Chennai (0.18 crore), (8) National Institute of Unani Medicine, Bangalore (₹ 0.79 crore), and (9) Morarji Desai National Institute of Yoga (₹ 0.52 crore). (iii) Grants in Aid General under the scheme (1) Extra Mural Research Projects through Research Institute (Pvt./Semi Govt./Govt./Universities/NGO) (₹ 3.98 crore), (2) Assistance to accredited AYUSH Centres of Excellence in non-governmental/Private Sector engage in AYUSH Education/Drug Development & Research/Clinical Research/Folk Medicine etc. (₹ 7 crore), (3) Re-orientation Training Programme of AYUSH personnel/Continuing Medical Education(ROTP/CME) (₹ 2 crore), (4) Promotion of International Cooperation (₹ 2.28 crore) and (5) Pharmacovigilance initiative for ASU drugs (₹ 0.50 crore) (iv) Other Charges under the scheme Extra Mural Research Projects through Research Institute (Pvt./Semi Govt./Govt./Universities/NGO) etc.(₹ 0.02 crore). (v) Advertisement & publicity under the scheme, Expenditure on Information, Education and Communication (₹ 3 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए उपयुक्त व्यय में ₹ 50.15 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा

- (ख) (i) योजना के तहत स्वच्छता कार्य योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (1) उत्तर पूर्व आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलॉंग (₹ 0.05 करोड़) और (2) उत्तर पूर्व फॉक मेडिसीन संस्थान पास्सीघाट (₹ 0.28 करोड़) (ii) उत्तर पूर्व आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान शिलांग योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (₹ 1.45 करोड़) (iii) राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6 करोड़) (iv) राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 6 करोड़)

Taking into Account the savings available in the same section of the grant this will entail a net cash outgo of ₹ 50.15 crore.

((i). Grants in Aid General for Swachhta Action Plan under the scheme (1) North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong (₹ 0.05 crores) and (2) North Eastern Institute of Folk Medicine, Passsighat- (₹ 0.28 crore) (ii) Grants-in-Aid Salary under the scheme North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong (₹ 1.45 crores). (iii) Grants-in-Aid General under the scheme National AYUSH Mission (NAM)(₹ 6 crore) (iv) Grants for Creation of Capital Assets under National Ayush Mission (₹ 6 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए उपयुक्त व्यय में ₹ 13 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

- (ग) (i) राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 35.18 करोड़) (ii) राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 23 करोड़)

Taking into Account the savings available in the same section of the grant this will entail a net cash outgo of ₹ 13 crore.

(i) Grants-in-Aid General under the scheme National AYUSH Mission (NAM) (₹ 35.18 crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National AYUSH Mission (NAM) (₹ 23 crore)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए उपयुक्त व्यय में ₹ 38 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

- (घ) कार्यालय भवन के अधिग्रहण योजना के तहत मुख्य निर्माण कार्य (₹ 28 करोड़)। उपयुक्त व्यय में निवल नकद व्यय होगा।

Taking into Account saving available in the same section, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 38 crore.

meeting expenditure of Major works for Acquisition of Office Building (₹ 28 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 7**

**उर्वरक विभाग**

**DEPARTMENT OF FERTILISERS**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये )  
(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	74264.67	74264.67
पूंजी	Capital	...	0.04	0.04
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>74264.71</b>	<b>74264.71</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	20532.51	20532.51
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>20532.51</b>	<b>20532.51</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>94797.23</b>	<b>94797.23</b>
राजस्व	Revenue	...	94797.19	94797.19
पूंजी	Capital	...	0.04	0.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	0.01 (का)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	20532.50 (खब)	20532.50
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>20532.51</b>	<b>20532.51</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) पिछले वर्ष की अग्रोषित की गई देनदारियों को निपटाने के लिए देसी पी एंड के हेतु व्यय पूरा करना (₹ 2,020 करोड़)  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (I) पिछले वर्ष की अग्रोषित की गई देनदारियों को निपटाने के लिए यूरिया भाड़ा सब्सिडी हेतु व्यय पूरा करना (₹ 2,000 करोड़) (II) तीन उर्वरक के सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों के संबंध में प्रोद्भूत सरकारी ऋण और ब्याज की कुल राशि को बट्टे खाते डालने हेतु (i) भारतीय उर्वरक निगम लि. (31.03.2012 की स्थिति के अनुसार ₹ 10,643.75 करोड़) (ii) हिंदुस्तान उर्वरक निगम लि. (31.03.2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 9,079.49 करोड़) और (iii) ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लि. (21.05.2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 809.26 करोड़)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए और ₹ 20,532.50 करोड़ के समतुल्य प्राप्तियों के समान होने के कारण कोई नकदी व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting expenditure for Indigenous P&K to clear the carry over liabilities of previous years (₹ 2,020 crore)  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure for (I) Urea Freight Subsidy to clear the carry over liabilities of previous years (₹ 2,000 crore) (II) writing off the total amount of Government loan and interest accrued thereon in respect of three Fertilisers' Public Sector Units (i) Fertiliser Corporation of India Limited (₹ 10,643.75 crore as on 31.03.2012), (ii) Hindustan Fertilisers Corporation Ltd. (₹ 9,079.49 crore as on 31.03.2015) and (iii) Brahmaputra Valley Fertiliser Corporation Ltd. (₹ 809.26 crore as on 21.05.2015) .  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant and matched by equivalent receipts of ₹ 20,532.50 crore, this will not entail cash outgo.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 8**

**भेषज विभाग**

**DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	247.68	247.68
पूंजी	Capital	...	0.06	0.06
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>247.74</b>	<b>247.74</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	18.35	18.35
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>18.35</b>	<b>18.35</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>266.09</b>	<b>266.09</b>
राजस्व	Revenue	...	266.03	266.03
पूंजी	Capital	...	0.06	0.06
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	4.85 (क)	4.85
2852-उद्योग	2852-Industries	...	13.50 (ख)	13.50
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>18.35</b>	<b>18.35</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र राष्ट्रीय फार्मास्टीकल्स व्यय को पूरा करने के लिए शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 7.35 करोड़) के लिए।  
इस अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत (₹ 2.5 करोड़) के मद्देनजर इस पर ₹ 4.85 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ख) व्यय पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान और पूंजी आस्तियों के सृजन के अंतर्गत (i) राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान हैदराबाद (₹ 10 करोड़), राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान कोलकाता (₹ 2.50 करोड़) और राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान रायबरेली (₹ 1 करोड़)। (ii) सामान्य सहायता अनुदान के तहत एनआईपीईआर टीबी और काला अजर रोधी (₹ 2.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत (₹ 13.50 करोड़) को देखते हुए इसमें ₹ 2.5 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting expenditure for North Eastern Area National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 7.35 Crore )  
Taking into account the savings available in the same section (₹ 2.5 Crore) of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 4.85 crore.
- (b) Meeting expenditure for (i) National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER) Hyderabad (₹ 10 Crore), National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER) Kolkata (₹ 2.50 Crore) & National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER) Rai Bareli (₹ 1 Crore) under Grants in Aid –General and Grants for Creation of Capital Assets. (ii) NIPER's Anti TB and Kala Azar under Grants in Aid –General (₹ 2.50 crore).  
Taking into account the savings available in the same section (₹ 2.5 Crore) of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 13.50 Crore.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 9**

**नागर विमानन मंत्रालय**

**MINISTRY OF CIVIL AVIATION**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये )  
(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	781.34	781.34
पूंजी	Capital	...	1920.70	1920.70
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>2702.04</b>	<b>2702.04</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	85.22	85.22
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>85.23</b>	<b>85.23</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>2787.29</b>	<b>2787.29</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>866.58</b>	<b>866.58</b>
पूंजी	Capital	...	<b>1920.71</b>	<b>1920.71</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	5.45 (का)	5.45
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	25.00 (खb)	25.00
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	54.77 (गc)	54.77
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>85.22</b>	<b>85.22</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5053-नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation	...	0.01 (घd)	0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>85.23</b>	<b>85.23</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त निधि प्रदान कराना (₹ 1.30 करोड़), विज्ञापन एवं प्रचार (₹ 0.90 करोड़), सूचना प्रौद्योगिकी - कार्यालय व्यय (₹ 1.85 करोड़), विदेशी यात्रा व्यय (₹ 0.40 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 0.70 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 0.30 करोड़)	(a)	providing additional funds under Salary (₹ 1.30 crore), Advertising & Publicity (₹ 0.90 crore), Information Technology – Office Expenses (₹ 1.85 crore), Foreign Travel Expenses (₹ 0.40 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 0.70 crore), Office Expenses (₹ 0.30 crore).
	अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत राशि के अभ्यर्षण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा		Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ख)	विशेष कार्य के लिए सब्सिडी योजना के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना (₹ 25 करोड़)	(b)	providing additional subsidy under the scheme of Subsidy for Special Operation (₹ 25 crore) .
	अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्षण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में ₹ 8.24 करोड़ का व्यय होगा।		Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 8.24 crore.
(ग)	(i) वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त निधि की आवश्यकता पूरी करना (₹ 1.94 करोड़), किराया, दरें और कर (₹ 7.46 करोड़), व्यावसायिक सेवा (₹ 2.01 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹ 0.80 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 1.18 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 10.07 करोड़), चिकित्सा व्यय (₹ 0.26 करोड़) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 1.28 करोड़)	(c)	(i) meeting additional requirement under Salary (₹ 1.94 crore), Rent, Rates & Taxes (₹ 7.46 crore), Professional Services (₹ 2.01 crore), Foreign Travel Expenses (₹ 0.80 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 1.18 crore), Office Expenses (₹ 10.07 crore), Medical Expenses (₹ 0.26 crore) and Other Administrative Expenses (₹ 1.28 crore).

- |  |   |
|--|---|
| <p>(ii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 49.93 करोड़)।</p>   | <p>(ii) providing additional Grants for creation of Capital assets to Airports Authority of India for development of Pakyong Airport (₹ 49.93 crore).</p>   |
| <p>(iii) विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अन्तर्गत अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 7 करोड़)<br/>अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(iii) providing additional funds under Grants-in-aid General to Airports Economic Regulatory Authority (₹ 7 crore).<br/>Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> |
| <p>(घ) एयर इंडिया और अन्यो के विनिवेश के लिए विशेष प्रयोजन वाहन के सृजन के लिए (₹ 0.10 करोड़)।<br/>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।</p>   | <p>(d) creation of Special Purpose Vehicle for disinvestment of Air India and others (₹ 0.10 crore).<br/>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>   |

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 11**

**वाणिज्य विभाग**

**DEPARTMENT OF COMMERCE**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये )  
(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	0.06	4314.55	4314.61
पूंजी	Capital	...	151.22	151.22
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>0.06</b>	<b>4465.77</b>	<b>4465.83</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	40.00	40.00
पूंजी	Capital	...	1.39	1.39
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>41.39</b>	<b>41.39</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	1077.52	1077.52
पूंजी	Capital	...	59.00	59.00
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>1136.52</b>	<b>1136.52</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>0.06</b>	<b>5643.68</b>	<b>5643.74</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	<b>0.06</b>	<b>5432.07</b>	<b>5432.13</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	<b>211.61</b>	<b>211.61</b>

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	10.00	(क)	10.00
2057-आपूर्ति और निपटान	2057-Supplies and Disposals	...	60.00	(ख)	60.00
2407-पौधारोपण	2407-Plantations	...	0.01	(ग)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(घ)	0.01
3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion	...	1007.50	(ङ)	1007.50
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>1077.52</b>		<b>1077.52</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	59.00	(च)	59.00
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>1136.52</b>		<b>1136.52</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	संभार प्रभाग सहित सचिवालय संबंधी व्यय की ₹ 10 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा;	(a)	meeting the additional requirement of ₹ 10 crore for Secretariat expenditure including expenditure for logistic division. The above expenditure will entail a cash outgo;
(ख)	सरकार के ई विपणन स्थान विशेष प्रयोजन वाहन (जीईएम एसपीवी) कम्पनी के परिचालन व्यय के लिए ₹ 60 करोड़ के सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा;	(b)	meeting the additional requirement of ₹ 60 crore as "Grants in Aid General" towards the operational expenses of Government e-Marketplace Special Purpose Vehicle (GeM SPV). The above expenditure will entail a cash outgo;
(ग)	टी बोर्ड (₹ 0.50 करोड़), कॉफी बोर्ड (₹ 1.51 करोड़), रबड़ बोर्ड (₹ 0.36 करोड़) और मसाला बोर्ड (₹ 0.25 करोड़) हेतु स्वच्छ कार्य योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान; रबड़ बोर्ड (₹ 0.49 करोड़) सब्सिडियों (₹ 7.38 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान, मसाला बोर्ड के लिए (₹ 0.01 करोड़) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु।  अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	meeting the additional requirement towards GIA General for Swachta Action Plan for Tea Board (₹ 0.50 crore), Coffee Board (₹ 1.51 crore), Rubber Board (₹ 0.36 crore) and Spices Board (₹ 0.25 crore); towards GIA Salary (₹ 0.49 crore) in Rubber Board and towards GIA General (₹ 1.94 crore), subsidies (₹ 7.38 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) for Spices Board. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	सामान्य सहायता अनुदान टी बोर्ड के लिए सब्सिडियां (₹ 2.00 करोड़), जीआईए सामान्य के लिए (₹ 2.30 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए और कॉफी बोर्ड के लिए (₹ 0.49 करोड़) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए।	(d)	meeting the additional requirement towards GIA General (₹ 2.30 crore) and Subsidies (₹ 2.00 crore) under Tea Board and Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.49 crore) under Coffee Board.

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ड) (I) कतिपय रोजगार गहन क्षेत्र में ब्याज समकरण स्कीम के अन्तर्गत सब्सिडी प्रयोजन शीर्ष के लिए ₹ 900 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
- (II) नेटवर्किंग सेन्टर, एफडीडीआई, सीएनसी के तहत प्रयोजन शीर्ष पूंजीगत आस्तियों का सृजन के लिए ₹ 5 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
- (III) सामान्य सुविधा केन्द्र परियोजना के पहले चरण को समयबद्ध पूरा करने के लिए ₹ 5 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
- (IV) यातायात सहायता और अवसंरचना विभाग की लम्बित देनदारियों के लिए कृषि उत्पाद विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) की ₹ 87.50 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
- (V) डब्ल्यू टी ओ में अंशदान हेतु भारत सरकार की प्रतिबद्ध देनदारी को पूरा करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के अन्तर्गत प्रयोजन शीर्ष (अंशदान) के लिए ₹ 10.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

उपर्युक्त व्यय में नकद आहरण होगा;

- (च) वाणिज्य विभाग बड़े निर्माण कार्य के लिए नए कार्यालय भवन (वाणिज्य भवन) के निर्माण के लिए लोक निर्माण कार्य संबंधी शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 59 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
- उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा;

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (e) (I) meeting the additional requirement of ₹ 900 crore towards object head 'Subsidies' under Interest Equalization Scheme for certain employment intensive sectors to boost the exports.
- (II) meeting the additional requirement of ₹ 5 crore towards the object head 'Creation of Capital Assets' under Networking Centre FDDI, CNC.
- (III) meeting the additional requirement of ₹ 5 crore under Gem & Jewellery Sector to complete the first phase of common Facility Centre project in a time bound manner.
- (IV) meeting the additional requirement of ₹ 87.50 crore under Agricultural Product Export Development Authority (APEDA) for pending liabilities on account of Transport Assistance and Infrastructure Development.
- (V) meeting the additional requirement of ₹ 10 crore towards the object head 'Contribution' under International Cooperation for meeting out committed liability of Government of India towards Contribution to the WTO.

The above expenditure will entail a cash outgo;

- (f) meeting the additional requirement of ₹ 59 crore under the head 'Capital outlay on public works' for construction of new office building (Vanijya Bhavan) for Deptt. of Commerce (Major Works). The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 12  
औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये )  
(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) ( In ₹ crores )		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	3599.19	3599.19
पूंजी	Capital	...	9.68	9.68
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>3608.87</b>	<b>3608.87</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	2000.00	2000.00
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>2000.00</b>	<b>2000.00</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>5608.92</b>	<b>5608.92</b>
राजस्व	Revenue	...	5599.23	5599.23
पूंजी	Capital	...	9.69	9.69
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01 (क)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ख)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01 (ग)	0.01
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	...	0.01 (घ)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4875-अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4875-Capital Outlay on Other Industries	...	0.01 (ड)	0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary grants are required for:

(क)	"लघु निर्माण कार्य" प्रयोजन शीर्ष के तहत पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के तहत ₹ 1 करोड़ की आवश्यकता पूरी करना।	(a)	meeting additional requirement of ₹ 1 crore under Petroleum and Explosive Safety Organisation under the object head "Minor Works".
(ख)	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपी) के अंतर्गत ₹ 183 करोड़ की अतिरिक्त मांग को पूरा करना और लंबित वचनबद्ध देयताओं के निपटान के लिए "राजसहायता" प्रयोजन शीर्ष के तहत परिवहन राजसहायता योजना/एफएसएस के अंतर्गत ₹ 306 करोड़ की अतिरिक्त मांग को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(b)	meeting additional requirement of ₹ 183 crore under North East Industrial and Investment Promotion Policy (NEIIP) and ₹ 306 crore under Transport Subsidy Scheme/FSS under the object head "Subsidies" for settlement of pending committed liabilities. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	एनआईडी, जोरहाट के निर्माण कार्य हेतु "पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान" प्रयोजन शीर्ष के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के तहत स्वायत्त संस्थाओं को परियोजना आधारित सहायता के अन्तर्गत ₹ 130 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना, "वैतन सहायता अनुदान" प्रयोजन शीर्ष के तहत स्वायत्त निकायों (डीसीपीएआई और एनपीसी) को सहायता के तहत ₹ 8 करोड़, "विज्ञापन और प्रचार" और पेशेवर सेवा के तहत स्टार्ट अप इंडिया के अंतर्गत ₹ 5 करोड़, प्रयोजन शीर्ष (पेशेवर सेवा) के तहत राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु योजना के तहत ₹ 0.37 करोड़।	(c)	meeting additional requirement of ₹ 130 crore under Project Based Support to Autonomous Institutions under the object head "Grants for creation of Capital Assets" for construction work of NID, Jorhat, ₹ 8 crore under Assistance to Autonomous Bodies (DCPPAI and NPC) under the object head "Grants-in-aid Salaries", ₹ 5 crore under Startup India under the Object Head "Advertising & Publicity" and "Professional Services" and ₹ 0.37 crore under Scheme for implementation of National Manufacturing Policy under the Object Head "Professional Services".

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) पूर्व-परियोजना व्यय हेतु प्रयोजन शीर्ष "पूँजी आस्तियों के सृजन " के तहत प्रदर्शनी सह-सम्मेलन केन्द्र द्वारका के अंतर्गत ₹ 495 करोड़ और लंबित प्रतिबद्ध देयताओं के निपटान हेतु "राजसहायता " प्रयोजन शीर्ष के तहत जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हेतु विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज के तहत ₹ 54 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरी करना।

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ड) "निवेश" प्रयोजन शीर्ष के तहत एसपीवी को इक्विटी अंशदान हेतु "प्रदर्शनी-सह-कन्वेंशन सेंटर (ईसीसी द्वारका" के तहत ₹ 5 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional requirement of ₹ 495 crore under Exhibition-cum-Convention Centre (ECC), Dwarka under the object head "Grants for creation of Capital Assets" for pre-project Expenditure, and ₹ 54 crore under Package for Special Category States for J&K, Himachal Pradesh & Uttarakhand under the object head "Subsidies" for settlement of pending committed liabilities.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement of ₹ 5 crore under "Exhibition-cum-convention Centre (ECC, Dwarka" for Equity contribution to SPV under object head "Investments".

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 13

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	0.60	25057.61	25058.21
पूंजी	Capital	...	495.00	495.00
जोड़	<b>Total</b>	<b>0.60</b>	<b>25552.61</b>	<b>25553.21</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	3.01	204.00	207.01
पूंजी	Capital	...	216.00	216.00
जोड़	<b>Total</b>	<b>3.01</b>	<b>420.00</b>	<b>423.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>3.61</b>	<b>25972.61</b>	<b>25976.22</b>
राजस्व	Revenue	3.61	25261.61	25265.22
पूंजी	Capital	...	711.00	711.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services	3.01 (का)	204.00 (खb)	207.01
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5201-डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5201-Capital Outlay on Postal Services	...	216.00 (गc)	216.00
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>3.01</b>	<b>420.00</b>	<b>423.01</b>

यह पूरक अनुदानेविनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण केन्टोनमेंट बोर्ड आगरा को सेवा प्रभार के रूप में ₹ 3.01 करोड़ का भुगतान
- (ख) एयर इण्डिया और अन्य निजी एयरलाइनों को देय ₹ 200 करोड़ के वायु डाक प्रभार और डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा एजेंटों को प्रोत्साहन, नासिक और हैदराबाद में प्रतिभूति प्रेस को मुद्रण शुल्क, स्थानीय निगम प्राधिकरण द्वारा लगाए गए करों और किराया दर के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए स्वच्छ कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए ₹ 4 करोड़, और
- (ग) स्वच्छ कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए ₹ 16 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए और डाक घरों में आधार नामांकन और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना के लिए ₹ 200 करोड़। इन सभी पूरक अनुदानों में ₹ 423.01 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grants/appropriations are required for:

- (a) payment of ₹ 3.01 crore as service charges to Cantonment Board, Agra arising out of Supreme Court Judgement;
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 200 crore on air mail charges payable to Air India and other private airlines, incentive to Postal Life Insurance/Rural Postal Life Insurance agents, printing charges to Security Press at Nasik and Hyderabad, rent, rates and taxes levied by local municipal authorities and ₹ 4 crore for implementation of Swachhta Action Plan ; and
- (c) meeting additional expenditure of ₹ 16 crore for implementation of 'Swachhta Action Plan' and ₹ 200 crore for establishing Aadhaar enrolment and updation centres in Post Offices. All the supplementaries will entail a net cash outgo of ₹ 423.01 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 14

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	35192.65	35192.65
पूंजी	Capital	...	3386.00	3386.00
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>38578.65</b>	<b>38578.65</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	35.00	35.00
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>35.02</b>	<b>35.02</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>38613.67</b>	<b>38613.67</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>35192.67</b>	<b>35192.67</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	<b>3421.00</b>	<b>3421.00</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01 (क)	0.01
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5275-Capital Outlay on Other Communication Services	...	35.00 (ग)	35.00
जोड़ (पूरक)	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>35.02</b>	<b>35.02</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) मोबाइल टावर और हैंडसेट से विकिरण संपर्क के प्रभाव पर अध्ययन आयोजित करने हेतु ₹ 4.95 करोड़ का व्यय करना।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास प्रतिष्ठान' स्थापित करने के लिए ₹ 5 करोड़ व्यय करना;
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) देसी 5जी टेस्ट बेड स्थापित करने के लिए ₹ 35 करोड़ व्यय करना;
- अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए इस पूरक अनुदान में नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) incurring an expenditure of ₹ 4.95 crore towards conducting a study on the impact of radiation exposure from mobile towers and handsets;
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) incurring an expenditure of ₹ 5 crore towards establishing 'Pandit Deen Dayal Upadhyay Kaushal Vikas Pratishthan';
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) incurring an expenditure of ₹ 35 crore towards setting up an indigenous 5G Test Bed.
- Taking into account the savings available in the Revenue Section of the Grant, this supplementary will not entail cash outgo.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 15**

**उपभोक्ता मामले विभाग**

**DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये )  
(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 11 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) ( In ₹ crores )		
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	3723.10	3723.10
पूंजी	Capital	...	21.35	21.35
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>3744.45</b>	<b>3744.45</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	500.00	500.00
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	8.50	8.50
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>8.51</b>	<b>8.51</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>4252.96</b>	<b>4252.96</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>4223.11</b>	<b>4223.11</b>
पूंजी	Capital	...	<b>29.85</b>	<b>29.85</b>

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies	...	0.01 (का)	0.01
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4552-पूर्वात्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	1.35 (खb)	1.35
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	7.15 (गc)	7.15
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>8.51</b>	<b>8.51</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए उपभोक्ता मंचों को अनुदान (₹ 0.16 करोड़) जारी करना और उपभोक्ता संरक्षण एकाई की स्वच्छता कार्य योजना के तहत स्वच्छ बाजार के लिए अन्य प्रभारों के तहत निधियों (₹ 0.05 करोड़)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक की मांग की गई है।	(a)	release of Grants for creation of Capital Assets to Consumer Fora (₹ 0.16 crore) and providing funds under 'Other Charges' of Clean Market (₹ 0.05 crore) under Swachhata Action Plan of Consumer Protection Cell. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	बाट तथा माप के सुदृढीकरण की स्कीम के तहत 'मशीनरी और उपकरण' के लिए निधियां प्रदान करना (₹ 1.35 करोड़)। अनुदान के राजस्व खंड में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त खर्च से किसी प्रकार का अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	providing funds for 'Machinery and Equipment' under the scheme of Strengthening of Weights and Measures (₹ 1.35 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ग)	बाट तथा माप के सुदृढीकरण की स्कीम के तहत 'मशीनरी और उपकरण' के लिए निधियां प्रदान करना (₹ 7.15 करोड़)। अनुदान के राजस्व खंड में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त खर्च से किसी प्रकार का अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(c)	providing funds for 'Machinery and Equipment' under the scheme of Strengthening of Weights and Measures (₹ 7.15 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 16  
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये )  
(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	150952.64	150952.64
पूंजी	Capital	...	50523.05	50523.05
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>201475.69</b>	<b>201475.69</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	52.11	52.11
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>52.11</b>	<b>52.11</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	0.02	3486.99	3487.01
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>0.02</b>	<b>3487.01</b>	<b>3487.03</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>0.02</b>	<b>205014.81</b>	<b>205014.83</b>
राजस्व	Revenue	0.02	154491.74	154491.76
पूंजी	Capital	...	50523.07	50523.07

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	3480.44	3480.44 (क)
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	4.40	4.40 (ख)
3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies	0.02 (ग)	2.15	2.17 (घ)
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	<b>0.02</b>	<b>3486.99</b>	<b>3487.01</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजी परिव्यय	4408-Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	...	0.01	0.01 (ङ)
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	...	0.01	0.01 (च)
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>0.02</b>	<b>3487.01</b>	<b>3487.03</b>

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants/appropriations are required for:

(क) (i) अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने के लिए (क) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से भा.खा.नि. को दिए गए ऋण के संबंध में ब्याज देनदारी का भुगतान (₹ 3080 करोड़) और (ख) भा.खा. नि. को खाद्य सब्सिडी (₹ 276.27 करोड़)	(a) (i) providing additional subsidy for (a) payment of interest liability in respect of loan granted to FCI from National Small Savings Fund (₹ 3080 crore) and (b) food subsidy to FCI (₹ 276.27 crore).
(ii) चीनी मिलों को कम ब्याज पर ऋण देने के लिए ब्याज माफ करना (₹ 5.06 करोड़)। व्यय शर्करा विकास निधि से पूरा किया जाएगा।	(ii) providing interest subvention for extending soft loans to Sugar Mills (₹ 5.06 crore). The expenditure will be met from Sugar Development Fund.
(iii) (पीडीएस प्रचालनों का सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 19.59 करोड़) और अन्य प्रभारों के अन्तर्गत अतिरिक्त निधियां (₹ 0.58 करोड़) जारी करना।	(iii) release of Grants-in-aid General (₹ 19.59 crore) and providing additional funds under 'Other Charges' (₹ 0.58 crore) under the scheme of 'Strengthening of PDS Operations'.
(iv) चीनी विकास निधि में अंतरण (₹ 104 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध (₹ 5.06 करोड़) के बचत को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में ₹ 3480.44 करोड़ निवल नकद व्यय होगा।	(iv) transfer to Sugar Development Fund (₹ 104 crore). Taking into account the savings available within the same section of the Grant (₹ 5.06 crore), the above expenditure will entail net cash outgo of ₹ 3480.44 crore.
(ख) पीडीएस प्रचालनों का सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.40 करोड़) जारी करना। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।	(b) releasing Grants-in-aid General under the scheme of 'Strengthening of PDS Operations' (₹ 4.40 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;

- (ग) पूर्व केन्द्रीय सतर्कता समिति के कर्मचारियों के वेतन के बकायों का भुगतान (c) payment of arrears of Salary in respect of employee of erstwhile Central Vigilance Committee (₹ 0.02 crore).  
(₹ 0.02 करोड़) उपरोक्त व्यय पर निवल नकद व्यय होगा।  
उपर्युक्त व्यय में निवल नकद व्यय होगा।  
The above expenditure will entail a net cash outgo;
- (घ) पीडीएस प्रचालन का सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक सेवाओं के (d) providing additional fund under 'Professional Services' under the scheme of 'Strengthening of PDS Operations' (₹ 2.15 crore).  
तहत अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 2.15 करोड़) जारी करना।  
उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।  
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (ङ) राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर के मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत निधियां (e) providing funds under 'Major Works' of National Sugar Institute, Kanpur (₹ 0.10 crore).  
प्रदान करना (₹ 0.10 करोड़)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (च) बागासी स्थित विद्युत परियोजना के सह उत्पादन के लिए चीनी मिलों का (f) release of loans to Sugar Mills for Bagasse based Co-generation of Power Project (₹ 50 crore). The expenditure will be met from Sugar Development Fund.  
ऋण जारी करना (₹ 50 करोड़)। व्यय शर्करा विकास निधि से पूरा किया जाएगा।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 17

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये )  
(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	478.54	478.54
पूँजी	Capital	...	29.50	29.50
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>508.04</b>	<b>508.04</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	40.01	40.01
पूँजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>40.01</b>	<b>40.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	40.79	40.79
पूँजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>40.79</b>	<b>40.79</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>588.84</b>	<b>588.84</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>559.34</b>	<b>559.34</b>
पूँजी	<b>Capital</b>	...	<b>29.50</b>	<b>29.50</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	40.79	40.79

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पुनरुद्धार हेतु (₹ 8 करोड़)।
- (ii) 'भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा (आईसीएलएस ) अकादमी' (₹ 0.02 करोड़)।
- (iii) (क) भारतीय के प्रतियोगिता आयोग के लिए पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान उसके 97,545 वर्ग फुट के कार्यालय परिसर के संबंध में, एनबीसीसी के भुगतान सूची के अनुसार (₹ 88.40 करोड़), (ख) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नेटवर्क (आईसीएन) के वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अन्तर्गत ₹ 4.05 करोड़।  
अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध ₹ 8 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचत का उपयोग करने के बाद उपरोक्त पर ₹ 32.79 करोड़ का व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

- (i) Renovation of Ministry of Corporate Affairs (₹ 8 crore).
- (ii) 'Indian Corporate Law Service (ICLS) Academy' (₹ 0.02 crore).
- (iii) (a) Grants for creation of Capital Assets for Competition Commission of India (CCI) in respect of office space of 97,545 sq. ft. as per the payment schedule of NBCC (₹ 88.40 crore), (b) ₹ 4.05 crore under the 'Grants-in-Aid-General' for hosting the International Competition Network (ICN) Annual Conference.  
Taking into account the surrender of savings of ₹ 8 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail net cash outgo of ₹ 32.79 crore.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 18**

**संस्कृति मंत्रालय**

**MINISTRY OF CULTURE**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये )  
(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		<i>( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)</i>		
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	2661.79	2661.79
पूंजी	Capital	...	76.68	76.68
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>2738.47</b>	<b>2738.47</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>2738.54</b>	<b>2738.54</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>2661.84</b>	<b>2661.84</b>
पूंजी	Capital	...	<b>76.70</b>	<b>76.70</b>

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01 (गक)	0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान सामान्य अपेक्षित है : 1. अकादमियों को सहायता (₹ 19 करोड़) (सामान्य घटक - 17 करोड़ और टीएसपी घटक - 2 करोड़) और (2) बौद्ध तिब्बती संस्थाएं और स्मारक (₹ 2.50 करोड़)। (ii) स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान : (1). अकादमियों को सहायता (₹ 30.00 करोड़) और (2). बौद्ध तिब्बती संस्थाएं और स्मारक (₹ 1 करोड़) (iii) योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान :- (1) अकादमियों को सहायता (₹ 2 करोड़) (2) संग्राहलयों को सहायता (₹ 30.73 करोड़), (3) पुस्तकालयों को सहायता (₹ 1 करोड़) और (4) बौद्ध तिब्बती संस्थाएं और स्मारक (₹ 5.22 करोड़)।

अनुदान के इस खंड में उपलब्ध बचत को देखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) बौद्ध तिब्बती संस्थाएं और स्मारक को सामान्य सहायता - अनुदान (₹ 0.40 करोड़)।

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) भारत राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिए प्रमुख कार्य अपेक्षित हैं (₹ 3 करोड़ रुपए)।

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

(i). Grants-in-aid General under the scheme:- (1) Support to Akademies [ ₹ 19 crore (General Component-17 crore and TSP Component-2 crore)] and (2) Buddhist Tibetan Institution and Memorials (₹ 2.50 crore). (ii). Grants for Creation of Capital Assets under the scheme:- (1) Support to Akademies (₹ 30 crore) and (2) Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 1 crore). (iii). Grants-in-aid Salaries under the scheme:- (1) Support to Akademies (₹ 2 crore), (2) Support to Museum (₹ 30.73 crore), (3) Support to Libraries (₹ 1 crore) and (4) Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 5.22 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grant-in-aid General to Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 0.40 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Major Works under the Scheme National Archives of India (₹ 3 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा मंत्रालय (विविध)

MINISTRY OF DEFENCE (MISC.)

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये )  
(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	0.76	27743.95	27744.71
पूंजी	Capital	35.00	5488.69	5523.69
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>35.76</b>	<b>33232.64</b>	<b>33268.40</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	36.82	36.82
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>36.82</b>	<b>36.82</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	500.00	500.00
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>35.76</b>	<b>33769.46</b>	<b>33805.22</b>
राजस्व	Revenue	0.76	27780.77	27781.53
पूंजी	Capital	35.00	5988.69	6023.69
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services	...	500.00	500.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

तट रक्षक संगठन द्वारा जहाज, वायुयान और भूमि की अधिप्राप्ति के लिए ₹ 500 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।  
अनुदान के राजस्व भाग में ₹ 384.28 करोड़ की बचत को देखते हुए इस पूरक अनुदान में ₹ 115.72 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting additional requirement of ₹ 500 crore towards acquisition of ships, aircrafts and land by Coast Guard Organisation.  
Taking into account the saving of ₹ 384.28 crore available in Revenue Section of the Grant, this supplementary will entail ₹ 115.72 crore as cash outgo.

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

## मांग संख्या DEMAND NO 20

## रक्षा सेवा (राजस्व)

## DEFENCE SERVICES (REVENUE)

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये )  
(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	107.34	195309.04	195416.38
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>107.34</b>	<b>195309.04</b>	<b>195416.38</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	2954.66	2954.66
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>2954.66</b>	<b>2954.66</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>107.34</b>	<b>198263.71</b>	<b>198371.05</b>
राजस्व	Revenue	<b>107.34</b>	<b>198263.71</b>	<b>198371.05</b>
पूंजी	Capital	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted			जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>					
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>					
2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army	...	1293.23	(का)		1293.23
2077-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy	...	53.36	(खब)		53.36
2078-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2078-Defence Services - Air Force	...	1581.56	(गक)		1581.56
2080-रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	2080-Defence Services - Research and Development	...	26.51	(घद)		26.51
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>2954.66</b>			<b>2954.66</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	सेना के वेतन एवं भत्तों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 1293.23 करोड़) उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा;	(a)	meeting additional expenditure under Pay and Allowances of Army (₹ 1293.23 crore) The above expenditure will entail a cash outgo;
(ख)	नौसेना के वेतन एवं भत्तों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 53.36 करोड़) उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा।	(b)	meeting additional expenditure under Pay and Allowances of Navy (₹ 53.36 crore) The above expenditure will entail a cash outgo.
(ग)	वायु सेना के वेतन एवं भत्तों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 2048.05 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 466.49 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए इस पर ₹ 1581.56 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(c)	meeting additional expenditure under Pay and Allowances of Airforce (₹ 2048.05 crore) Taking into account the saving of ₹ 466.49 crore available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 1581.56 crore
(घ)	अनुसंधान और विकास के वेतन एवं भत्तों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 26.51 करोड़) उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा;	(d)	meeting additional expenditure under Pay and Allowances of Research and Development (₹ 26.51 crore) The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये )  
(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	2084.45	2084.45
पूंजी	Capital	...	708.00	708.00
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>2792.45</b>	<b>2792.45</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	65.00	65.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>2857.48</b>	<b>2857.48</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>2149.48</b>	<b>2149.48</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	<b>708.00</b>	<b>708.00</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	65.00	65.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विश्व बैंक सहायता के साथ पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 65 करोड़) प्रदान करने के लिए (ii) बिक्री सब्सिडीयों की लंबित देनदारी को चुकाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विपणन निगम लि. को भूगतान करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि बागवानी उत्पादों में विपणन सहायता नामक पूर्वोत्तर परिषद स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 8.66 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग के अन्तर्गत ₹ 65 करोड़ की बचत के अभ्यर्षण और अनुदान के इस भाग में ₹ 8.66 करोड़ की बचत का उपयोग करने के मद्देनजर इस पर कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

(i) providing Grants-in-aid General under the scheme North Eastern Rural Livelihood Project with World Bank Assistance (NERLP) (₹ 65 crore) and (ii) to provide additional funds under the scheme of North East Council namely Marketing Support to Agri-horti Produces in NE Region for making payment to North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited (NERAMAC) for clearing the pending liability of sales subsidy (₹ 8.66 crore)

Taking into account the surrender of savings of ₹ 65 crore under the Capital Section of the Grant and utilising savings of ₹ 8.66 crore within the same Section of the Grant, it will not entail any cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 24

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
		<i>(₹ करोड़) (In ₹ crores)</i>		
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	32333.06	32333.06
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>32333.06</b>	<b>32333.06</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.40	0.40
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>32333.46</b>	<b>32333.46</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>32333.46</b>	<b>32333.46</b>
पूँजी	<b>Capital</b>	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.39 (का)	0.39
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (खब)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) वेतन संबंधी व्यय (₹ 0.25 करोड़) और कार्यालय संबंधी व्यय (₹ 0.14 करोड़) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निधियां उपलब्ध कराना उपरोक्त व्यय पर नकद व्यय होगा
- (ख) स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 726 करोड़) अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बजट के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing funds to meet the requirement of salary related expenditure (₹ 0.25 crore) and office expenses (₹ 0.14 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;
- (b) providing Grants-in-aid General under Swachh Bharat Abhiyan (Gramin) (₹ 726 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 26  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये )  
(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 20 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	3690.00	3690.00
पूंजी	Capital	...	349.00	349.00
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>4039.00</b>	<b>4039.00</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	100.00	100.00
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>4139.02</b>	<b>4139.02</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>3790.01</b>	<b>3790.01</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	<b>349.01</b>	<b>349.01</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(का) 0.01
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4552-पूर्वात्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	0.01	(खb) 0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) डिजिटल भुगतान के संवर्धन के लिए "भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) हेतु" भारत अन्तरमुख (₹ 50 करोड़) (ii) प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 50 करोड़) (iii) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 125 करोड़) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 120 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹ 5 करोड़) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) मशीनरी और उपस्कर के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र हेतु ₹ 29.05 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards (i) 'Bharat Interface for Money (BHIM)' for Promotion of Digital Payment (₹ 50 crore) (ii) Grants-in-Aid General to 'Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA)' (₹ 50 crore) and (iii) Grants-in-Aid General (₹ 125 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 120 crore) & Grants-in-Aid Salaries (₹ 5 crore) to Unique Identification Authority of India (UIDAI).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting additional expenditure of ₹ 29.05 crore for National Informatics Centre towards Machinery and Equipment.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 27

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये )

( See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 )

		( ₹ करोड़ ) ( In ₹ crores )		
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	4002.69	4002.69
पूंजी	Capital	...	40.03	40.03
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>4042.72</b>	<b>4042.72</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	0.67	...	0.67
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>0.67</b>	<b>0.03</b>	<b>0.70</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	372.03	372.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>372.04</b>	<b>372.04</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>0.67</b>	<b>4414.79</b>	<b>4415.46</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>4374.75</b>	<b>4374.75</b>
पूंजी	Capital	<b>0.67</b>	<b>40.04</b>	<b>40.71</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life	...	372.01	(का) 372.01
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	0.01	(खb) 0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(गc) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>372.03</b>	<b>372.03</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर	5425-Capital Outlay on Other Scientific and	...	0.01	(घd) 0.01
पूंजी परिव्यय	Environmental Research			
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>372.04</b>	<b>372.04</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 1. सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.90 करोड़), पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.20 करोड़) और वन प्रबंध भारतीय संस्थान वेतन सहायता अनुदान (₹ 1.30 करोड़) 2. सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.25 करोड़) और भारतीय वन अनुसंधान एवं शैक्षणिक परिषद के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 4.25 करोड़) 3. सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.56 करोड़), पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.84 करोड़) और भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए सहायता अनुदान वेतन (₹ 0.85 करोड़) 4. (i) भारतीय वाइल्ड लाइफ संस्थान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.67 करोड़) (ii) केन्द्रीय प्राणी विज्ञान प्राधिकरण (₹ 3.75 करोड़) (iii) प्राणी कल्याण बोर्ड (₹ 1 करोड़) और (iv) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (₹ 4.75 करोड़) और 5. ईको टास्क फोर्स के लिए अन्य संविदागत सेवाएं (₹ 164 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए 6. सीसीईए के निर्णय के फलस्वरूप अंडमान एण्ड निकोबार आइलैंड फारेस्ट प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन को भारत सरकार के ऋण (₹ 186.83 करोड़) को माफ करना तथा 31.03.2017 तक उस पर लगे ब्याज (₹ 185.18 करोड़) को फ्रीज करने के व्यय को पूरा करने के लिए।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General (₹ 0.90 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.20 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 1.30 crore) to Indian Institute of Forest Management 2. Grants-in-aid General (₹ 6.25 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 4.25 crore) to Indian Council of Forestry Research and Education 3. Grants-in-aid General (₹ 0.56 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.84 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 0.85 crore) to Indian Plywood Industries Research and Training Institute 4. Grants-in-aid General for (i) Wildlife Institute of India (₹ 5.67 crore) (ii) Central Zoo Authority (₹ 3.75 crore) (iii) Animal Welfare Board (₹ 1 crore) and (iv) National Tiger Conservation Authority (₹ 4.75 crore) and 5. Other contractual services (₹ 164 crore) for Eco-Task Force 6. Write-off of Gol loan (₹ 186.83 crore) and accrued interest (₹ 185.18 crore) with freezing of Interest as on 31.03.2017, outstanding against Andaman & Nicobar Islands Forests Plantation Development Corporation as per CCEA decision.

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत तथा क्रमांक (6) के मद्देनजर उपर्युक्त केवल खाते के समायोजन के लिए है और इसमें कोई अतिरिक्त धन शामिल नहीं है। ₹ 372.01 करोड़ की तकनीकी पूरक की मांग की जाती है।

- (ख) (i) जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान के लिए पूंजी अस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) (ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 75.05 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹ 18.90 करोड़) (iii) राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3 करोड़) (iv) जल प्रदूषण नियंत्रण एवं बचाव के लिए अन्य संविदागत सेवाएं (₹ 435.71 करोड़) (उपकर (v) खतरनाक पदार्थ प्रबंधन के लिए पूंजी अस्तियों का सृजन (₹ 5.50 करोड़) (vi) खतरनाक पदार्थ प्रबंधन (ईएपी) के लिए सामान्य सहायता अनुदान और पूंजी अस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 35 करोड़) (₹ 15 करोड़)

अनुदान के इसी खंड में बचत की उपलब्धता को देखते हुए, निम्नलिखित के लिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- (ग) वन्य प्राणी प्रवास के एकीकृत विकास के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.07 करोड़)।  
अनुदान के इसी खंड में बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (घ) प्रकृति-विज्ञान के राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रमुख कार्यों के लिए (₹ 6.22 करोड़)।  
अनुदान के इसी खंड में बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

Taking into account the savings available within the same section of the Grant and Sl. No. (6) above is only for book adjustment and no cash outgo is involved. A Technical Supplementary is sought for ₹ 372.01 crore.

(b) meeting expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 0.50 crore) to GB Pant Himalayan Institute of Environment and Development (ii) Grants-in-aid General (₹ 75.05 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 18.90 crore) to Central Pollution Control Board (iii) Grants-in-aid General (₹ 3 crore) to National Biodiversity Authority (iv) Other contractual services (₹ 435.71 crore) for prevention and Control of Water Pollution (v) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 5.50 crore) to Hazardous substances Management (vi) Grants-in-aid General (₹ 35 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 15 crore) to Hazardous Substances Management (EAP)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid-General (₹ 0.07 crore) for Integrated Development of Wildlife Habitats.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Major works (₹ 6.22 crore) for National Museum of Natural History.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 28

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32)

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b><i>I. मूल अनुदान:</i></b>	<b><i>I. ORIGINAL GRANT:</i></b>			
राजस्व	Revenue	0.03	12648.26	12648.29
पूंजी	Capital	...	2150.26	2150.26
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>0.03</b>	<b>14798.52</b>	<b>14798.55</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>...</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>0.03</b>	<b>14798.55</b>	<b>14798.58</b>
राजस्व	Revenue	0.03	12648.27	12648.30
पूंजी	Capital	...	2150.28	2150.28
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b><i>राजस्व भाग</i></b>	<b><i>REVENUE SECTION</i></b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2061-विदेशी मामले	2061-External Affairs	...	0.01	(क) 0.01
<b><i>पूंजी भाग</i></b>	<b><i>CAPITAL SECTION</i></b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(ख) 0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01	(ग) 0.01
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	<b>...</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>...</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) प्रकाशन (₹ 97.15 करोड़) और राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के लिए भुगतान (₹ 46 करोड़) (ii) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (₹ 120 करोड़) की पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (iii) माइग्रेशन के लिए भारत केंद्र में सहायता अनुदान-वेतन (₹ 0.75 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.70 करोड़)  
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है।
- (ख) आवास पर कैपिटल आउटलेट आवासीय भवन (₹ 35 करोड़) प्रमुख कार्य की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।  
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है।
- (ग) आवास पर कैपिटल आउटलेट आवासीय भवन (₹ 115 करोड़) प्रमुख कार्य की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।  
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Central Passport Organisation towards Publication (₹ 97.15 crore) and Payments to States/UTs (₹ 46 crore); (ii) South Asian University towards Grants for Creation of Capital Assets (₹ 120 crore) (iii) India Centre for Migration towards Grants-in-aid-Salary (₹ 0.75 crore) and Grants-in-aid-General (₹ 1.70 crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional requirement under Capital Outlay on Housing for other Building constructions towards Major Works (₹ 35 crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional requirement under Capital Outlay on Housing for Govt. Residential Building towards Major Works (₹ 115 crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

## मांग संख्या DEMAND NO 29

## आर्थिक कार्य विभाग

## DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये )  
(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 22 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	4302.79	4302.79
पूंजी	Capital	...	11153.05	11153.05
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>15455.84</b>	<b>15455.84</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	98.46	98.46
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>98.47</b>	<b>98.47</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	36.02	36.02
पूंजी	Capital	...	100.03	100.03
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>136.05</b>	<b>136.05</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>15690.36</b>	<b>15690.36</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>4437.27</b>	<b>4437.27</b>
पूंजी	Capital	...	<b>11253.09</b>	<b>11253.09</b>

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	3465-General Financial and Trading Institutions	...	0.01 (का)	0.01
3466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	3466-International Financial Institutions	...	34.00 (खब)	34.00
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	2.00 (गक)	2.00
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries	...	0.01 (घद)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>36.02</b>	<b>36.02</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4046-मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजी परिव्यय	4046-Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint	...	100.00 (डे)	100.00
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	0.01 (चफ)	0.01
5466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	5466-Investments in International Financial Institutions	...	0.01 (छग)	0.01
7610-सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	7610-Loans to Government Servants, etc.	...	0.01 (जह)	0.01
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>100.03</b>	<b>100.03</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>136.05</b>	<b>136.05</b>

**टिप्पणी:** अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

**Note:** The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

**पूंजी भाग****CAPITAL SECTION**

4046-मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजी परिव्यय	4046-Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint	...	(-)100.00	(-)100.00
---	---	-----	-----------	-----------

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) प्रबंधन शुल्क के रूप में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि लि. को भुगतान (₹ 44.25 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

(a) payment to National Investment and Infrastructure Fund Limited (NIIFL) as management fee (₹ 44.25 crore).

	अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूक अनुदान मांगा जाता है।				
(ख)	अफ्रीकी विकास निधि में अभिदान (₹ 34 करोड़)। कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि प्रतिभूतियों के रूप में हुई प्राप्तियों से इनका मिलान किया जाएगा।	(b)			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. subscription to African Development Fund (AfDF) (₹ 34 crore). There will be no cash outgo as this will be matched by receipts in the form of securities.
(ग)	(i) भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (आईआईपीडीएफ) हेतु लेन देन सलाहकारों और परामर्शदाताओं से जुड़ी लागत सहित संभावित पीपीपी परियोजना विकास संबंधी व्यय का निधियन (₹ 2 करोड़) , (ii) वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) में भारत की सदस्यता योगदान के लिए ₹ 0.21 करोड़। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध (₹ 2 करोड़) की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में हुई बचत का उपयोग करने के बाद उपरोक्त व्यय पर कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(c)			(i) funding of potential PPP Projects Development expenses including cost of engaging consultants and transaction adviser for India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) (₹ 2 crore), (ii) ₹ 0.21 crore for India's Membership contribution to Financial Action Task Force (FATF). Taking into account the surrender of savings of ₹ 2 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(घ)	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के आवासी प्रतिनिधियों पर व्यय के लिए योगदान (₹ 1.81 करोड़) (ii) एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) की वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए ₹ 20 करोड़ की आवश्यकता है। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर सांकेतिक पूक अनुदान मांगा जाता है।	(d)			(i) contribution towards expenses of resident representatives of United Nations Development Programme (₹ 1.81 crore) (ii) ₹ 20 crore is required for organizing the Annual General Meeting of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	सिक्कों की मांग में वृद्धि (₹ 100 करोड़) के कारण सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) से सिक्कों की खरीद। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध वस्तुओं के मिलान के मद्देनजर उपरोक्त व्यय पर कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(e)			purchase of coins from Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) due to upward revision of indent of coins (₹ 100 crore). Taking into account the matching recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(च)	राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि लि. में शेयरों की खरीद के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से वित्तपोषण करना (₹ 0.35 करोड़)। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूक अनुदान मांगा जाता है।	(f)			Recoupment of Contingency Fund of India - for purchase of shares in National Investment and Infrastructure Fund Limited (NIIFL) (₹ 0.35 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	14वें जीआरक्यू की प्रभावशीलता के परिणामस्वरूप (₹ 74.40 करोड़) आईएमएफ (भारत के हिस्से की खरीद के लिए एसडीआर खरीद) में योगदान। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूक अनुदान मांगा जाता है।	(g)			subscription to IMF(SDR purchase against India's quota increase) consequent to the effectiveness of the 14th GRQ (₹ 74.40 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	कंप्यूटरों की खरीद के लिए अग्रिम (₹ 10 करोड़)। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूक अनुदान मांगा जाता है।	(h)			Advances for purchase of Computers (₹ 10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 31

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 36)

(See page 36 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	2731.99	2731.99
पूँजी	Capital	...	16886.02	16886.02
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>19618.01</b>	<b>19618.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूँजी	Capital	...	292.00	292.00
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>292.04</b>	<b>292.04</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>19910.05</b>	<b>19910.05</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>2732.03</b>	<b>2732.03</b>
पूँजी	<b>Capital</b>	...	<b>17178.02</b>	<b>17178.02</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01 (क)	0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (ख)	0.01
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	...	0.01 (ग)	0.01
3465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	3465-General Financial and Trading Institutions	...	0.01 (घ)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
<b>पूँजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4416-कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	4416-Investments in Agricultural Financial Institutions	...	292.00 (ङ)	292.00
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>292.04</b>	<b>292.04</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary grants are required for:

(क)	स्थापना संबंधी व्यय (i) भूतपूर्व औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के लिए किराया देनदारी के लंबित बकाया हेतु ₹ 23.28 करोड़ (ii) विभिन्न स्कीमों के लिए प्रचार और जागरूकता हेतु ₹ 20 करोड़।	(a)	establishment related expenditure (i) ₹ 23.28 crore for pending arrears of rental liability for erstwhile Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (AAIFR) & Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) and (ii) ₹ 20 crore for publicity and awareness for various schemes.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	प्रधानमंत्री वया बंधन योजना 60 वर्ष और अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को सब्सिडी के लिए (₹ 58.02 करोड़)। स्कीम का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है।	(b)	Pradhan Mantri Vaya Vandan Yojana (PMVVY) for Subsidy to elderly persons aged 60 years and above (₹ 58.02 crore). Scheme is being implemented through LIC of India.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	भारत आस्ति स्थिरीकरण निधि की जारी प्रतिभूतियों का मोचन (₹ 150 करोड़) और (ii) भारत और जर्मनी सरकारों के बीच द्विपक्षीय ऋण व्यवस्था के तहत क्रेडिटनेसटल फर विडराफबाउ द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को दिए गए लाइन्स ऑफ क्रेडिट के लिए ब्याज विभेदक निधि के तहत आईसीआईसीआई बैंक को जमा ₹ 13.46 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान।	(c)	(i) redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF) (₹ 150 crore); and (ii) Grants-in-aid for reimbursement of funds amounting to ₹ 13.46 crore to ICICI Bank deposited under 'Interest Defferential Fund' for Lines of Credit extended to ICICI Bank by Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) under the bilateral credit arrangement between Government of India and Germany.
	चूंकि एसएसएफ के मोचन के लिए प्रावधान को ₹ 150 करोड़ की प्राप्तियों से संतुलित किया जाएगा और शेष प्रावधान के लिए अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Since the provision for redemption of SASF will be matched with the receipts of ₹ 150 crore and savings available in the same section of the Grant for residual provision, a token supplementary is sought.
(घ)	प्रचार और जागरूकता (i) पीएमएमवाई के लिए मुद्रा लि. द्वारा ₹ 10 करोड़ और (ii) स्टैंड अप इंडिया के लिए सिडबी द्वारा (₹ 10 करोड़)।	(d)	publicity & awareness (i) through MUDRA Ltd. for PMMY (₹ 10 crore) and (ii) through SIDBI for Stand-Up India (₹ 10 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ड) (i) नाबार्ड को शेयर पूंजी का अभिदान (₹ 380 करोड़) और (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनः पूंजीकरण के लिए ₹ 212 करोड़। (e)

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 292 करोड़ को देखते हुए अनुदान के इसी भाग में ₹ 300 करोड़ की बचत का उपयोग करने के बाद ₹ 292 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) subscription to share capital of National Bank of Agriculture and Rural Development (NABARD) (₹ 380 crore) and (ii) ₹ 212 crore for Re-capitalisation of Regional Rural Banks (RRBs).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 292 crore available in the Revenue Section of the Grant and after utilizing the savings of ₹ 300 crore within the same section of the Grant, technical supplementary of ₹ 292 crore is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 33

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये )  
(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	0.02	834.83	834.85
पूँजी	Capital	...	2.43	2.43
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>0.02</b>	<b>837.26</b>	<b>837.28</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	43.69	43.69
पूँजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>43.69</b>	<b>43.69</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>0.02</b>	<b>880.96</b>	<b>880.98</b>
राजस्व	Revenue	<b>0.02</b>	<b>878.53</b>	<b>878.55</b>
पूँजी	Capital	...	2.43	2.43
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	30.00 (का)	30.00
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	2047-Other Fiscal Services	...	13.69 (खब)	13.69
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>43.69</b>	<b>43.69</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) स्थापना संबंधी व्यय (₹ 30 करोड़)।  
उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।
- (ख) स्थापना संबंधी व्यय (₹ 13.69 करोड़)।  
उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) establishment related expenditure (₹ 30 crore) .  
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (b) establishment related expenditure (₹ 13.69 crore).  
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 34

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये )  
(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 25 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	5881.85	5881.85
पूंजी	Capital	...	228.79	228.79
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>6110.64</b>	<b>6110.64</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>6110.67</b>	<b>6110.67</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>5881.85</b>	<b>5881.85</b>
पूंजी	Capital	...	<b>228.82</b>	<b>228.82</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आयकर विभाग अलवर के कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 14.92 करोड़)।

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

additional expenditure towards purchase of land for construction of office building and residential quarters for Income Tax Department, Alwar (₹ 14.92 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 35

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये )  
(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	0.50	5861.44	5861.94
पूंजी	Capital	...	228.07	228.07
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>0.50</b>	<b>6089.51</b>	<b>6090.01</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	386.43	386.43
पूंजी	Capital	...	163.57	163.57
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	1210.49	1210.49
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>1210.49</b>	<b>1210.49</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>0.50</b>	<b>7850.00</b>	<b>7850.50</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	<b>0.50</b>	<b>7458.36</b>	<b>7458.86</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	<b>391.64</b>	<b>391.64</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs	...	250.00	(क) 250.00
2038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2038-Union Excise Duties	...	960.09	(ख) 960.09
2216-आवास	2216-Housing	...	0.40	(ग) 0.40
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>1210.49</b>	<b>1210.49</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) स्थापना संबंधी व्यय (₹ 250 करोड़)।  
उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।

(ख) स्थापना संबंधी व्यय जीएसटीएन और सूचना प्रौद्योगिकी को उन्नत प्रयोक्ता प्रभागों का भुगतान सहित (₹ 960.09 करोड़)।

उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और कस्टम बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा आवासीय परिसरों की मरम्मत और रखरखाव (₹ 0.40 करोड़)।  
उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) establishment related expenditure (₹ 250 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(b) establishment related expenditure including payment of Advance User Charges to GSTN and Information Technology etc (₹ 960.09 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(c) repair and maintenance of residential accommodation of Central Board of Excise and Custom (CBEC) (₹ 0.40 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 36  
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग  
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42)

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	146.54	4163.03	4309.57
पूंजी	Capital	...	12.67	12.67
जोड़	<b>Total</b>	<b>146.54</b>	<b>4175.70</b>	<b>4322.24</b>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	85.77	85.77
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>85.77</b>	<b>85.77</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>146.54</b>	<b>4261.47</b>	<b>4408.01</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	<b>146.54</b>	<b>4248.80</b>	<b>4395.34</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	<b>12.67</b>	<b>12.67</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2016-लेखा परीक्षा	2016-Audit	...	85.77	85.77
<b>टिप्पणी:</b> अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
<b>Note:</b> The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>2016-लेखा परीक्षा</b>	2016-Audit	...	(-)3.67	(-)3.67

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 51.10 करोड़), घरेलू यात्रा खर्च (₹ 20 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹ 14.67 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग के अंतर्गत ₹ 7.45 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण और ₹ 3.67 करोड़ की समतुल्य वसूली को देखते हुए इसमें ₹ 74.65 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure under Salaries (₹ 51.10 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 20 crore) and Professional Services (₹ 14.67 crore).

Taking into account surrender of savings of ₹ 7.45 crore under Capital Section of the Grant and matching recoveries of ₹ 3.67 crore, this will entail net cash outgo of ₹ 74.65 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 39

पेंशन

PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 देखिये)

(See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	180.00	34990.00	35170.00
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	<b>180.00</b>	<b>34990.00</b>	<b>35170.00</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	95.00	5905.00	6000.00
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	<b>95.00</b>	<b>5905.00</b>	<b>6000.00</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>275.00</b>	<b>40895.00</b>	<b>41170.00</b>
राजस्व	Revenue	275.00	40895.00	41170.00
पूँजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	95.00 (का)	5905.00 (खb)	6000.00

यह पूरक अनुदानेविनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों के विभिन्न पेंशन शुल्कों के भुगतान (₹ 95 करोड़) के लिए; और

(ख) 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर अपेक्षाकृत अधिक अधिवर्षिता पेंशन, पेंशन का परिवर्तित मूल्य, उप-दान, परिवार पेंशन, छुट्टी का नकदीकरण पेंशन संबंधी हकदारी में संशोधन के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान (₹ 5905 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grants/appropriations are required for:

(a) payment of commuted value of pensions, gratuities, leave encashment and Defined Contribution Pension Scheme to Judges of High Court in States and Union Territories (₹ 95 crore); and

(b) payment of higher superannuation pensions, commuted value of pensions, gratuities, family pensions, leave encashment, Defined Contribution Pension Scheme consequent upon revision of pensionary entitlement on implementation of the recommendations of 7th Central Pay Commission (₹ 5905 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 41  
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये )  
(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) ( In ₹ crores )		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	800.00	800.00
पूँजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>800.03</b>	<b>800.03</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>800.03</b>	<b>800.03</b>
पूँजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(i)	एकीकृत कोल्ड चेन एवं वैल्यू एडिशन अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराना ( ₹ 23.83 करोड़ )।	(a)	(i)	providing additional Grants-in-aid General under the scheme for Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure ( ₹ 23.83 crore).
	(ii)	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना ( ₹ 0.10 करोड़ )।		(ii)	providing additional funds for Advertising and Publicity under the scheme for Creation/Expansion of Food Processing and Preservation ( ₹ 0.10 crore).
	(iii)	मानव संसाधन एवं संस्थान स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान ( ₹ 23.88 करोड़ ), अन्य प्रशासनिक व्यय ( ₹ 0.18 करोड़ ), विज्ञापन एवं प्रचार के लिए ( ₹ 1 करोड़ ) उपलब्ध कराना।		(iii)	providing additional Grants-in-aid General ( ₹ 23.88 crore), Other Administrative Expenses ( ₹ 0.18 crore), Advertising and Publicity ( ₹ 1 crore) under the scheme for Human Resource and Institutions.
	(iv)	भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी) को अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन ( ₹ 4.89 करोड़ ) तथा पूँजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान ( ₹ 0.28 करोड़ ) उपलब्ध कराना।		(iv)	providing additional Grants-in-aid- Salaries ( ₹ 4.89 crore) and Grants for creation of Capital Assets ( ₹ 0.28 crore) to Indian Institute of Crop Processing Technology.
	(v)	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) को अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन उपलब्ध कराना ( ₹ 1.37 करोड़ )।		(v)	providing additional Grants-in-aid-Salaries to National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management ( ₹ 1.37 crore).
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान प्रार्थित है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)		आधुनिक एबेटॉयर स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराना ( ₹ 6.13 करोड़ )।	(b)		providing additional Grants-in-aid General under the scheme for Modern Abattoir ( ₹ 6.13 crore).
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान प्रार्थित है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 42  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये )  
(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 30 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
		<i>(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)</i>		
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	47033.65	47033.65
पूँजी	Capital	...	3508.81	3508.81
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>50542.46</b>	<b>50542.46</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	132.91	132.91
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>132.91</b>	<b>132.91</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	6687.52	6687.52
पूँजी	Capital	...	271.01	271.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>6958.53</b>	<b>6958.53</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>57633.90</b>	<b>57633.90</b>
राजस्व	Revenue	...	53721.17	53721.17
पूँजी	Capital	...	3912.73	3912.73
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	992.16	(क) 992.16
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	...	5.94	(ख) 5.94
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	454.07	(ग) 454.07
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	3030.08	(घ) 3030.08
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	37.05	(ङ) 37.05
3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	3606-Aid Materials and Equipment	...	2168.22	(च) 2168.22
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>6687.52</b>	<b>6687.52</b>
<b>पूँजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	271.00	(छ) 271.00
4211-परिवार कल्याण पर पूँजी परिव्यय	4211-Capital Outlay on Family Welfare	...	0.01	(ज) 0.01
<b>जोड़ (पूँजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>271.01</b>	<b>271.01</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>6958.53</b>	<b>6958.53</b>
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
<b>Note:</b> The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	(-)-477.96	(-)-477.96
3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	3606-Aid Materials and Equipment	...	(-)-2168.22	(-)-2168.22
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>(-)-2646.18</b>	<b>(-)-2646.18</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन 1. अखिल भारत आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली (₹ 211 करोड़) 2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुदान संस्थान (₹ 105.40 करोड़) 3. राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य और तंत्रिका

The supplementary grants are required for:

(a) (i) Grants in Aid Salaries under the Scheme 1. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 211 Crore), 2. Post-graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 105.40

विज्ञान संस्थान बंगलोर (₹ 28.46 करोड़) 4. लाला राम स्वरूप टीबी और संबद्ध रोग संस्थान नई दिल्ली (₹ 10.80 करोड़) 5. नई दिल्ली टीबी केंद्र, नई दिल्ली (₹ 0.85 करोड़) और 6. राष्ट्रीय जीव विज्ञानी मानकीकरण संस्थान नोएडा (₹ 1.90 करोड़) (ii) स्कीम के अंतर्गत पूंजी आसतियों के सृजन हेतु अनुदान 1. अखिल भारत आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली (₹ 356 करोड़) 2. लाला राम स्वरूप टीबी और संबद्ध रोग संस्थान नई दिल्ली (₹ 2.40 करोड़) 3. खाद्य सुरक्षा भारतीय मानक प्राधिकरण (₹ 52 करोड़) 4. भारतीय पासचयोर संस्थान कुनूर (₹ 3.50 करोड़) और 5. राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 6 करोड़) (iii) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान- 1. संक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सिबल पुल (₹ 25 करोड़) 2. टेलिमेडिसीन कार्यक्रम (₹ 10 करोड़) 3. राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 1 करोड़) 4. राष्ट्रीय आरोग्य निधि (₹ 6 करोड़) 5. स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रबंधन-तात्कालिक चिकित्सा सेवाएं (₹ 10 करोड़) 6. आईएमपीआरआईएनटी (₹ 1.68 करोड़) 7. परिचारिका सेवाओं का विकास - नर्सों का प्रशिक्षण (₹ 1 करोड़) 8. अन्य स्वास्थ्य स्कीमों (प्रायोगिक परियोजनाएं - मौखिक स्वास्थ्य, बधीरपन, फ्लूरोसिस आदि (₹ 4.50 करोड़) 9. राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों को सहायता अनुदान (₹ 35 करोड़) (iv) निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय 1. संक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सिबल पुल - विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय (₹ 2.15 करोड़) 2. राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम(ईएपी) (₹ 138.91 करोड़) 3. राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 3 करोड़) 4. केंद्रीय ब्यूरो के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपोजिटरी (₹ 12 करोड़) 5. आपूर्ति और सामग्रियों की खरीद (₹ 477.96 करोड़) और 6. जीएफएटीएम परियोजना के अंतर्गत वैश्विक निधि को कर देनदारी की प्रतिपूर्ति (₹ 222.57 करोड़)

₹ 477.96 करोड़ की समतुल्य वसूलियों और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 214 करोड़ की बचतों के अभयर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में ₹ 300.20 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

- (ख) (i) स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन- 1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली (₹ 2 करोड़) और 2. अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई (₹ 9.75 करोड़) (ii) दिनचर्या प्रतिक्रमण कार्यक्रम, पल्सपोलियो प्रतिक्रमण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी से विकृति नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सिबल पुल स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान- विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय (ईएपी) (₹ 5.68 करोड़) (iii) निम्नलिखित का व्यय पूरा करना- 1. दिनचर्या प्रतिक्रमण कार्यक्रम पल्सपोलियो प्रतिक्रमण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी से विकृति नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सिबल पुल स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान- विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय (₹ 0.26 करोड़) और 2. निरोधों का सामाजिक विपणन (ईएपी) (₹ 125 करोड़)

उपर्युक्त व्यय में ₹ 5.94 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (ग) स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन- 1. पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग (₹ 30 करोड़) 2. क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इंपाल (₹ 113.49 करोड़) 3. लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई क्षेत्रीय मनोस्वास्थ्य संस्थान तेजपुर (₹ 5 करोड़) 4. क्षेत्रीय भेषजीय और नर्सिंग विज्ञान संस्थान, ऐजवल (₹ 0.40 करोड़) (ii) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. दिनचर्या प्रतिक्रमण कार्यक्रम, पल्सपोलियो प्रतिक्रमण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी से विकृति नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सिबल पुल (ईएपी) (₹ 126.04 करोड़) (जीबीएस ₹ 18.25 करोड़) 2. संक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सिबल पुल (ईएपी) (₹ 212.63 करोड़) और जीबीएस (₹ 17.66 करोड़) 3. पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग (₹ 45 करोड़) 4. क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इंपाल (₹ 16.34 करोड़) 5. राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों का अनुदान-सामान्य घटक (₹ 8.75 करोड़) (iii) स्कीम के अंतर्गत पूंजी आसतियों के सृजन हेतु अनुदान- 1. पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग (₹ 60 करोड़) 2. क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इंपाल (₹ 30 करोड़) (iv) निम्नलिखित के

Crore), 3. National Institute of Mental Health and Neuro-Science, Bangalore (₹ 28.46 Crore), 4. Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 10.80 Crore), 5. New Delhi TB Centre, New Delhi (Rs 0.85Crore), and 6. National Institute of Biologicals Standardisation, NOIDA (₹ 1.90 Crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme:- 1. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 356 Crore), 2. Lala Ram Sarup Institute of TB & allied Diseases, New Delhi (₹ 2.40 Crore), 3. Food Safety & Standards Authority of India (₹ 52Crore), 4. Pasteur Institute of India, Coonoor(₹ 3.50 Crore), and 5. National Mental Health Programme (₹ 6 Crore). (iii) Grants in Aid General under the Scheme:- 1. Flexible Pool for Communicable Diseases (EAP- ₹ 25 Crore), 2. Telemedicine Programme (₹ 10 Crore), 3. National Mental Health Programme (₹ 1 Crore), 4. Rastriya Arogya Nidhi (₹ 6 Crore), 5. Health Sector Disaster Preparedness and Management- Emergency Medical Services (₹ 10 Crore), 6. IMPRINT (₹ 1.68 Crore), 7. Development of Nursing Services- Training of Nurses (₹ 1 Crore), 8. Other Health Schemes (Pilot Projects-Oral Health, Deafness, Flourosis etc. (₹ 4.50 Crore) and 9. State AIDS Control Societies (GC) (₹ 35 crore). (iv) Additional Expenditure towards:- 1. Flexible Pool for Communicable Diseases-Expenditure in UTs without legislature (EAP) (₹ 2.15 Crore). 2. National AIDS and STD Control Programme-EAP (₹ 138.91 Crore), 3. National Mental Health Programme (₹ 3 Crore) 4. National Health Resource Repository under Central Bureau (₹ 12 Crore), 5. Procurement of Supplies and Materials (₹ 477.96 Crore) and 6. Reimbursement of Tax Liability to Global Fund under GFATM Project (GBS) (₹ 222.57 Crore)

Taking into account the matching recoveries of ₹ 477.96 crore and surrender of savings of ₹ 214 crore available in the Capital Section of the Grant,the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 300.20 crore.

- (i) Grants in Aid Salaries under the scheme:- 1. National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (₹ 2 Crore) and 2. International Institute for Population Sciences, Mumbai (₹ 9.75 Crore) (ii) Grants-in-Aid General under the scheme RCH Flexible Pool including Routine Immunisation programme, Pulse polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc.- Expenditure in UTs without legislature (EAP)(₹ 5.68 Crore) (iii) Meeting Expenditure towards:- 1. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc.- Expenditure in UTs without legislature (EAP)(₹ 0.26 Crore) and 2. Social Marketing of Contraceptives (₹ 125 Crore)

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 5.94 Crore.

- (ग) Grants-in-Aid Salaries under the Scheme:- 1. North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong (₹ 30 crore) 2. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 113.49 crore) 3. Lokpriya Gopinath Bardoloi Regional Institute of Mental Health, Tezpur (₹ 5 crore) 4. Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl (₹ 0.40 crore) (ii) Grants-in-Aid General under the Scheme:- 1. RCH Flexible Pool including Routine Immunization Programme, Pulse Polio Immunisation programme, National Iodine Deficiency disorders Control Programme etc.[EAP(₹ 126.04 crore), (GBS ₹ 18.25 crore). 2. Flexible Pool for Communicable Diseases EAP (₹ 212.63 crore) and GBS (₹ 17.66 crore), 3. North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong (45 crore)] 4. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 16.34 crore) 5. Grants of State AIDS Control Societies-General Component)-(₹ 8.75 crore) (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the

लिए व्यय पूरा करना:-1. केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (₹ 6 करोड़) और 2. राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम-ईएपी(₹ 15.40 करोड़)।

अनुदान के राजस्व/पूँजी भाग में उपलब्ध ₹ 100 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त में ₹ 354.07 करोड़ नकद व्यय होगा।

- (घ) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान- 1. दिनचर्या प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पलसपोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी से विकृति नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पुल (ईएपी) (₹ 2012.19 करोड़) (₹ 358 करोड़), जीबीएस 2. संक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सीबल पुल ईएपी (₹ 1017.89 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में ₹ 3030.08 करोड़ निवल नकद व्यय होगा।

- (ड) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान- 1. दिनचर्या प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पलसपोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी से विकृति नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पुल (ईएपी) (₹ 24.05 करोड़) और 2. संक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सीबल पुल ईएपी (₹ 13 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में निवल नकद व्यय होगा।

- (च) राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन के सुदृढीकरण हेतु सामग्री सहायता के लिए व्यय पूरा करना (₹ 2168.22 करोड़)।

अनुदान में समतुल्य वसूलियों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (छ) निम्नलिखित का व्यय पूरा करना:- 1. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (मशीनरी और उपकरण (₹ 347 करोड़) और मुख्य निर्माण कार्य (₹ 65 करोड़) तथा 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एस.के. अस्पताल-मोटरगाडी (₹ 0.15 करोड़) और मुख्य निर्माण कार्य (₹ 0.31 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में ₹ 271 करोड़ निवल नकद व्यय होगा।

- (ज) क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय पटना के लिए व्यय पूरा करना (₹ 0.67 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Scheme:- 1. North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, shilling (60 crore) and 2. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 30 crore) (iv) Meeting Expenditure towards:- 1. Central Government Health Scheme (₹ 6 crore) and 2. National AIDS and STD Control Programme-EAP (₹ 15.40 crore)

Taking into account the surrender of savings of ₹ 100 crore available in the Capital Section of the Grant,the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 354.07 crore

Grants-in-Aid General under the Scheme:- 1. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio immunization Programme, National Iodine deficiency Disorders Control Programme etc.(EAP) (₹ 2012.19 crore), (GBS- ₹ 358 crore) 2. Flexible Pool for Communicable Diseases-EAP-(₹ 1017.89 crore).

The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 3030.08 crore.

Grant-in-Aid General under the Scheme:- 1. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio immunization Programme, National Iodine deficiency Disorders Control Programme etc. EAP (₹ 24.05 Crore) and 2. Flexible Pool for Communicable Diseases-EAP-(₹ 13 Crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

Meeting Expenditure towards Material Assistance for Strengthening of National Immunization Programme and Polio Eradication (₹ 2168.22 Crore)

Taking into account the matching recoveries in the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Meeting Expenditure towards:- 1. Safdarjang Hospital, New Delhi; Machinery and Equipment-(₹ 347 Crore) and Major Works- (₹ 65 Crore) & 2. Lady Hardinge Medical College & SK Hospital-Motor Vehicle-(₹ 0.15 Crore) and Major Works-(₹ 0.31 Crore).

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 271 crore.

Meeting Expenditure towards Regional Health Office, Patna Major Works (₹ 0.67 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 43**

**स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग**

**DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	1500.00	1500.00
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>1500.00</b>	<b>1500.00</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	243.39	243.39
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>243.39</b>	<b>243.39</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>1743.39</b>	<b>1743.39</b>
राजस्व	Revenue	...	1743.39	1743.39
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	243.39	243.39

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करना 1. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद हेतु सहायता अनुदान वेतन (₹ 70 करोड़) 2. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 90 करोड़) और 3. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में आंतरिक भित्ति और बाह्य भित्ति अनुसंधान क्रियाकलापों/परियोजनाओं के निधियन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 103.60 करोड़) और 4. स्कीमों के अंतर्गत (i) अंतरक्षेत्रीय समाभिरूपता और स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी बढ़ावा तथा दिशानिर्देश के लिए समन्वयन (₹ 10 करोड़) (ii) अनुसंधान अभिशासन संबंधी बढ़ावा तथा दिशानिर्देश (₹ 1 करोड़) (iii) स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण (₹ 6 करोड़) (iv) महामारी तथा राष्ट्रीय आपदाओं के प्रबंधन हेतु प्रयोगशालाओं के नेटवर्क की स्थापना (₹ 10 करोड़) (v) चिकित्सा कॉलेजों में बहुआयामी अनुसंधान यूनिटों की स्थापना में शामिल स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा, समन्वयन और विकास (₹ 9 करोड़) (vi) राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान यूनिटों की स्थापना (₹ 2 करोड़) (vii) महामारी फैलने को रोकने के लिए साधनों का विकास (₹ 2 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध व्यय को देखते हुए इसमें ₹ 243.39 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

Meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid Salary for Indian Council of Medical Research (ICMR) (₹ 70 Crore), 2. Grants for Creation of Capital Assets for Indian Council of Medical Research (ICMR) (₹ 90 Crore) and 3. Grants-in-aid General for funding of intra mural and extra mural research activities/projects at Indian Council of Medical Research (ICMR) (₹ 103.60 Crore) and 4. Under the schemes (i) Inter-Sectoral Convergence & Coordination for Promotion & Guidance on Health Research (₹ 10 Crore), (ii) Promotion and Guidance on Research Governance (₹ 1 Crore), (iii) Training for Human Resource Development for Health Research (₹ 6 Crore), (iv) Establishment of Network of Laboratories for Managing Epidemics and National Calamities (₹ 10 Crore), (v) Promotion, Coordination & Development of Health Research involving establishment of Multi- Disciplinary Research Units in Medical Colleges (₹ 9 Crore), (vi) Establishment of Rural Health Research Units in States (₹ 2 Crore) and (vii) Development of Tool to Prevent outbreaks of Epidemics (₹ 2 Crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 243.39 Crore

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 44

**भारी उद्योग विभाग**

**DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	984.99	984.99
पूंजी	Capital	...	1615.01	1615.01
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>2600.00</b>	<b>2600.00</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>2600.01</b>	<b>2600.01</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>985.00</b>	<b>985.00</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	<b>1615.01</b>	<b>1615.01</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

चल रही अन्तरराष्ट्रीय मध्यस्था प्रक्रिया (मैसर्स निसान मोटर्स लि. विवाद) में विधिक शुल्क के भुगतान के लिए व्यावसायिक सेवाओं (सचिवालय) की अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 3 करोड़) को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional requirement (₹ 3 crore) towards Professional Services (Secretariat) for payment of legal fee in ongoing international Arbitration Proceedings (M/s. Nissan Motors Ltd. Dispute).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 46**

**गृह मंत्रालय**

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये )  
(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		<i>( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)</i>		
		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	0.03	4777.00	4777.03
पूंजी	Capital	...	322.97	322.97
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>0.03</b>	<b>5099.97</b>	<b>5100.00</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	4.04	4.04
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>4.04</b>	<b>4.04</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>0.03</b>	<b>5104.02</b>	<b>5104.05</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	<b>0.03</b>	<b>4781.05</b>	<b>4781.08</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	<b>322.97</b>	<b>322.97</b>

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01	(क) 0.01
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01	(ख) 0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	(ग) 0.01
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities	...	4.00	(घ) 4.00
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	0.01	(ङ) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>4.04</b>	<b>4.04</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	गृह मंत्रालय (सचिवालय) के लिए व्यावसायिक सेवाओं के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.86 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	meeting expenditure for Professional Services for MHA(Sectt.) (₹ 0.86 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	डीजीसीडी के लिए व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.10 करोड़) और आपूर्ति सामग्री (₹ 0.83 करोड़) के अन्तर्गत व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	meeting expenditure under Professional Services (₹ 0.10 crore) and Supplies Material (₹ 0.83 crore) for Director General of Civil Defence(DGCD). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) जे एण्ड के 'उदान' स्कीम के लिए विशेष उद्योग पहलों के लिए सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 30 करोड़) (ii) स्वतंत्रता सेनानी निःशुल्क रेलवे पास (₹ 61.31 करोड़) पीओजे के और छम्ब के विस्थापित लोगों को रेलवे का निःशुल्क पास देने की स्कीम के लिए किए जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 700 करोड़)। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	(i) meeting expenditure towards Grants-in-Aid General for Special Industry Initiative for J&K 'Udaan' Scheme (₹ 30 crore) (ii) meeting expenditure for Scheme of Freedom Fighters free Railway Passes (₹ 61.31 crore) and displaced persons of PoJK and Chhamb (₹ 700 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	(i) गृह मंत्रालय में आपदा नियंत्रण कक्ष और सहायता डेस्क खोलने पर किए जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 4 करोड़)। (ii) पोओएल के अन्तर्गत प्रावधान (₹ 2 करोड़) और एनडीआरएफ के लिए अन्य प्रभारों के अन्तर्गत (₹ 1 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत और अनुदान के पूंजीभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपरोक्त व्यय पर कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(d)	(i) Meeting the expenditure for opening of Disaster Control Room and Help Desk in MHA (₹ 4 crore). (ii) Provision under POL (₹ 2 crore) and under Other Charges (₹ 1 crore) for NDRF. Taking into account the savings available in the same section and surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ङ)	एनआरसी अद्यतन के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अन्तर्गत व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 371 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(e)	meeting expenditure under Grants-in-aid General for National Register of Citizens(NRC) updation (₹ 371 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 47**

**मंत्रिमंडल**

**CABINET**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 32 देखिये )  
(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 32 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) ( In ₹ crores )		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	730.00	730.00
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>730.00</b>	<b>730.00</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	20.00	20.00
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>750.01</b>	<b>750.01</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>750.01</b>	<b>750.01</b>
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2013-मंत्रिपरिषद	2013-Council of Ministers	...	19.93 (का)	19.93
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.07 (खब)	0.07
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) इनके व्यय को पूरा करने के लिए (i) प्रधानमंत्री वायुयान रखरखाव (अन्य प्रभार)(₹ 150 करोड़) (ii) मंत्रिमंडल सचिवालय, आईटी (₹ 0.81 करोड़), डीबीटी मिशन (₹ 12.65 करोड़), (iii) प्रो. वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, सामान्य सहायता अनुदान (सामान्य) (₹ 10 करोड़) (iv) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय कार्यालय व्यय (₹ 5 करोड़) और गुप्त सेवा व्यय (₹ 1.25 करोड़) and (v) प्रधानमंत्री का कार्यालय-सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.87 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 170.40 करोड़ की बचत को देखते हुए इस पर ₹ 19.93 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत राष्ट्रपति सचिवालय पर किए जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 0.07 करोड़। उपरोक्त व्यय पर नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting expenditure for (i) PM's Aircraft Maintenance (Other Charges), (₹ 150 crore) (ii) Cabinet Secretariat, IT(₹ 0.81 crore), DBT Mission (₹ 12.65 crore), (iii) O/o the Pr. Scientific Advisor-GIA(General) (₹ 10 crore) (iv) National Security Council Secretariat- Office Expenses (₹ 5 crore) and Secret Service Expenditure (₹ 1.25 crore) and (v) Prime Minister's Office-Grants-in-Aid General (₹ 1.87 crore)

Taking into account the savings of ₹ 170.40 crore available within the same section of the Grants this will entail a cash outgo of ₹ 19.93 crore.

(b) meeting expenditure for President's Secretariat under Other Administrative Expenditure of ₹ 0.07 Crore.

The above expenditure will entail a cash outgo;

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

## मांग संख्या DEMAND NO 48

पुलिस  
POLICE

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये )  
(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	8.34	67536.60	67544.94
पूंजी	Capital	6.72	11171.64	11178.36
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>15.06</b>	<b>78708.24</b>	<b>78723.30</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	4292.86	4292.86
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>4292.87</b>	<b>4292.87</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>15.06</b>	<b>83001.13</b>	<b>83016.19</b>
राजस्व	Revenue	<b>8.34</b>	<b>71829.47</b>	<b>71837.81</b>
पूंजी	Capital	<b>6.72</b>	<b>11171.66</b>	<b>11178.38</b>
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2055-पुलिस	2055-Police	...	3982.85	(का) 3982.85
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	310.00	(खb) 310.00
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(गc) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>4292.86</b>	<b>4292.86</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01	(घd) 0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>4292.87</b>	<b>4292.87</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करने के लिए (i) सीएपीएफ और केंद्रीय पुलिस संगठन तथा अन्य पुलिस संबंधी संगठनों के वेतन पर (₹ 5200 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹ 23.60 करोड़), अन्य प्रभार (₹ 20.43 करोड़), पीओएल (₹ 13.38 करोड़), डीटीई (₹ 90 करोड़), कपड़े और टैटेज (₹ 12 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.26 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹ 13 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 10.35 करोड़) और (ii) एलडब्ल्यूई के प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (सामान्य सहायता अनुदान) (₹ 50 करोड़), सीसीटीएनएस-विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 8.50 करोड़), ई-कारावास का क्रियान्वयन-विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 2 करोड़), संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम (विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों को सामान्य सहायता अनुदान-ए एंड एन प्रशासन (₹ 10.35 करोड़), केंद्रीय पुलिस संगठन को कल्याण अनुदान-सामान्य सहायता अनुदान (₹ 20 करोड़), क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेजों का उत्पादन (व्यावसायिक सेवाएं) (₹ 18.88 करोड़), अन्य सरकारों/विभागों को प्रदत्त प्रभार (व्यावसायिक सेवाएं) (₹ 30 करोड़) और सीमा जांच चौकी (व्यावसायिक सेवाएं) (₹ 20 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

(a) for meeting expenditure for (i) CAPFs and Central Police Organisations and other police related organisations on Salaries (₹ 5200 crore), Minor Works (₹ 23.60 crore), Other Charges (₹ 20.43 crore), POL (₹ 13.38 crore), DTE (₹ 90 crore), Clothing & Tentage (₹ 12 crore), Grants-in-aid General (₹ 0.26 crore), Supplies & Materials (₹ 13 crore) and Professional Services (₹ 10.33 crore) and (ii) Assistance to Central Agencies for Left Wing Extremism Management (Grants -in -aid General) (₹ 50 crore), Crime and Criminal Tracking Network System (CCTNS)-grants for Creation of Capital Assets to UTs without legislature (₹ 8.50 crore), Implementation of e-Prisons-Grants for Creation of Capital Assets to UTs without legislature (₹ 2 crore), Police Modernisation Scheme for UTs (Grants-in-aid General to UTs without legislature-A&N Administration (₹ 10.35 crore), Welfare Grants to Central Police Organisations -GIA-General (₹ 20 crore), Production of cryptographic documents (Professional Services) (₹ 18.88 crore), Charges paid to other Governments/Departments (Professional Services) (₹ 30 crore) and Border Check Posts (Professional Services) (₹ 20 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 1559.88 करोड़ की बचत को देखते हुए इसमें ₹ 3982.85 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (ख) निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करने के लिए (i) सीसीटीएनएस- पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 220 करोड़), (ii) ई-कारावास का क्रियान्वयन- पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 28 करोड़) (iii) गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 135 करोड़) (iv) पुलिस अवसंरचना के उन्नयन हेतु विशेष परियोजनाओं/सकीमों के लिए राज्यों को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 62 करोड़) और (v) 35 एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 175 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए इसमें ₹ 310 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए इसमें ₹ 310 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

- (ग) निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करने के लिए (i) सीसीटीएनएस के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4.50 करोड़), (ii) ई-कारावास के क्रियान्वयन के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 5 करोड़), (iii) मानव तस्करी निरोधक हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.28 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत (₹ 9.78 करोड़) को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (घ) निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करने के लिए (i) एसपीजी और अन्य संगठनों हेतु कार्यालय भवन (₹ 142.21 करोड़) (ii) मशीनरी और उपसर्कों की खरीद (₹ 2.14 करोड़) (iii) हेलिबेस हेतु स्थायी अवसंरचना का विकास (₹ 4.06 करोड़) (iv) अनुसंधान-अन्य पूंजी व्यय (₹ 164 करोड़) और (v) भारत-बांग्लादेश सीमा निर्माण कार्य-सड़कों का निर्माण (₹ 50 करोड़), ओपी टॉवर का निर्माण (₹ 150 करोड़), सीमा आउट पोस्ट (₹ 350 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत (₹ 862.41 करोड़) को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings of ₹ 1559.88 crore available within the same section of the Grants this will entail a cash outgo of ₹ 3982.85 crore.

meeting expenditure for (i) Crime and Criminal Tracking Network System (CCTNS)-Grants for Creation of Capital Assets (₹ 220 crore) (ii) Implementation of e-Prisons-Grants for Creation of Capital Assets (₹ 28 crore) (iii) Grants for Creation of Capital Assets for Gorkhaland Territorial Administration (₹ 135 crore) (iv) Grants for Creation of Capital Assets for Assistance to States for Special Projects/Schemes for upgrading Police Infrastructure (₹ 62 crore) and (v) Grants in-aid General for Special Central Assistance for 35 worst Left Wing Extremism(LWE) affected Districts (₹ 175 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will entail a net cash outgo of ₹ 310 crore.

meeting expenditure for (i) Grants for Creation of Capital Assets for Crime and Criminal Tracking Network System (CCTNS) (₹ 4.50 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets for Implementation of e-Prisons (₹ 5 crore) and (iii) Grants-in-Aid-General for Anti Human Trafficking (₹ 0.28 crore)

Taking into account the savings available in the same section (₹ 9.78 Crore) of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure for (i) Office Building for SPG and other organisations (₹ 142.21 crore) (ii) Procurement of Machineries & Equipments (₹ 2.14 crore) (iii) Development of Permanent Infrastructure for Helibases (₹ 4.06 crore) (iv) Research -Other Capital Expenditure (₹ 164 crore) and (v) Indo-Bangladesh Border Works-Construction of Roads (₹ 50 crore), Construction of OP Towers (₹ 150 crore) and Border Out Posts (₹ 350 crore)

Taking into account the savings available in the same section (₹ 862.41 Crore) of the Grant, a token supplementary is sought.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 49  
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह  
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिये )  
(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 34 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		<i>( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)</i>		
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	0.01	3736.68	3736.69
पूंजी	Capital	...	526.59	526.59
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>0.01</b>	<b>4263.27</b>	<b>4263.28</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	100.00	100.00
पूंजी	Capital	...	416.02	416.02
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>516.02</b>	<b>516.02</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>0.01</b>	<b>4779.30</b>	<b>4779.31</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	<b>0.01</b>	<b>3836.68</b>	<b>3836.69</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	<b>942.62</b>	<b>942.62</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	100.00	(कa) 100.00
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(खb) 0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01	(गc) 0.01
5052-नौवहन पर पूंजी परिव्यय	5052-Capital Outlay on Shipping	...	416.00	(घd) 416.00
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>416.02</b>	<b>416.02</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>516.02</b>	<b>516.02</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) कर्मचारियों के वेतन/भततों पर होने वाले खर्च को वहन करने के लिए यू टी जी एस टी के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल को चुंगी कर से प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त राशि (₹ 100 करोड़) की आवश्यकता है। उपर्युक्त व्यय में नकद खर्च होगा।
- (ख) विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट को लीज में अंतर की राशि को भुगतान करने का लिए किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि (₹ 6.95 करोड़) की आवश्यकता है। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है।
- (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के संबंध में न्यायालय मामलों तथा मध्यस्थता वाले मामलों की सुनवाई में भाग लेने के लिए किए गए विधिक एवं यात्रा व्ययों तथा मध्यस्थता पंचाट के लिए किए गए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि (₹ 3 करोड़) की आवश्यकता है। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है।
- (घ) विभिन्न प्रकार के पोतों की अधिप्राप्ति के लिए चरणबद्ध भुगतान हेतु किए गए व्यय को वहन करने के लिए अतिरिक्त राशि (₹ 416 करोड़) की जरूरत है। उपर्युक्त व्यय में नकद खर्च होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) Additional amount is required to compensate loss of revenue of the Port Blair Municipal Council (PBMC) from octroi in view of implementation of UTGST to meet the salary/wages of the employees (₹ 100 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;
- (b) Additional amount is required for meeting the expenditure towards payment of differential lease amount to the Visakhapatnam Port Trust (₹ 6.95 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Additional amount is required for meeting the additional expenditure towards Arbitration Awards, legal and travel expenses to attend court cases and Arbitration cases in respect of CPWD (₹ 3 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Additional amount is required for meeting the expenditure for stage payment towards acquisition of different types of vessels (₹ 416 crore). The above expenditure will entail a net cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 50

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	35.05	3802.35	3837.40
पूंजी	Capital	142.15	332.85	475.00
जोड़	<b>Total</b>	<b>177.20</b>	<b>4135.20</b>	<b>4312.40</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	62.77	62.77
पूंजी	Capital	317.58	0.07	317.65
जोड़	<b>Total</b>	<b>317.58</b>	<b>62.84</b>	<b>380.42</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>494.78</b>	<b>4198.04</b>	<b>4692.82</b>
राजस्व	Revenue	35.05	3865.12	3900.17
पूंजी	Capital	459.73	332.92	792.65
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	62.77	(क) 62.77
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01	(ख) 0.01
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(ग) 0.01
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01	(घ) 0.01
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	0.01	(ङ) 0.01
4215-जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजी परिव्यय	4215-Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	...	0.01	(च) 0.01
4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development	317.58	(छ) ...	317.58
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare	...	0.01	(ज) 0.01
5055-सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	5055-Capital Outlay on Road Transport	...	0.01	(झ) 0.01
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	<b>317.58</b>	<b>0.07</b>	<b>317.65</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>317.58</b>	<b>62.84</b>	<b>380.42</b>

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) ऐसे होमगार्डों, जिनके भरण-पोषण भत्ते को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार कांस्टेबल के समान कर दिया गया है, को अप्रैल, 2015 से एयियर (बकाया राशि) का भुगतान करने के लिए ₹ 62.77 करोड़ की राशि की मांग की गई है।
- (ख) उपर्युक्त व्यय में नकद खर्च शामिल होगा।
- (ख) सेक्टर 25 (रेट्रोफिटिंग 300 मीटर) में पटियाला-की-राव शूटिंग रेंज का निर्माण/मरम्मत तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में तैनात सुरक्षा कार्मिकों के लिए आवास का निर्माण किए जाने हेतु ₹ 0.25 करोड़ की राशि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक राशि की मांग की गई है।
- (ग) जेल परिसर के भीतर स्थित घरों की ओर जाने वाली मौजूदा सड़को को चौड़ा करने तथा जेल परिसर में दुकानों के लिए पार्किंग ब्लॉक, आगंतुक कक्ष, गार्डरूम आदि के निर्माण संबंधी चल रहे कार्यों के लिए ₹ 0.15 करोड़ की राशि की आवश्यकता है।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक राशि की मांग की गई है।

The supplementary grants/appropriations are required for:

- (a) An amount of ₹ 62.77 crore is required on account to release arrears from April, 2015 in respect of Home Guards whose subsistence allowance has been equated at par with the constables as per the judgement passed by the Hon'ble Supreme Court.
- The above expenditure will entail a net cash outgo;
- (b) An amount of ₹ 0.25 crore is required for construction/renovation of Patiala-ki-Rao Shooting Range Sector 25 (Retro fitting 300 meter) and Construction of accommodation to Security Personnel deployed at Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) An amount of ₹ 0.15 crore is required for the ongoing works related to widening of existing roads leading to houses of Jail Complex and construction of parking of block for shops, visitor room, guard room etc. in Jail Campus.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (घ) सेक्टर 50 में गर्वनमेंट कॉलेज ऑफ कोमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण कार्य तथा सेक्टर 11 में गर्वनमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में हॉस्टल ब्लॉक के निर्माण संबंधी कार्य को पूरा करने के लिए ₹ 16.60 करोड़ की राशि की आवश्यकता है तथा मणीमाजरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम तथा सारंगपुर में खेल परिसर के निर्माण संबंधी देयताओं को पूरा करने के लिए ₹ 4.10 करोड़ की राशि की मांग की गई है।  
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक राशि की मांग की गई है।
- (द) An amount of ₹ 16.60 crore is required for the completion of Government College of Commerce, Business Administration, Sector 50 and Construction of Hostel Block in Government College for Girls, Sector 11 etc. and ₹ 4.10 crore is required to clear the liability for construction of Sports Stadium, Manimajra, Sports Complex Sarangpur etc.  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (ङ) सेक्टर 32, चंडीगढ़ में गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ब्लॉक के सामने नए एक मंजिला आपातकालीन ब्लॉक के निर्माण हेतु ₹ 0.44 करोड़ की राशि तथा आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक डिस्पेंसरी के निर्माण के लिए ₹ 0.17 करोड़ की राशि की मांग की गई है।  
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक राशि की मांग की गई है।
- (e) An amount of ₹ 0.44 crore is required for construction of new single storey emergency block in front of Block in Government Medical College and Hospital Sector 32, Chandigarh & ₹ 0.17 crore for Ayurvedic and Homeopathic Dispensaries.  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (च) केम्बवाला गांव के सीवरेज के निपटान हेतु केम्बवाला ग्राम से मध्य मार्ग सेक्टर 8 तक सीवेज सिस्टम के सुदृढीकरण तथा विभिन्न गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल लगाए जाने के लिए ₹ 0.45 करोड़ की राशि की आवश्यकता है।  
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक राशि की मांग की गई है।
- (f) An amount of ₹ 0.45 crore is required for strengthening of Sewerage system from Village Kaimbwalā to Madya Marg Sector-8 to dispose of sewerage of Village Kaimbwalā and for installation of tubewells for drinking water in various villages.  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (छ) सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.10.2017 के अंतरिम आदेश के अनुसार दिए गए मुआवजे (भूमि अधिग्रहण के कारण, भुस्वामियों को दिए गए बड़े मुआवजों के संबंध में) की 50 प्रतिशत राशि को जमा करने के लिए 179.58 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।  
इस व्यय में नकद व्यय आवश्यक होगा।
- (g) Additional amount of ₹ 317.58 crore is required for making the payment of enhanced compensation to the land owners on account of the decision of Hon'ble Court in different cases. This includes ₹ 179.58 crore to deposit 50% amount of the compensation awarded as per Supreme Court's Interim order dated 04.10.2017.  
The above expenditure will entail a net cash outgo;
- (ज) चंडीगढ़ के मालोया गांव में 3 आंगनवाड़ियों के निर्माण हेतु ₹ 1.25 करोड़ की राशि की आवश्यकता है।  
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक राशि की मांग की गई है।
- (h) An amount of ₹ 1.25 crore is required for construction of 3 Anganwaris in Village Maloia, Chandigarh.  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (झ) परिवहन विभाग के वर्कशॉप डिपो नं. I, II, एवं III के स्तरोन्नयन के लिए ₹ 0.90 करोड़ की राशि की आवश्यकता है।  
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक राशि की मांग की गई है।
- (i) An amount of ₹ 0.90 crore is required for up-gradation of Workshop Depots -I, II & III of Transport Department.  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 52**

**दमन और दीव**

**DAMAN AND DIU**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिये )  
(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 36 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		<i>( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)</i>		
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	0.02	1288.09	1288.11
पूंजी	Capital	...	296.95	296.95
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>0.02</b>	<b>1585.04</b>	<b>1585.06</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	20.01	20.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>20.05</b>	<b>20.05</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>0.02</b>	<b>1605.10</b>	<b>1605.12</b>
राजस्व	Revenue	<b>0.02</b>	<b>1288.13</b>	<b>1288.15</b>
पूंजी	Capital	...	<b>316.97</b>	<b>316.97</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	(का) 0.01
2711-बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी प्रणाली	2711-Flood Control and Drainage	...	0.01	(खb) 0.01
2801-विद्युत	2801-Power	...	0.01	(गc) 0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(घd) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	20.00	(ङe) 20.00
5452-पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	5452-Capital Outlay on Tourism	...	0.01	(चf) 0.01
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>20.01</b>	<b>20.01</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>20.05</b>	<b>20.05</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- |     |  |     |   |
|-----|--|-----|---|
| (क) | दमण एवं दीव जिले में दमण एवं दीव ग्रामीण आवास योजना हेतु यू टी योजनाओं को चलाने के लिए सब्सिडी के तहत ₹ 2.60 करोड़ की अतिरिक्त राशि की जरूरत को पूरा करने के लिए।<br>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक राशि की मांग की गई है।  | (a) | Meeting the additional requirement of ₹ 2.60 crore under Subsidies to carry out UT Schemes for Daman and Diu Gramin Awas Yojana in Daman & Diu District.<br>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.  |
| (ख) | दमण एवं दीव जिले में समुद्र अपरदन-रोधी परियोजनाओं संबंधी कार्यों को प्रारंभ करने के लिए सामान्य सहायता-अनुदान के तहत ₹ 2 करोड़ की अतिरिक्त राशि की जरूरतों को पूरा करने के लिए।<br>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।   | (b) | Meeting the additional requirement of ₹ 2 crore under Grants-in-aid General to carry out works for Anti-Sea Erosion Projects in Daman & Diu District.<br>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.   |
| (ग) | दमण एवं दीव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण तथा स्ट्रीट लाइट्स के रखरखाव का कार्य करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली/स्ट्रीट लाइटों इत्यादि के बिजली प्रभारों का बिजली विभाग को भुगतान करने के लिए सहायता अनुदान सामान्य के तहत ₹ 5.50 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।<br>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है। | (c) | Meeting the additional requirement of ₹ 5.50 crore under Grants-in-aid General to carry out works for electrification and maintenance of street lights in Rural Areas and payment to Electricity Department towards energy/electricity charges, etc. of street lights of Rural Areas in Daman & Diu District.<br>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |

- (घ) दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र में औद्योगिक अवसंरचना के विकास हेतु नई सहायता योजना के लिए सब्सिडी के तहत ₹ 3 करोड़ की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ड) दीव में एजुकेशन हब का विकास करने संबंधी कार्यों को शुरू करने तथा दीव जिले में पोलिटेक्निक कॉलेज भवन, हास्टल भवन के निर्माण और नए विद्यालय भवन की साज-सज्जा संबंधी कार्यों को करने के लिए मुख्य निर्माण कार्य शीर्ष के तहत ₹ 42 करोड़ की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए।  
अनुदान के राजस्व भाग (स्वीकृत) में उपलब्ध ₹ 20 करोड़ और अनुदान के इसी भाग (स्वीकृत-पूँजी) में उपलब्ध ₹ 22 करोड़ की बचत का अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए ₹ 20 करोड़ का एक तकनीकी पूरक मांगा जाता है उपरोक्त व्यय पर कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (च) नागोआ एवं घोघिया बीच के सौंदर्यीकरण, दीव कस्बे में दर्शनीय स्थलों के विकास, नायदा गुफाओं की विशेष मरम्मत, दीव जिले के विभिन्न पर्यटक स्थलों की लैंडस्केपिंग एवं सौंदर्यीकरण तथा नेनी दमण में छापली शेरी बीच को जेटी तक विकसित करने तथा मोती दमण में मोती दमण फ्रंट पर सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए मुख्य निर्माण कार्य के तहत ₹ 18.70 करोड़ की जरूरत को पूरा करने के लिए।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (d) Meeting the additional requirement of ₹ 3 crore under Subsidies for new scheme of Assistance for Development of Industrial Infrastructure in the UT of Daman and Diu .  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) Meeting the additional requirement of ₹ 42 crore under Major Works to carry out works for Development of Education Hub at Diu and Construction of Polytechnic College Building, Hostel Building & Furnishing to New School Building at Diu District.  
Taking into account the surrender of savings of ₹ 22 crore available in the same section (Voted-Capital) of the Grant and ₹ 20 crore available in the Revenue (Voted) Section of the Grant, a Technical Supplementary of ₹ 20 crore is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (f) Meeting the additional requirement of ₹ 18.70 crore under Major Works to carry out works for Beautification of Nagoa and Ghoghla Beach, Promenad Development for Diu Town, Special repairs of Naida Caves, Landscaping & Beautification of various tourist places at Diu District and Development of Chhapli Sheri Beach upto Jetty at Nani Daman and Development of Protection works for Moti Daman Front at Moti Daman.  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

## मांग संख्या DEMAND NO 53

लक्षद्वीप  
LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69)

(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	1083.26	1083.26
पूंजी	Capital	...	165.65	165.65
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>1248.91</b>	<b>1248.91</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.09	0.09
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>1249.02</b>	<b>1249.02</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>1083.28</b>	<b>1083.28</b>
पूंजी	Capital	...	<b>165.74</b>	<b>165.74</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	0.01	(क) 0.01
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	0.01	(ख) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01	(ग) 0.01
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(घ) 0.01
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	0.01	(ङ) 0.01
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01	(च) 0.01
4215-जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजी परिव्यय	4215-Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	...	0.01	(छ) 0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01	(ज) 0.01
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	4515-Capital Outlay on Other Rural Development Programmes	...	0.01	(झ) 0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01	(ञ) 0.01
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5425-Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	...	0.01	(ट) 0.01
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- |     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
| (क) | प्रयोजन शीर्ष सहायता अनुदान के तहत लक्षद्वीप कला अकादमी में तथा साउथ जोन कल्चरल सेंटर की कॉरपस निधि के लिए संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किए गए अंशदान संबंधी अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिए (₹ 0.25 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक राशि की मांग की गई है।<br>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है। | (a) | Meeting additional expenditure under object head Grant-in-aid, towards expenditure on Lakshadweep Kala Academy and UT Contribution towards Corpus Fund of South Zone Cultural Centre . (₹ 0.25 Crore).<br><br>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (ख) | कोच्चि-अगाती सेक्टर के बीच चलने वाली एलाइंस एयर को बीजीएफ के भुगतान के लिए प्रयोजन शीर्ष अन्य संविदा सेवाएं के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 13.20 करोड़)।<br>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।   | (b) | Meeting additional expenditure under object head Other Contractual Services, towards the payment of VGF to alliance air operating between Kochi-Agatti Sector (₹ 13.20 Crore).<br><br>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.                         |
| (ग) | विद्रोह संभावित क्षेत्रों में बलों की तैनाती तथा आपदा प्रबंधन संबंधी इयूटियों के लिए एक बहु उद्देशीय चौपहिया वाहन के प्रापण हेतु प्रयोजन शीर्ष मोटर वाहन के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.05 करोड़)।  | (c) | Meeting additional expenditure under object head Motor vehicle, for procurement of one multipurpose four wheeler meant for deploying force in the insurgency areas and for handling disaster management duties. (₹ 0.05 crore).  |

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन के दूसरे चरण के निर्माण के लिए प्रयोजन शीर्ष मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 4 करोड़)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ङ) कावारती हेलीपैड पर अग्निशमन वाहनों हेतु भवन निर्माण के लिए प्रयोजन शीर्ष मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.20 करोड़)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (च) स्टेडियम भवन के निर्माण के लिए प्रयोजन शीर्ष मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.50 करोड़)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (छ) विभिन्न द्वीपसमूहों में भूमि अधिग्रहण की लागत का भुगतान करने तथा डीसेलीनेशन प्लांट, रेन वाटर टैंकों तथा वितरण नेटवर्क का निर्माण करने के लिए प्रयोजन शीर्ष मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 2 करोड़)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ज) भूमि अधिग्रहण तथा सरकारी आवासों के निर्माण की लागत का भुगतान करने के लिए प्रयोजन शीर्ष मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 2 करोड़)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (झ) कावारती में जिला पंचायत हेतु कार्यालय भवन का निर्माण करने के लिए प्रयोजन शीर्ष मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिए (₹ 0.50 करोड़)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ञ) विभिन्न द्वीपसमूहों में भूमि अधिग्रहण की लागत तथा सड़कों के निर्माण/सड़कों को चौड़ा किए जाने के लिए मद शीर्ष मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 5 करोड़)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ट) पर्यावरण एवं वन विभाग के अधीन पर्यावरण भवन के प्रथम तल का निर्माण करने के लिए प्रयोजन शीर्ष मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.30 करोड़)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.  
Meeting additional expenditure under object head Major Works towards construction of 2nd phase of Industrial Training Institute building (₹ 4 crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.  
Meeting additional expenditure under object head Major Works towards construction of building for Fire vehicles at Kavaratti Helipad (₹ 0.20 Crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.  
Meeting additional expenditure under object head Major Works, towards construction of Stadium buildings (₹ 0.50 Crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.  
Meeting additional expenditure under object head Major Works, towards cost of land acquisition and construction of desalination plants, rain water tanks and distribution network in different islands (₹ 2 crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.  
Meeting additional expenditure under object head Major Works towards cost of land acquisition and construction of Government accommodations (₹ 2 crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.  
Meeting additional expenditure under object head Major Works, towards construction of Office Building for District Panchayat at Kavaratti (₹ 0.50 crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.  
Meeting additional expenditure under object head Major Works towards cost of land acquisition and construction/widening of roads in different islands (₹ 5 crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.  
Meeting additional expenditure under object head Major Works, towards construction of first floor of Paryavaran Bhavan under the Department of Environment and Forest (₹ 0.30 Crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 56  
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	6406.00	6406.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>6406.00</b>	<b>6406.00</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>6406.01</b>	<b>6406.01</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>6406.01</b>	<b>6406.01</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अन्तर्गत व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 20 करोड़)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure under Grants for Creation of Capital Assets for Pradhan Mantri Awas Yojana (₹ 20 crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 57  
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये )  
(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	67459.05	67459.05
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>67459.05</b>	<b>67459.05</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	650.03	650.03
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>650.03</b>	<b>650.03</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>68109.12</b>	<b>68109.12</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>68109.12</b>	<b>68109.12</b>
पूंजी	Capital	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	650.00 (का)	650.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खb)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गc)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (घd)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>650.03</b>	<b>650.03</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन 1. केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) (₹ 300.53 करोड़), 2. नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) (₹ 325 करोड़) 3. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (₹ 18.94 करोड़) 4. केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (₹ 4.62 करोड़) 5. राष्ट्रीय बाल भवन (₹ 0.91 करोड़)। (ii) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) (₹ 751.49 करोड़) 2. नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) (₹ 687.16 करोड़), 3. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (₹ 42.27 करोड़) 4. केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (₹ 11.17 करोड़) 5. राष्ट्रीय बाल भवन (₹ 1.74 करोड़) और 6. सुलभता तथा इक्विटी (₹ 0.26 करोड़) (iii) स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान 1. केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) (₹ 290 करोड़), 2. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (₹ 7.49 करोड़) 3. केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (₹ 13 करोड़) 4. सर्वशिक्षा अभियान (₹ 2.44 करोड़) (iv) राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत प्रयोजन शीर्ष छात्रवृत्ति/वजीफा (₹ 273.46 करोड़) (v) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत प्रयोजन शीर्ष व्यावसायिक सेवाएं 1. माध्यमिक शिक्षा अभियान (₹ 2.93 करोड़) और 2. सर्वशिक्षा अभियान (₹ 12 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

(a) (i) Grants in Aid Salaries under the scheme:- (1) Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹ 300.53 crore), (2) Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) (₹ 325 crore), (3) National Council of Educational Research and Training (NCERT) (₹ 18.94 crore), (4) Central Tibetan Schools Administration (CTSA) (₹ 4.62 crore) and (5) National Bal Bhawan (₹ 0.91 crore) (ii) Grant in aid General under the scheme-(1) Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹ 751.49 crore), (2) Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) (₹ 687.16 crore), (3) National Council of Educational Research and Training (NCERT) (₹ 42.27 crore), (4) Central Tibetan Schools Administration (CTSA) (₹ 11.17 crore), (5) National Bal Bhawan (₹ 1.74 crore) and (6) Access & Equity (₹ 0.36 Crore). (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme-(1) Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹ 290 crore), (2) National Council of Educational Research and Training (NCERT) (₹ 7.49 crore), (3) Central Tibetan Schools Administration (CTSA) (₹ 13 crore) and (4) Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (₹ 2.44 crore). (iv) Object Head Scholarship/Stipends under the scheme National Means Cum Merit Scholarship Scheme (₹ 273.46 crore) (v) Object Head Professional Services under the Scheme of (1) Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) (₹ 2.93 crore) and (2) Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (₹ 12 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें नकद ₹ 650 करोड़ का व्यय होगा।

- (ख) (i) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान- 1. केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) (₹ 442 करोड़) 2. नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) (₹ 80 करोड़) 3. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (₹ 5.11 करोड़) 4. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (₹ 12.443 करोड़) और 5. सर्वशिक्षा अभियान (₹ 202.55 करोड़)। (ii) स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान- 1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (₹ 28.83 करोड़) और 2. सर्वशिक्षा अभियान (₹ 94.59 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए एक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) (i) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान- 1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (₹ 78.44 करोड़) और 2. सर्वशिक्षा अभियान (₹ 216.55 करोड़) और 3. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण (₹ 12.07 करोड़) (ii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान स्कीम के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 102.82 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए एक अनुदान मांगा जाता है।

- (घ) (i) सर्वशिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.08 करोड़) (ii) सर्वशिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 36.92 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक एक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 650 crore.

- (i) Grants in Aid General under the scheme:- (1) Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹ 442 crore), (2) Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) (₹ 80 crore), (3) National Council of Educational Research and Training (NCERT) (₹ 5.11 crore), (4) Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) (₹ 12.43 crore) and (5) Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (₹ 202.55 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme:- (1) Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) (₹ 28.83 crore) and (2) Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (₹ 94.59 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Grants in Aid General under the scheme:- (1) Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) (₹ 78.44 crore), (2) Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (₹ 216.55 crore) and (3) Strengthening of Teacher Training Institutions (₹ 12.07 Crore). (ii). Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) (₹ 102.82 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i). Grants in Aid General under the scheme Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (₹ 0.08 crore). (ii). Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (₹ 36.92 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

मांग संख्या DEMAND NO 58

**उच्चतर शिक्षा विभाग**

**DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये )  
(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		<i>( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)</i>		
		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	33079.70	33079.70
पूंजी	Capital	...	250.00	250.00
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>33329.70</b>	<b>33329.70</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	1532.76	1532.76
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>1532.76</b>	<b>1532.76</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>34862.49</b>	<b>34862.49</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>34612.49</b>	<b>34612.49</b>
पूंजी	Capital	...	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	708.94	(का) 708.94
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	555.82	(खb) 555.82
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	268.00	(गc) 268.00
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>1532.76</b>	<b>1532.76</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय भाषाओं के उन्नयन के लिए संस्थानों को अनुदान (₹ 8.81 करोड़ रुपए) (ii) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के राष्ट्रीय आयोग के लिए (₹ 2 करोड़) (iii) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (₹ 6 करोड़) (iv) शास्त्री इंडो केनेडियन संस्थान (₹ 0.76 करोड़), (v) ग्लोबल एंगेजमेंट के लिए शुरुआत (₹ 4 करोड़), (vi) आरोवाइल प्रबंधन (₹ 4 करोड़), (vii) वर्चुअल क्लासरूमों की स्थापना और वृहत पैमाने पर ओपेन आनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) (₹ 10 करोड़), (viii) आईसीटी के जरिए शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अभियान (₹ 6 करोड़)। (2) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान : (i) भारतीय भाषाओं के उन्नयन के लिए संस्थानों को अनुदान (₹ 30 करोड़), (ii) वर्चुअल क्लासरूमों की स्थापना और बड़े पैमाने पर आन-लाइन पाठ्यक्रम (₹ 5 करोड़), (iii) आईसीटी के जरिए शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अभियान (₹ 4 करोड़)। (3) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन, (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सहायता (₹ 230.80 करोड़), (ii) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 568.34 करोड़), (iii) मानव शास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान में उत्कर्षता के लिए परिषदों/संस्थाओं को अनुदान (₹ 8.50 करोड़), (iv) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (₹ 1.30 करोड़), (v) आरोवाइल प्रबंधन (₹ 1 करोड़) के खर्च को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में बचत की उपलब्धता को देखते हुए इस पर ₹ 708.94 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) 1. योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता (₹ 200 करोड़), (ii) नए भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थानों की स्थापना (₹ 8 करोड़), (iii) उच्चतर अविष्कार अभियान (₹ 30 करोड़), (iv) स्वच्छता ऐक्शन प्लान (एसएपी) (₹ 0.38 करोड़), (v) मुंबई, कोलकाता, मद्रास

The supplementary grants are required for:

(a) Meeting Expenditure towards:- 1. Grant-in-Aid General under the Scheme:- (i) Grants to Institutes for Promotion of Indian Languages [₹ 8.81 Crore] (ii) National Commission for Minority Educational Institutions(NCMEI) [₹ 2 Crore] (iii) National Book Trust [₹ 6 Crore] (iv) Shastri Indo-Candian Institute [₹ 0.76 Crore] (v) Initiative for global engagement [₹ 4 Crore] (vi) Auroville Management [₹ 4 Crore] (vii) Setting up virtual classrooms and massive open online courses (MOOCs) [₹ 10 Crore] (viii) National Mission in Education through ICT [₹ 6 Crore] 2. Grants For Creation of Capital Assets under the following schemes: (i) Grants to Institutes for Promotion of Indian Languages [₹ 30 Crore] (ii) Setting up virtual classrooms and massive open online courses (MOOCs) [₹ 5 Crore] (iii) National Mission in Education through ICT [₹ 4 Crore] 3.Grants-in-Aid Salaries under the schemes:- (i) Support to University Grants Commission (UGC) [₹ 230.80 Crore] (ii) Grants to Central Universities (CUs) [₹ 568.34 Crore] (iii) Grants to Councils/Institutes for Excellence in Humanities and Social Sciences [₹ 8.50 Crore] (iv) National Book Trust [₹ 1.30 Crore] (v)Auroville Management (₹ 1 crore).

Taking into Account the savings available in the same section of the grant this will entail a net cash outgo of ₹ 708.94 crore.

(b) 1. Grant-in-Aid General under the Scheme (i) Support to Indian Institutes of Technology(IITs) [₹ 200 Crore] (ii) Setting up New IITs [₹ 8 Crore] (iii) Uchhatar Avishkar Abhiyan [₹ 30 Crore] (iv) Swachhta Action Plan (SAP) [₹ 0.38 Crore] (v) Board of

और कानपुर में प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (₹ 2 करोड़), (2) योजनाओं के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान, (i) नए आईआईटी की स्थापना (₹ 7 करोड़) (ii) आईआईटी, आंध्र प्रदेश (₹ 5.30 करोड़), (iii) मुंबई, कोलकोता, मद्रास और कानपुर प्रशिक्षु बोर्ड (₹ 1 करोड़), (iv) भारतीय विज्ञान संस्थान को सहायता (₹ 35 करोड़) योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन : (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता (₹ 279 करोड़) (ii) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद (₹ 30 करोड़), (iii) भारतीय प्रबंधन संस्थानों को सहायता (₹ 32 करोड़), (iv) भारतीय प्रबंधन संस्थान, आंध्र प्रदेश (₹ 1 करोड़), (v) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता (₹ 164.40 करोड़), (vi) एनआईटी, आंध्र प्रदेश (₹ 3.77 करोड़), (vii) भारतीय इंजीनियरी, साइंस एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उन्नयन (आईआईईएसटी) (बीईएसयू) और (सीयूएसएटी) (₹ 20 करोड़), (viii) इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस फार एजुकेशन एण्ड रिसर्च को सहायता (₹ 65 करोड़), (ix) भारतीय विज्ञान संस्थान को सहायता (₹ 35 करोड़), (x) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) (₹ 10 करोड़), (xi) राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई (₹ 3.15 करोड़), (xii) न्यू स्कूल्स ऑफ प्लानिंग एण्ड अर्किटेक्चर (₹ 2 करोड़), (xiii) राष्ट्रीय तकनीकी प्रध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (₹ 2 करोड़), (xiv) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई, कोलकाता, मद्रास एवं कानपुर (₹ 1.50 करोड़) (xv) स्लीट, नेरिस्ट, निफ्ट एवं सीआईटी कोंकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 7 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में बचत की उपलब्धता को देखते हुए इसमें ₹ 555.82 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा

(ग) 1. योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 60 करोड़), (ii) भारतीय भाषाओं के उन्नयन के लिए अनुदान (₹ 0.50 करोड़), (iii) स्लाई, नेरिस्ट, निफ्ट तथा सीआईटी, कोंकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 4.50 करोड़), (2) योजना के अंतर्गत पूंजी अस्तियों के सृजन के लिए अनुदान स्लिपट, नेरिस्ट, निफ्ट और सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 40 करोड़) (3) योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (i) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 200 करोड़), (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता (₹ 15 करोड़), (iii) भारतीय प्रबंधन संस्थानों को सहायता (₹ 5 करोड़), (iv) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता (₹ 40 करोड़), (v) स्लिपट, नेरिस्ट, निफ्ट एवं सीआईटी कोंकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 16 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में बचत की उपलब्धता को देखते हुए इसमें ₹ 268 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Madras and Kanpur [₹ 2 Crore] 2. Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) Setting up of New IITs [₹ 7 Crore] (ii) IIT, Andhra Pradesh [₹ 5.30 Crore] (iii) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Madras and Kanpur [₹ 1 Crore] (iv) Support to Indian Institute of Science (IISc) [₹ 35 Crore] 3. Grant-in-Aid Salaries under the scheme :- (i) Support to Indian Institutes of Technology(IITs) [₹ 279 Crore] (ii) Indian School of Mines, Dhanbad [₹ 30 Crore] (iii) Support to Indian Institutes of Management [₹ 32 Crore] (iv) Indian Institutes of Management, Andhra Pradesh [₹ 1 Crore] (v) Support to National Institutes of Technology [₹ 164.40 Crore] (vi) NIT, Andhra Pradesh [₹ 3.77 Crore] (vii) Upgradation of Indian Institute of Engineering, Science & Technology (IEST) (BESU & CUSAT) [₹ 20 Crore] (viii) Support to Indian Institutes of Science for Education & Research (IISERs) [₹ 65 Crore] (ix) Support to Indian Institute of Science (IISc) [₹ 35 Crore] (x) Support to Indian Institutes of Information Technology (Allahabad, Gwalior, Jabalpur & Kanchipuram) [₹ 10 Crore] (xi) National Institute of Industrial Engineering, Mumbai [₹ 3.15 Crore] (xii) New Schools of Planning & Architecture [₹ 2 Crore] (xiii) National Institutes of Technical Teachers Training & Research [₹ 2 Crore] (xiv) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Madras and Kanpur [₹ 1.50 Crore] (xv) Assistance to Other Institutes including SLIET, NERIST, NIFFT & CIT Kokrajhar [₹ 7 Crore]

Taking into Account the savings available in the same section of the grant this will entail a net cash outgo of ₹ 555.82 crore.

(c) Meeting expenditure towards:- 1. Grant-in-Aid General under the Scheme (i) Grants to Central Universities (CUs) [₹ 60 Crore] (ii) Grants for Promotion of Indian Languages [₹ 0.50 Crore] (iii) Assistance to Other Institutes including SLIE, NERIST, NIFT & CIT Kokrajhar (₹ 4.50 Crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Assistance to Other Institutes including SLIET, NERIST, NIFFT & CIT Kokrajhar [₹ 40 Crore] 3. Grant in Aid Salaries under the scheme (i) Grants to Central Universities (CUs) [₹ 200 Crore] (ii) Support to Indian Institutes of Technology(IITs) [₹ 15 Crore] (iii) Support to Indian Institutes of Management [₹ 5 Crore] (iv) Support to National Institutes of Technology [₹ 40 Crore] (v) Assistance to Other Institutes including SLIET, NERIST, NIFFT, & CIT Kokrajhar (₹ 16 Crore)

Taking into Account the savings available in the same section of the grant this will entail a net cash outgo of ₹ 268 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 59

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये )  
(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) ( In ₹ crores )		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	4379.90	4379.90
पूंजी	Capital	...	29.10	29.10
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>4409.00</b>	<b>4409.00</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>4409.05</b>	<b>4409.05</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>4379.95</b>	<b>4379.95</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	<b>29.10</b>	<b>29.10</b>

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2220-सूचना और प्रचार	2220-Information and Publicity	...	0.01	(क) 0.01
2221-प्रसारण	2221-Broadcasting	...	0.01	(ख) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ग) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 'लघु कार्य' नए प्रयोजन शीर्ष के तहत निधियों के खोले जाने और आबंटन हेतु (₹ 0.01 करोड़) और आईटी (अन्य व्यय) (₹ 0.15 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) 'सामान्य सहायता अनुदान के तहत 'अरुण प्रभा चैनल' की नई योजना के लिए निधियां प्रदान करना (₹ 56.99 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ग) सामान्य सहायता अनुदान के तहत 'अरुण प्रभा चैनल' की नई योजना हेतु उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए निधियां प्रदान करना (₹ 56.99 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

- (a) opening & allocation of funds under the new object heads 'Minor Works ' (₹ 0.01 crore) and 'IT (OE)' (₹ 0.15 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing funds for the new scheme of 'Arun Prabha Channel' under 'Grants-in-aid General'. (₹ 56.99 Crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) providing funds for N.E. Region for the new scheme of 'Arun Prabha Channel' under 'Grants-in-aid General' (₹ 56.99 Crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 60

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये )  
(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) ( In ₹ crores )		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	7355.53	7355.53
पूंजी	Capital	...	22.85	22.85
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>7378.38</b>	<b>7378.38</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	19.00	19.00
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>19.00</b>	<b>19.00</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>7397.41</b>	<b>7397.41</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>7355.55</b>	<b>7355.55</b>
पूंजी	Capital	...	<b>41.86</b>	<b>41.86</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खb)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01 (गc)	0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(i)	प्रयोजन शीर्ष 'अंशदान' के अंतर्गत (₹ 241.94 करोड़) के अंतर्गत कमचारी पेंशन योजना, 1995 लिए सरकार के हिस्से पर बकाया के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 63.90 करोड़)	(a)	(i)	meeting additional requirement for arrears on Government Share towards Employee Pension Scheme, 1995 under Object head 'Contribution' (₹ 241.94 crore) and Grants-in-aid General (₹ 63.90 crore).
	(ii)	प्रयोजन शीर्ष अन्य प्रशासनिक खर्च के अंतर्गत असम बागान कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 1 करोड़) और अंशदान (₹ 43.10 करोड़), पारिवारिक पेंशन-सह-जीवन बीमा स्कीम के तहत तथा प्रयोजन शीर्ष अन्य प्रशासनिक खर्च के लिए (₹ 0.80 करोड़) तथा चाय बागान के लिए जमा सहबद्ध बीमा स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹ 9.10 करोड़)।		(ii)	meeting additional requirement under 'Social Security for Assam Plantation Workers' under object Head 'Other Administrative Expenses' (₹ 1 crore) and 'Contribution' (₹ 43.10 crore) under Family Pension-cum-Life Assurance Scheme and towards object Head 'Other Administrative Expenses (₹ 0.80 crore) & Contribution (₹ 9.10 crore) under Deposit Linked Insurance Scheme for Tea Plantation.
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i)	प्रयोजन शीर्ष 'अंशदान' के अंतर्गत (₹ 26.88 करोड़) के तहत कमचारी पेंशन योजना, 1995 के लिए सरकार के हिस्से पर बकाया के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना और अतिरिक्त पूर्वोत्तर घटकों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7.10 करोड़)।	(b)	(i)	meeting additional requirement for payment of arrears on Government share towards Employee Pension Scheme, 1995 in the object head 'Contribution' (₹ 26.88 crore) & Grants-in-aid General (₹ 7.10 crore) under the North Eastern components.
	(ii)	प्रयोजन शीर्ष अंशदान के अंतर्गत असम बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 4.90 करोड़) और प्रयोजन शीर्ष अन्य प्रशासनिक खर्च के लिए पारिवारिक पेंशन सह जीवन बीमा स्कीम के तहत (₹ 0.10 करोड़) तथा चाय बागान हेतु जमा सहबद्ध बीमा स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹ 1 करोड़)।		(ii)	meeting additional requirement under 'Social Security for Assam Plantation Workers' under object Head 'Contribution' (₹ 4.90 crore) under Family Pension-cum-Life Assurance Scheme and towards object Head 'Other Administrative Expenses (₹ 0.10 crore) & Contribution (₹ 1 crore) under Deposit Linked Insurance Scheme for Tea Plantation.

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) प्रयोजन शीर्ष मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु क्षेत्रीय श्रम संस्थान की स्थापना की स्कीम के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु ₹ 0.50 करोड़ अपेक्षित है।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional requirement of ₹ 0.50 crore towards the scheme of 'Establishment of Regional Labour Institute for North Eastern Region under the object head 'Major Works'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 61

विधि और न्याय

LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79)

(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	3072.39	3072.39
पूंजी	Capital	...	1071.27	1071.27
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>4143.66</b>	<b>4143.66</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	46.26	46.26
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>46.27</b>	<b>46.27</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>4189.93</b>	<b>4189.93</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>3072.40</b>	<b>3072.40</b>
पूंजी	Capital	...	<b>1117.53</b>	<b>1117.53</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	...	0.01	(क) 0.01
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	46.26	(ख) 46.26
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>46.27</b>	<b>46.27</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) यूओआई के बचाव में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि में उनकी उपस्थित के लिए विधि अधिकारियों, सरकारी परामर्शियों के लंबित बिलों के भुगतान हेतु व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करना। (₹ 16.00 करोड़)
- अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) मशीनरी और उपस्कर के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा वोटर वेरिफिएबल पेपर आडिट ट्रेल्स के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करना। (₹ 500.00 करोड़)
- अनुदान के इसे खण्ड में उपलब्ध ₹ 453.74 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 46.26 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional requirement under Professional Services to clear the pending bills of Law Officers, Government counsel for their appearance in Supreme court, High Court, etc. to defend Union of India (₹ 16 crore).
- Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional requirement under Machinery and Equipment to make payment to the suppliers of Electronic Voting Machines and Voter Verifiable Paper Audit Trails (₹ 500.00 crore).
- Taking into account savings of ₹ 453.74 crore available in same Section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 46.26 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 62

निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	113.00	113.00
पूंजी	Capital	...	33.00	33.00
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>146.00</b>	<b>146.00</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	5.00	5.00
पूंजी	Capital	...	38.79	38.79
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>43.79</b>	<b>43.79</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>189.79</b>	<b>189.79</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>118.00</b>	<b>118.00</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	<b>71.79</b>	<b>71.79</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2015-चुनाव	2015-Elections	...	5.00	(क) 5.00
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	38.79	(ख) 38.79
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>43.79</b>	<b>43.79</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 5 करोड़)।

उपयुक्त में नकद व्यय होगा।

(ख) निर्वाचन आयोग की अतिरिक्त कार्यालय इमारत के निर्माण हेतु डीडीए से जमीन की खरीद हेतु व्यय पूरा करना (₹ 38.79 करोड़)।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting additional expenditure on establishment related expenditure (₹ 5 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

(b) meeting expenditure on purchase of land from DDA for construction of additional office building for Election Commission (₹ 38.79 crore).

This will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या DEMAND NO 63 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय

SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>I. विनियोग:</b>	<b>I. ORIGINAL APPROPRIATION:</b>			
राजस्व	Revenue	247.00	...	247.00
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	<b>247.00</b>	...	<b>247.00</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	8.00	...	8.00
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	<b>8.00</b>	...	<b>8.00</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>255.00</b>	...	<b>255.00</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	<b>255.00</b>	...	<b>255.00</b>
पूँजी	<b>Capital</b>	...	...	...
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	8.00	...	8.00

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (i) कार्यालय व्यय के अंतर्गत (₹ 15.06 करोड़) (ii) चिकित्सा व्यय (₹ 1 करोड़) और (iii) व्यावसायिक सेवाएं (₹ 7.50 करोड़)।

अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध ₹ 15.56 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में ₹ 8 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting additional requirement under (i) Office Expenses (₹ 15.06 crore) (ii) Medical Expenses (₹ 1 crore) and (iii) Professional Services (₹ 7.50 crore).

Taking into account the savings of ₹ 15.56 crore available in the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo of ₹ 8 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 64

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिये )  
( See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 )

		( ₹ करोड़ ) ( In ₹ crores )		
		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	6471.36	6471.36
पूंजी	Capital	...	10.60	10.60
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>6481.96</b>	<b>6481.96</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>6482.00</b>	<b>6482.00</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>6471.40</b>	<b>6471.40</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	<b>10.60</b>	<b>10.60</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01 (खब)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के तहत "राजसहायता" से रूप में ₹ 13 करोड़ और उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु एशियाई विकास बैंक से विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना खादी सुधार विकास पैकेज (केआरडीपी) के तहत "सामान्य सहायता अनुदान" के रूप में ₹ 19 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत "सब्सिडी" के रूप में ₹ 152 करोड़ (एससीसी में ₹ 20 करोड़ और एसटीसी में ₹ 13 करोड़ सहित) योजना के संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत "विज्ञापन और प्रचार" के रूप में ₹ 5 करोड़, खादी सुधार विकास पैकेज के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 361 करोड़ योजना के संवर्धन हेतु संवर्धन सेवा संस्थान और कार्यक्रम के तहत "विज्ञापन और प्रचार" के रूप में, ₹ 5 करोड़ और तकनीकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) के क्रियान्वयन के लिए अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण (ईएपी) के तहत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 45.62 करोड़ राशि की अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting the additional requirement of ₹ 13 crore as "Subsidies" under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) - NER and ₹ 19 crore as "Grant-in-aid General" under Khadi Reform Development Package (KRDP) - an Externally Aided project from Asian Development Bank (ADB) for NER.  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting the additional requirement of ₹ 152 crore (including ₹ 20 crore in SCC and ₹ 13 crore in STC) as "Subsidies" under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), ₹ 5 crore as "Advertisement & Publicity" under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) for promotion of the scheme, ₹ 361 crore as "Grant-in-aid General" under Khadi Reform Development Package, ₹ 5 crore as "Advertisement & Publicity" under Promotional Services Institutions and Programme and ₹ 45.62 Crore as "GIA General" under Infrastructure Development and Capacity Building (EAP) to implement Technology Centre Systems Programme (TCSP).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 65

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	0.10	1054.55	1054.65
पूंजी	Capital	...	158.84	158.84
जोड़	<b>Total</b>	<b>0.10</b>	<b>1213.39</b>	<b>1213.49</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	47.00	47.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>47.00</b>	<b>47.00</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>0.10</b>	<b>1260.39</b>	<b>1260.49</b>
राजस्व	Revenue	0.10	1101.55	1101.65
पूंजी	Capital	...	158.84	158.84
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	...	47.00	47.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 47 करोड़) वेतन, मजदूरी, किराया-दरें और कर, अन्य प्रशासनिक खर्च एवं भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण के अंतर्गत कार्यालयी खर्च के लिए।  
निधियों की समतुल्य राशि अनुदान के पूंजी भाग से अभ्यर्पित की जाएगी। तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional requirements (₹ 47 crore) towards Salary, Wages, Rent-Rates & Taxes, Other Administrative Expenses and Office Expenses under Geological Survey of India (GSI).  
An equivalent amount of funds would be surrendered from Capital Section of the Grant. A Technical Supplementary is sought.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 66**

**अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय**

**MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 43 देखिये )  
(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	4025.48	4025.48
पूंजी	Capital	...	170.00	170.00
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>4195.48</b>	<b>4195.48</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>4195.55</b>	<b>4195.55</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>4025.55</b>	<b>4025.55</b>
पूंजी	Capital	...	<b>170.00</b>	<b>170.00</b>

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01 (का)	0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (खb)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गc)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (घd)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित छात्रों के लिए प्रीलिम्स के लिए सहायता (₹ 2.70 करोड़) (ii) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप (₹ 45 करोड़), (iii) पोस्ट-मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम (₹ 11.29 करोड़) और (iv) कौशल विकास पहल (₹ 2.50 करोड़)।	(a)	For meeting additional expenditure under (i) Support for Students clearing prelims conducted by UPSC, SSC, State Public Service Commission etc. (₹ 2.70 crore), (ii) Maulana Azad National Fellowship for Minority Students. (₹ 45 crore), (iii) Post-Matric Scholarship Scheme (₹ 11.29 crore) and (iv) Skill Development Initiatives (₹ 2.50 crore).
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) राज्य वक्फ बोर्डों के रिकार्ड और सुदृढीकरण का कम्प्यूटरीकरण (₹ 12 करोड़), (ii) अल्पसंख्यक महिलाओं का नेतृत्व विकास (₹ 7 करोड़), (iii) पारंपरिक कला / शिल्पों (₹ 7 करोड़) में उन्नयन कौशल और प्रशिक्षण, (iv) विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी (₹ 9 करोड़), और (v) अल्प अल्पसंख्यक समुदायों की घटती जनसंख्या को काबू में रखना (₹ 1 करोड़) और (vi) हज पर (₹ 0.10 करोड़) का व्यय।	(b)	For meeting additional expenditure under (i) Computerisation of Records and Strengthening of State Waqf Boards (₹ 12 crore), (ii) Leadership Development of Minority Women (₹ 7 crore), (iii) Upgrading Skill and Training in Traditional Arts/Crafts (₹ 7 crore), (iv) Interest Subsidy on Educational Loans for Overseas Studies (₹ 9 crore), (v) Containing Population decline of small Minority Communities (₹ 1 crore) and (vi) expenditure on Haj (₹ 0.10 crore).
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) राज्य वक्फ बोर्डों के रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण (₹ 0.70 करोड़), (ii) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप (₹ 5 करोड़), (iii) यूपीएससी, एसएससी आदि द्वारा आयोजित प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए छात्रों की सहायता (₹ 0.30 करोड़) और (iv) एसएपी व्यय के लिए (₹ 120.50 करोड़) सहित अल्पसंख्यकों के लिए बहु क्षेत्रक कार्यक्रम ₹ 0.25 करोड़।	(c)	For Meeting additional expenditure under (i) Computerisation of Records of State Waqf Boards, (₹ 0.70 crore), (ii) Maulana Azad National Fellowship for Minority Students (₹ 5 crore), (iii) Support for Students clearing prelims conducted by UPSC, SSC etc. (₹ 0.30 crore) and (iv) Multi-sectoral programme for Minority including ₹ 0.25 crore for SAP expenditure (₹ 120.50 crore).

- अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है।
- (घ) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के रूप में एमएसडीपी स्वच्छता कार्य योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 2 करोड़)
- अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Additional requirement under MsDP Swachhta Action Plan as Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 67  
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	10724.54	10724.54
पूँजी	Capital	...	90.00	90.00
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>10814.54</b>	<b>10814.54</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>10814.55</b>	<b>10814.55</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>10724.55</b>	<b>10724.55</b>
पूँजी	<b>Capital</b>	...	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) (क) ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा योजना में पवन विद्युत के तहत सब्सिडी हेतु अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 350 करोड़); (ख) ऑफ-ग्रिड/ वितरित और सौर पम्पिंग कार्यक्रम हेतु विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा योजना के सौर विद्युत शीर्ष के तहत पूँजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना। स्ट्रीट लाइट और हाउसलाइट और अटल ज्योति योजना स्कीम(₹ 356 करोड़); (ग) राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र योजना के क्रियान्वयन हेतु ऑफ-ग्रिड/ वितरित और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय विद्युत योजना में बायोगैस शीर्ष के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 5 करोड़); और (घ) केन्द्रीय क्षेत्र योजना राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के क्रियान्वयन हेतु ऑफ-ग्रिड/ वितरित और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय विद्युत योजना में बायोगैस शीर्ष के तहत पूँजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 10 करोड़)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

- (i) (a) providing additional fund for Subsidy under the Wind Power in the scheme Grid Interactive and Distributed Renewable Power (₹ 350 crore); (b) providing Grants for Creation of Capital Assets under the head Solar Power in the scheme Off-Grid / Distributed and Decentralised Renewable Power for Solar Pumping Programme, Streetlights & Houselights and Atal Jyoti Yojana (AJAY) Scheme (₹ 356 crore); (c) providing Grants-in-Aid General under the head Biogas in the scheme Off-Grid / Distributed and Decentralised Renewable Power for implementation of Central Sector Scheme National Biogas and Manure Management Programme (NBMMMP) (₹ 5 crore); and (d) Providing Grants for Creation of Capital Assets under the head Biogas in the scheme Off-Grid / Distributed and Decentralised Renewable Power for implementation of Central Sector Scheme National Biogas and Manure Management Programme (NBMMMP) (₹ 10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 68

पंचायती राज मंत्रालय

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	790.79	790.79
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>790.79</b>	<b>790.79</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>790.80</b>	<b>790.80</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>790.80</b>	<b>790.80</b>
पूँजी	<b>Capital</b>	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (I) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मिडिया एवं प्रचार के अन्तर्गत निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 8 करोड़)।  
अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

- (I) providing funds under Media & Publicity in Other Rural Development Programme (₹ 8 crore)  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 69

संसदीय कार्य मंत्रालय

## MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	17.88	17.88
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>17.88</b>	<b>17.88</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.50	0.50
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>18.38</b>	<b>18.38</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>18.38</b>	<b>18.38</b>
पूँजी	<b>Capital</b>	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.50	0.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विधायिका वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-विधान लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 'सूचना प्रौद्योगिकी' शीर्ष के तहत अतिरिक्त व्यय की जरूरत को पूरा करना  
उपर्युक्त व्यय के लिए नकद व्यय की आवश्यकता होगी ।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure under the head 'Information Technology' for initiating the process of rolling out e-Vidhan in all the States/UTs with Legislature.  
The above expenditure will entail a cash outgo.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

मांग संख्या DEMAND NO 70

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय**

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये )

( See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 )

		( ₹ करोड़ ) ( In ₹ crores )		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	4.49	1266.60	1271.09
पूंजी	Capital	2.00	149.91	151.91
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>6.49</b>	<b>1416.51</b>	<b>1423.00</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.05	0.05
पूंजी	Capital	...	0.08	0.08
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	196.67	196.67
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>196.68</b>	<b>196.68</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>6.49</b>	<b>1613.32</b>	<b>1619.81</b>
राजस्व	Revenue	<b>4.49</b>	<b>1463.32</b>	<b>1467.81</b>
पूंजी	Capital	<b>2.00</b>	<b>150.00</b>	<b>152.00</b>

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	1.84	(क) 1.84
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	...	6.49	(ख) 6.49
2051-लोक सेवा आयोग	2051-Public Service Commission	...	152.13	(ग) 152.13
2055-पुलिस	2055-Police	...	27.98	(घ) 27.98
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	8.23	(ङ) 8.23
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>196.67</b>	<b>196.67</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(च) 0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>196.68</b>	<b>196.68</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	डीओपीटी के कार्यालय व्यय (₹ 1.27 करोड़) और पेंशन और पीडब्ल्यू विभाग के कार्यालय व्यय (₹ 0.57 करोड़) को पूरा करने के लिए। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(a)	meeting expenditure of DOPT's Office Expenses (₹ 1.27 Crore) & D/o Pensions & PW (₹ 0.57 Crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ख)	कैट के स्थापना संबंधी व्यय ₹ 6.49 करोड़ को पूरा करना के लिए। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	meeting establishment expenditure of Central Administrative Tribunal of ₹ 6.49 crore Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ग)	एसएससी में व्यावसायिक सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 152.13 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध (₹ 15.13 करोड़) की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए इस पर ₹ 137 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(c)	meeting expenditure of Professional Services in Staff Selection Commission (₹ 152.13 Crore) Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section (₹ 15.13) of the Grant, this will entail a net cash outgo of ₹ 137 crore.
(घ)	केंद्रीय जांच ब्यूरो के स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 27.98 करोड़)। इस अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचत को वापिस लौटाने के मद्देनजर उपरोक्त व्यय के लिए किसी अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।	(d)	meeting establishment expenditure of Central Bureau of Investigation of ₹ 27.98 crore. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

- (ड) एलबीएसएनएए (Rs 1.59 करोड़) आईएसटीएम (₹ 6.24 करोड़) और सीआईसी (Rs 0.40 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए। (e) meeting additional establishment expenditure of LBSNAA- (₹ 1.59 Crore), ISTM- (Rs 6.24 Crore) and CIC-( ₹ 0.40 Crore ).  
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा। Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (च) एलबीएसएनएए के पूंजी स्कीम की ₹ 3 करोड़ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। (f) meeting expenditure for Capital scheme of Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) of ₹ 3 Crore.  
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will not entail additional cash outgo.

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

## संख्या DEMAND NO 71 (विनियोग)(APPROPRIATION)

## केंद्रीय सतर्कता आयोग

## CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 45 देखिये )  
(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 45 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) ( In ₹ crores )		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. विनियोग:</b>	<b>I. ORIGINAL APPROPRIATION:</b>			
राजस्व	Revenue	27.68	...	27.68
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	<b>27.68</b>	...	<b>27.68</b>
<b>पूरक विनियोग:</b>	<b>SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::</b>			
राजस्व	Revenue	0.01	...	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	<b>0.01</b>	...	<b>0.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	3.35	...	3.35
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	<b>3.35</b>	...	<b>3.35</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>31.04</b>	...	<b>31.04</b>
राजस्व	Revenue	<b>31.04</b>	...	<b>31.04</b>
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2062-सतर्कता	2062-Vigilance	3.35	...	3.35

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

इनके व्यय को पूरा करने के लिए (i) वेतन (₹ 1.58 करोड़) (ii) घरेलू यात्रा व्यय (₹ 0.23 करोड़) (iii) कार्यालय व्यय (₹ 0.43 करोड़) (iv) चिकित्सा (₹ 0.07 करोड़) और (v) सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य प्रभार (₹ 0.38 करोड़) (vi) मजदूरी (₹ 0.03 करोड़) (vii) प्रकाशन (₹ 0.09 करोड़) (viii) व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.20 करोड़) (ix) विज्ञापन एवं प्रचार (₹ 0.34 करोड़)।

उपरोक्त पर ₹ 3.35 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting expenditure towards (i) Salaries (₹ 1.58 Crore) (ii) Domestic Travel Expenses (₹ 0.23 Crore) (iii) Office Expenses (₹ 0.43 Crore) (iv) Medical (₹ 0.07 Crore) and (v) IT & Other Charges (₹ 0.38 Crore)(vi) Wage (₹ 0.03 Crore)(vii) Publication (₹ 0.09 Crore)(viii) Professional Service (₹ 0.20 Crore) (ix) Advertisement & Publicity (₹ 0.34 Crore).

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 3.35 Crore.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 72  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये )  
(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		<i>( ₹ करोड़ ) ( In ₹ crores )</i>		
		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	25310.37	25310.37
पूंजी	Capital	...	3847.20	3847.20
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>29157.57</b>	<b>29157.57</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	7000.00	7000.00
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>7000.00</b>	<b>7000.00</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	3.02	3.02
पूंजी	Capital	...	300.00	300.00
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>303.02</b>	<b>303.02</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>36460.59</b>	<b>36460.59</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>32313.39</b>	<b>32313.39</b>
पूंजी	Capital	...	<b>4147.20</b>	<b>4147.20</b>

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01 (का)	0.01
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum	...	3.00 (खब)	3.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गक)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>3.02</b>	<b>3.02</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4802-पेट्रोलियम पर पूंजी परिव्यय	4802-Capital Outlay on Petroleum	...	300.00 (घद)	300.00
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>303.02</b>	<b>303.02</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	अतिरिक्त निधियों का प्रावधान करना (i) कार्यालय व्यय (₹ 1.45 करोड़) (ii) अंशदान (₹ 0.07 करोड़) (iii) व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.02 करोड़) (iv) चिकित्सा उपचार (₹ 0.16 करोड़) अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(a)	providing additional funds for (i) Office Expenses (₹ 1.45 crore) (ii) Contribution (₹ 0.07 crore) (iii) Professional Services (₹ 0.02 crore) and (iv) Medical Treatment (₹ 0.16 crore); Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.
(ख)	(i) स्कीमों के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान देना (क) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विशाखापटनम (₹ 1 करोड़) (ख) ऊर्जा उत्कृष्टता केन्द्र, असम (₹ 1 करोड़) और (ग) ऊर्जा उत्कृष्टता केन्द्र, बंगलौर (₹ 1 करोड़); (ii) निर्धन परिवारों को एलपीजी कनेक्शन स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान करना (प्रधानमंत्री उज्जवला योजना) (₹ 425 करोड़); अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 3 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	(i) providing Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (a) Indian Institute of Petroleum & Energy (IIFE), Visakhapatnam (₹ 1 crore) (b) Centre of Excellence for Energy, Assam (₹ 1 crore) and (c) Centre of Excellence for Energy, Bangalore (₹ 1 crore); (ii) providing subsidy under the scheme LPG connections to Poor Households (Pradhan Mantri Ujjwala Yojna) (₹ 425 crore); Taking into account the surrender of savings of ₹ 3 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ग)	मिट्टी तेल वितरण संबंधी सुधारों के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन के तहत राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त निधियों का प्रावधान करना (₹ 84 करोड़)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक की मांग की गई है।	(c)	providing Grants-in-aid General under the scheme Cash incentive to State Governments for Kerosene Distribution Reforms (₹ 84 crore); Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	योजना 'राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम' (₹ 300 करोड़) के लिए भारत के तलछटीय बेसिनों के गैर मूल्यांकित क्षेत्रों के सवेक्षण हेतु निधियों प्रदान करना अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(d)	Providing funds under the scheme National Seismic Programme for Survey of un-appraised areas of Sedimentary Basins of India (₹ 300 crore); Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 73

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये )  
(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	252.09	252.09
पूंजी	Capital	...	0.43	0.43
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>252.52</b>	<b>252.52</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	27.27	27.27
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>27.27</b>	<b>27.27</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>279.80</b>	<b>279.80</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>279.37</b>	<b>279.37</b>
पूंजी	Capital	...	<b>0.43</b>	<b>0.43</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01 (का)	0.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	27.26 (खब)	27.26
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>27.27</b>	<b>27.27</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) प्रधानमंत्री आर्थिक एडवाइजरी परिषद के लिए व्यय पूरा करना (₹ 0.75 करोड़)

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) निम्नलिखित हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करना (i) स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोग सहित अटल नवोन्मेष मिशन (₹ 38 करोड़), और यूएनडीपी सहायता प्राप्त परियोजना 'विकेन्द्रीकृत आयोजना के लिए क्षमता सुदृढीकरण' (₹ 0.08 करोड़)।

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें (₹ 27.26 करोड़) का नगद मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting expenditure towards Economic Advisory Council to the Prime Minister (₹ 0.75 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting expenditure towards Grants-in-aid General for (i) Atal Innovation Mission (AIM) including Self Employment and Talent Utilization (SETU). (₹ 38 crore) and (ii) UNDP assisted project 'Strengthening Capacities for Decentralized Planning' (₹ 0.08 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the grant, this will entail a cash outgo of ₹ 27.26 crore.

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

## मांग संख्या DEMAND NO 74

## विद्युत मंत्रालय

## MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92)

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		भारत	स्वीकृत	(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
		Charged	Voted	जोड़	Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>				
राजस्व	Revenue	...	11102.46		11102.46
पूंजी	Capital	...	3708.40		3708.40
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>14810.86</b>		<b>14810.86</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>				
राजस्व	Revenue	...	2995.55		2995.55
पूंजी	Capital	...	0.01		0.01
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>2995.56</b>		<b>2995.56</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>17806.42</b>		<b>17806.42</b>
राजस्व	Revenue	...	14098.01		14098.01
पूंजी	Capital	...	3708.41		3708.41
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
		भारत	स्वीकृत	जोड़	
		Charged	Voted	Total	
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
2801-विद्युत	2801-Power	...	2995.55	(का)	2995.55
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01	(खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>2995.56</b>		<b>2995.56</b>
<b>टिप्पणी:</b> अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है। <b>Note:</b> The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.					
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
2801-विद्युत	2801-Power	...	(-)272.41		(-)272.41

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) (i) प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य के लिए (1) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 1451.25 करोड़) सब्सिडियां (₹ 60 करोड़) और अन्य प्रभार (₹ 38.75 करोड़) प्रदान करने के लिए और (ii) एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 437.75 करोड़) सब्सिडियां (₹ 10 करोड़) और अन्य प्रभार (₹ 2.25 करोड़)।
- (ii) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य में ट्रांसमिशन सिस्टम का सुदृढीकरण स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 93.50 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹ 13.50 करोड़)।
- (iii) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रणाली में सुधार स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए (₹ 81 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹ 22.50 करोड़) अनुदान प्रदान करने के लिए।
- (iv) भारत सरकार के पूर्ण सेवा बांड (₹ 26.39 करोड़) पर ब्याज के भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।
- (v) विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण स्कीम के अन्तर्गत निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 5.41 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) providing for 'Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana' (Saubhagya) (I) 'Grants for creation of Capital Assets (₹ 1451.25 crore), Subsidies (₹ 60 crore) and other charges (₹ 38.75 crore) under the schemes 'Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana' (DDUGJY) and (II) 'Grants for creation of Capital Assets (₹ 437.75 crore), Subsidies (₹ 10 crore) and other charges (₹ 2.25 crore) under the scheme 'Integrated Power Development Scheme' (IPDS);
- (ii) providing Grants for Creation of Capital Assets (₹ 93.50 crore) and for professional services (₹ 13.50 crore) under the scheme 'Strengthening of Transmission System in the State of Arunachal Pradesh and Sikkim';
- (iii) providing 'Grants for Creation of Capital Assets' (₹ 81 crore) and professional services (₹ 22.50 crore) under the scheme 'Power System Improvement in North Eastern States excluding Arunachal Pradesh and Sikkim';
- (iv) providing 'Grants in Aid General' for payment of interest on Government of India (Gol) fully serviced bond (₹ 26.39 crore);
- (v) providing funds under the scheme 'Appellate Tribunal for Electricity' (APTEL) (₹ 5.41 crore);

- (vi) चेनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लि. को अनुदान (₹ 100 करोड़) के रूप में जे एण्ड केपीएमडीपी के अन्तर्गत पाकुल डल हेप के लिए केंद्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए।
- (vii) दीनदायल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए (₹ 566 करोड़) और अन्य व्यय (₹ 20 करोड़) के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए।
- (viii) 'राष्ट्रीय विद्युत निधि को ब्याज सब्सिडी' स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (एनईएफ) (₹ 65 करोड़);
- (ix) विद्युत प्रणाली विकास स्कीम के अन्तर्गत विद्युत प्रणाली विकास निधि को निधियों का अन्तरण पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए (₹ 272.21 करोड़) प्रदान के लिए और व्यावसायिक प्रभार (₹ 0.20 करोड़) के लिए अनुदान पीएसडीएफ से पूरे किए जाएंगे।
- अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 1961.76 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में ₹ 542.57 करोड़ की बचत का उपयोग करने के बाद उपरोक्त व्यय पर ₹ 1033.79 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ख) कारगिल से होते हुए श्री नगर से लेह तक 220केवी ट्रांसमिशन लाईन स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 250 करोड़) ।
- अनुदान के इसी भाग के उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (vi) Providing 'Grants for creation of Capital Assets' under the scheme 'Central assistance for Pakul Dul HEP under J and K PMDP 2015 as grant to Chenab Valley power projects pvt limited (CVPPPL) (₹ 100 crore);
- (vii) providing 'Grants for creation of Capital Assets' (₹ 566 crore) and other expenditure (₹ 20 crore) under the scheme Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY);
- (viii) providing additional funds under the scheme 'Interest subsidy to National Electricity Fund' (NEF) (₹ 65 crore);
- (ix) transfer of funds to Power System Development Fund (PSDF) (₹ 272.41 crore) to provide Grants for Creation of Capital Assets (₹ 272.21 crore) and professional charges (₹ 0.20 crore) under the scheme 'for Power System Development to be met from PSDF.
- Taking into account the surrender of savings of ₹ 1961.76 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 542.57 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 1033.79 crore.
- (b) providing 'Grants for creation of Capital Assets' under the scheme '220 KV Transmission Line from Srinagar to Leh via Kargil' (₹ 250 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 78

उप-राष्ट्रपति का सचिवालय

SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	5.30	5.30
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>5.30</b>	<b>5.30</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	1.28	1.28
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>1.28</b>	<b>1.28</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>6.58</b>	<b>6.58</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>6.58</b>	<b>6.58</b>
पूँजी	<b>Capital</b>	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2012-राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	2012-President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories	...	1.28	1.28

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वाहन की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹1.33 करोड़)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध ₹ 0.05 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 1.28 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting the additional expenditure for purchase of vehicle (₹ 1.33 crore).

Taking into account the savings of ₹ 0.05 crore available in the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo of ₹ 1.28 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या DEMAND NO 79 (विनियोग)(APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97)

(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>I. विनियोग:</b>	<b>I. ORIGINAL APPROPRIATION:</b>			
राजस्व	Revenue	229.19	...	229.19
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	<b>229.19</b>	...	<b>229.19</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	12.11	...	12.11
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	<b>12.11</b>	...	<b>12.11</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>241.30</b>	...	<b>241.30</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	<b>241.30</b>	...	<b>241.30</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	...	...
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2051-लोक सेवा आयोग	2051-Public Service Commission	12.11	...	12.11

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

शीर्ष परीक्षा और चयन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 13 करोड़)।

इस अनुदान के इसी खंड के तहत उपलब्ध ₹ 0.89 करोड़ की बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 12.11 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting the additional expenditure under the head Examination and Selections (₹ 13 crore).

Taking into account savings of ₹ 0.89 crore available within the same Section of the Grant, the net cash outgo will be ₹ 12.11 crore.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 80**

**रेल मंत्रालय**

**MINISTRY OF RAILWAYS**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये )  
(See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 49 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	158.23	236461.18	236619.41
पूँजी	Capital	38.01	194303.45	194341.46
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>196.24</b>	<b>430764.63</b>	<b>430960.87</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>196.24</b>	<b>430764.65</b>	<b>430960.89</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	<b>158.23</b>	<b>236461.18</b>	<b>236619.41</b>
पूँजी	<b>Capital</b>	<b>38.01</b>	<b>194303.47</b>	<b>194341.48</b>

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>पूँजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्य और सामरिक लाइन पर पूँजी परिव्यय (5002 और 5003)	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial and Strategic Lines (5002 and 5003)	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

- |   |  |
|---|--|
| (I) कटिहार-तेजनारायणपुर - थू रेल नवीकरण (प्राथमिक) (33 किमी) (प्राथमिक), लागत रु.39.17 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे हेतु रेलपथ नवीकरण शीर्ष के अंतर्गत,                                  | (I) Katihar-Teznarayanpur -Through rail renewal (33 km) (Primary) costing ₹ 39.17 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewals' for Northeast Frontier Railway;  |
| (II) कैसल रॉक-कूलेम - संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (24.90 किमी) (प्राथमिक), लागत रु. 44.59 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे हेतु रेलपथ नवीकरण शीर्ष के अंतर्गत,                                      | (II) Castle Rock-Kulem - Complete track renewal (24.90 km) (Primary) costing ₹ 44.59 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewals' for South Western Railway;  |
| (III) रेलवे प्लेटफार्मों पर एस्केलेटर्स का प्रावधान (372 अदद), लागत रु. 372 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) -शीर्ष बिजली संबंधी अन्य कार्य के अंतर्गत, पश्चिम रेलवे हेतु   | (III) Provision of Escalators(372 Nos) on Railway Platforms (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Other Electrical Works' for Western Railway costing ₹ 372 crore;   |
| (IV) सवारी डिब्बा कारखाना में लिंक हॉफमेन बुश कोच उत्पादन क्षमता का संवर्धन (2750 कोच परियोजना), लागत रु. 486.76 करोड़ (पूँजी के तहत) - शीर्ष कारखाने- उत्पादन इकाईयों सहित के अंतर्गत, सवारी डिब्बा कारखाना, पेरंबूर हेतु  | (IV) Augmentation of Linke Hofmann Busch Coach Production Capacity at Integral Coach Factory (Project 2750 coach) costing ₹ 486.76 crore (through Capital) – under the head 'Workshops' including Production Units for Integral Coach Factory, Perambur; |
| (V) तिरुवनंतपुरम मंडल - संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (24.031 किमी) व थू पटरी नवीकरण (45.539 किमी) (प्राथमिक), लागत रु. 97.16 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, दक्षिण रेलवे हेतु            | (V) Trivandrum Division - Complete track renewal (24.031 km) and through rail renewal (45.539 km) (Primary) costing ₹ 97.16 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Southern Railway;                           |
| (VI) सेलम मंडल - संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (18.2 किमी), पटरी नवीकरण (20.918 किमी) (प्राथमिक) टर्नआउट नवीकरण (134 सेट), लागत रु.82.17 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, दक्षिण रेलवे हेतु | (VI) Salem Division - Complete track renewal (18.2 km), through rail renewal (20.918 km) (Primary), turnout renewal (134 sets) costing ₹ 82.17 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Southern Railway;        |
| (VII) तिरुचिरापल्ली-दिंडिगुल - संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (11.831 किमी) (प्राथमिक), मानामदुरै-रामेश्वरम - थू पटरी नवीकरण (1.428 किमी)   | (VII) Tiruchirappalli-Dindigul - Complete track renewal (11.831 km) (Primary); Manamadurai-Rameshwaram - through rail  |

	(प्राथमिक) व मानापारै व मदुरै यार्ड - टर्नआउट नवीकरण (7 सेट), लागत रु. 23.59 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, दक्षिण रेलवे हेतु		renewal (1.428 km) (Primary) and Manaparai & Madurai Yard - turnout renewal (7 sets) costing ₹ 23.59 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Southern Railway;
(VIII)	कन्नूर-मंगलूरु सेंट्रल - संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (5.50 किमी) (प्राथमिक), लागत रु. 9.81 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, दक्षिण रेलवे हेतु	(VIII)	Kannur-Mangaluru Central - Complete track renewal (5.50 km) (Primary) costing ₹ 9.81 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Southern Railway;
(IX)	कन्नूर-मंगलूरु सेंट्रल - संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (14.2 किमी) (प्राथमिक) व टर्नआउट नवीकरण (3 सेट), लागत रु. 25.99 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, दक्षिण रेलवे हेतु	(IX)	Kannur-Mangaluru Central - Complete track renewal (14.2 km) (Primary) & turnout renewal (3 sets) costing ₹ 25.99 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Southern Railway;
(X)	कोझीकोड-कन्नूर - संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (4.630 किमी) (प्राथमिक), थू पटरी नवीकरण (9.774 किमी) (प्राथमिक) व टर्नआउट नवीकरण (9 सेट), लागत रु. 20.5 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, दक्षिण रेलवे हेतु	(X)	Kozhikkode-Kannur - Complete track renewal (4.630 km) (Primary); through rail renewal (9.774 km) (Primary) and turnout renewal (9 sets) costing ₹ 20.5 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Southern Railway;
(XI)	कन्नूर-मंगलूरु सेंट्रल - संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (20.695 किमी) (प्राथमिक), थू पटरी नवीकरण (9.713 किमी) (प्राथमिक) व टर्नआउट नवीकरण (27 सेट), लागत रु. 53.07 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, दक्षिण रेलवे हेतु	(XI)	Kannur-Mangaluru Central - Complete track renewal (20.695 km), through rail renewal (9.713 km) (Primary) and turnout renewal (27 sets) costing ₹ 53.07 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Southern Railway;
(XII)	कन्नूर-मंगलूरु सेंट्रल - थू स्लीपर नवीकरण (27.146 किमी) (प्राथमिक), लागत रु. 22.55 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, दक्षिण रेलवे हेतु	(XII)	Kannur-Mangaluru Central - Through sleeper renewal (27.146 km) (Primary) costing ₹ 22.55 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Southern Railway;
(XIII)	पालक्काड मंडल - टर्नआउट नवीकरण (112 सेट), लागत रु. 35.05 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, दक्षिण रेलवे हेतु	(XIII)	Palakkad Division - Turnout renewal (112 sets) costing ₹ 35.05 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Southern Railway;
(XIV)	कोझीकोड-कन्नूर - संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (3.726 किमी) (प्राथमिक), थू पटरी नवीकरण (24.764 किमी) (प्राथमिक) व टर्नआउट नवीकरण (15 सेट), लागत रु. 37.49 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, दक्षिण रेलवे हेतु	(XIV)	Kozhikkode-Kannur - Complete track renewal (3.726 km) (Primary); through rail renewal (24.764 km) (Primary) and turnout renewal (15 sets) costing ₹ 37.49 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Southern Railway;
(XV)	पोदन्नूर-शोराणूर - संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (3.075 किमी) (प्राथमिक) व थू पटरी नवीकरण (2.170 किमी) (प्राथमिक), लागत रु. 7.77 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, दक्षिण रेलवे हेतु	(XV)	Podanur-Shoranur - Complete track renewal (3.075 km) (Primary) and through rail renewal (2.170 km) (Primary) costing ₹ 7.77 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Southern Railway;
(XVI)	पालक्काड मंडल- संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (5.542 किमी) (प्राथमिक) व थू पटरी नवीकरण (16 किमी) (प्राथमिक), लागत रु. 26.72 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, दक्षिण रेलवे हेतु	(XVI)	Palakkad Division - Complete track renewal (5.542 km) (Primary) and through rail renewal (16 km) (Primary) costing ₹ 26.72 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Southern Railway;
(XVII)	शोराणूर-कोझीकोड - संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (1.354 किमी) (प्राथमिक) व थू पटरी नवीकरण (8.018 किमी) (प्राथमिक), लागत रु. 10.85 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, दक्षिण रेलवे हेतु	(XVII)	Shoranur-Kozhikkode - Complete track renewal (1.354 km) (Primary) and through rail renewal (8.018 km) (Primary) costing ₹ 10.85 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Southern Railway;
(XVIII)	नागदा-मथुरा व कोटा-रुठियाई - जुड़नारों का थू नवीकरण (143.034 किमी), लागत रु. 11.29 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, पश्चिम मध्य रेलवे हेतु	(XVIII)	Nagda-Mathura & Kota-Ruthiyai - Through fastening renewal (143.034 km) costing ₹ 11.29 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for West Central Railway;
(XIX)	भोपाल-इटारसी - थू पटरी नवीकरण ((18.20 किमी) (प्राथमिक), लागत रु. 21.91 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, पश्चिम मध्य रेलवे हेतु	(XIX)	Bhopal-Itarsi - Through rail renewal (18.20 km) (Primary) costing ₹ 21.91 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for West Central Railway;
(XX)	खंडवा-इटारसी - थू पटरी नवीकरण (9.70 किमी) (प्राथमिक), लागत रु. 11.68 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, पश्चिम मध्य रेलवे हेतु	(XX)	Khandwa-Itarsi - Through rail renewal - (9.70 km) (Primary) costing ₹ 11.68 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for West Central Railway;
(XXI)	खंडवा-इटारसी - थू पटरी नवीकरण (15 किमी) (प्राथमिक), लागत रु. 18.06 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, पश्चिम मध्य रेलवे हेतु	(XXI)	Khandwa-Itarsi - Through rail renewal (15 km) (Primary) costing ₹ 18.06 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for West Central Railway;

(XXII)	बीना-रुठियाई - संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (21.20 किमी) (प्राथमिक), लागत रु. 42.19 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, पश्चिम मध्य रेलवे हेतु	(XXII)	Bina-Ruthiyai - Complete track renewal (21.20 km) (Primary) costing ₹ 42.19 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for West Central Railway;
(XXIII)	इटारसी-बीना - गिट्टियों का थू नवीकरण (96.10 किमी) , लागत रु. 33.55 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, पश्चिम मध्य रेलवे हेतु	(XXIII)	Itarsi-Bina - Through ballast renewal (96.10 km) costing ₹ 33.55 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for West Central Railway;
(XXIV)	भोपाल-बीना - संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (4 किमी) (प्राथमिक), लागत रु. 7.96 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, पश्चिम मध्य रेलवे हेतु	(XXIV)	Bhopal-Bina - Complete track renewal (4 km) (Primary) costing ₹ 7.96 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for West Central Railway;
(XXV)	भोपाल-बीना - थू पटरी नवीकरण (3.5 किमी) (प्राथमिक), लागत रु. 4.21 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, पश्चिम मध्य रेलवे हेतु	(XXV)	Bhopal-Bina - Through rail renewal (3.5 km) (Primary) costing ₹ 4.21 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for West Central Railway;
(XXVI)	दानकुनी-शक्तिगढ़ - थू पटरी नवीकरण (12.047 किमी) (प्राथमिक), लागत रु. 10.32 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, पूर्व रेलवे हेतु	(XXVI)	Dankuni-Saktigarh - Through rail renewal (12.047 km) (Primary) costing ₹ 10.32 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Eastern Railway;
(XXVII)	खाना-झाड़ा - थू पटरी नवीकरण (26.67 किमी) (प्राथमिक), लागत रु. 22.85 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, पूर्व रेलवे हेतु	(XXVII)	Khana-Jhajha - Through rail renewal (26.67 km) (Primary) costing ₹ 22.85 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Eastern Railway;
(XXVIII)	भागलपुर-जमालपुर - संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (7.95 किमी), बरहरवा-साहिबगंज - संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (16.70 किमी) व जमालपुर-किउल - संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (8.80 किमी) (प्राथमिक), लागत रु. 50.43 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, पूर्व रेलवे हेतु	(XXVIII)	Bhagalpur-Jamalur - Complete track renewal (7.95 km), Barharwa-Sahibganj - complete track renewal (16.70 km) and Jamalpur-Kiul - complete track renewal (8.80 km) (Primary) costing ₹ 50.43 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Eastern Railway;
(XXIX)	खाना-सीतारामपुर - थू पटरी नवीकरण (5.26 किमी) (प्राथमिक), लागत रु. 4.51 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, पूर्व रेलवे हेतु	(XXIX)	Khana-Sitarampur - Through rail renewal (5.26 km) (Primary) costing ₹ 4.51 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Eastern Railway;
(XXX)	मालदा-बरहरवा - संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (14.14 किमी) (प्राथमिक), लागत रु. 21.32 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, पूर्व रेलवे हेतु	(XXX)	Malda-Barharwa - Complete track renewal (14.14 km) (Primary) costing ₹ 21.32 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Eastern Railway;
(XXXI)	भुसावल मंडल - थू पटरी नवीकरण (7.9 किमी) (प्राथमिक) (31 प्रमुख / महत्वपूर्ण पुल), लागत रु. 7.35 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, मध्य रेलवे हेतु	(XXXI)	Bhusawal Division - Through rail renewal (7.9 km) (Primary) (31 major / important bridges) costing ₹ 7.35 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Central Railway;
(XXXII)	इगतपुरी-भुसावल - संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (2.14 किमी) (प्राथमिक), लागत रु. 3.39 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, मध्य रेलवे हेतु	(XXXII)	Igatpuri-Bhusawal - Complete track renewal (2.14 km) (Primary) costing ₹ 3.39 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Central Railway;
(XXXIII)	दौंड-सोलापुर - जुड़नारों का थू नवीकरण (56.50 किमी), लागत रु. 4.16 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत, मध्य रेलवे हेतु	(XXXIII)	Daund-Solapur - Through fastening renewal (56.50 km) costing ₹ 4.16 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Track Renewal' for Central Railway;
(XXXIV)	सूबेदारगंज - 26-यान लंबाई प्रत्येक की धुलाई गर्त लाइनों (2 अदद) का समान लंबाई की स्थिरण लाइन सहित प्रावधान, लागत रु. 35.18 करोड़ (विकास निधि के तहत) - शीर्ष कारखाने- उत्पादन इकाईयों सहित के अंतर्गत, उत्तर मध्य रेलवे हेतु	(XXXIV)	Subedarganj - Provision of washing pit lines of 26-coach length each (2 Nos) with one stabling line of equal length costing ₹ 35.18 crore (through Development Fund) under the head 'Workshops' including Production Units for North Central Railway;
(XXXV)	अंधेरी-विरार - धीमे गलियारे पर 15-यान सेवाओं के चालन हेतु उपनगरीय प्लेटफार्मों का विस्तार, लागत रु. 59.56 करोड़ (विकास निधि के तहत) - शीर्ष यातायात सुविधाएँ के अंतर्गत, पश्चिम रेलवे हेतु; और	(XXXV)	Andheri-Virar - Extension of suburban platforms for running 15-car services on slow corridor costing ₹ 59.56 crore (through Development Fund) under the head 'Traffic Facilities' for Western Railway;
(XXXVI)	पूर्ण असेंबलड फिएट बोगियां (375 अदद), दर रु.30 लाख, लागत रु.112.50 करोड़ (पूँजी के तहत) - शीर्ष चल स्टॉक के अंतर्गत, रेलवे बोर्ड हेतु	(XXXVI)	Full assembled FIAT bogies (375 Nos) each costing ₹ 30 lakh with a total of ₹ 112.50 crore (through Capital) under the head 'Rolling Stock' for Railway Board;
(XXXVII)	सवारीडिब्बों का नए आशोधित मालगाड़ी रैकों में परिवर्तन (440 अदद), दर रु.5 लाख, लागत रु.22.00 करोड़ (पूँजी के तहत) - शीर्ष चल स्टॉक के अंतर्गत, रेलवे बोर्ड हेतु	(XXXVII)	Conversion of coaches to new modified goods rakes (440 Nos) each costing ₹ 5 lakh amounting to ₹ 22 crore (through Capital) under the head 'Rolling Stock' for Railway Board;
(XXXVIII)	कार्ट्रिज बियरिंग व ब्रेक डिस्क सहित एलएचबी कोचों के लिए पूर्ण असेंबलड पहिया-सेट (500 अदद), दर रु.3.35 लाख, लागत रु.16.75 करोड़ (पूँजी के तहत) - शीर्ष चल स्टॉक के अंतर्गत, रेलवे बोर्ड हेतु	(XXXVIII)	Fully assembled wheel-set for LHB coaches with cartridge bearings and brake discs (500 Nos) each costing ₹ 3.35 lakh with a total of ₹ 16.75 crore (through Capital) under the head 'Rolling Stock' for Railway Board;

(XXXIX)	जैव शौचालय वाले 500 सवारीडिब्बों में बायो-वैक हाईब्रिड शौचालय हेतु वैक्यूम असिस्टेड टॉयलेट डिस्चार्ज का प्रावधान, दर रु.10 लाख प्रति कोच, लागत रु.50 करोड़ (पूँजी के तहत) - शीर्ष चल स्टाक के अंतर्गत, रेलवे बोर्ड हेतु	(XXXIX)	Provision of vacuum assisted toilet discharge for bio-vac hybrid toilets for 500 coaches having bio-toilets each for ₹ 10 lakh per coach costing ₹ 50 crore (through Capital) under the head 'Rolling Stock' for Railway Board;
(XL)	पावरखेडा-होशंगाबाद - समपार सं.231 (विशेष-श्रेणी इंजीनियरी गेट) (ए-मार्ग), लागत रु.22.55 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) व रु.22.55 करोड़ (बजटेंतर संसाधन के तहत) - शीर्ष सड़क संरक्षा कार्य - ऊपरी/निचले पुल के अंतर्गत, पश्चिम मध्य रेलवे हेतु	(XL)	Powerkheda-Hoshangabad - Road over bridge in lieu of level crossing No.231 (Spl-class Engineering Gate) (A-route) costing ₹ 22.55 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) and ₹ 22.55 crore (Extra Budgetary Resources) under the head 'Road Safety Works' - Road Over/Under Bridges for West Central Railway;
(XLI)	एफएमसेफ - क्रिटिकल आईसीटी डोमेन के अंतर्गत संरक्षा की क्रिटिकल आईसीटी प्रणाली के सत्यापन व प्रमाणन प्रक्रिया हेतु औपचारिक पद्धति हेतु एक नेटवर्क केंद्र, लागत रु.3.48 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष रेलवे अनुसंधान के अंतर्गत, अनुसंधान, अभिकल्प व मानक संगठन हेतु	(XLI)	Establishing network centre for formal methods in validation and certification procedure for safety critical ICT system under ICT domain (FMSAFE) costing ₹ 3.48 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Railway Research' for Research, Design & Standards Organisation;
(XLII)	परेल, करी रोड व अंबीवली - भारतीय सेना द्वारा ऊपरी पैदल पुलों का निर्माण, लागत रु.13.99 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष यात्री सुविधाएं के अंतर्गत, मध्य रेलवे हेतु;	(XLII)	Parel, Curry Road & Ambivali - Construction of foot over bridges by Indian Army costing ₹ 13.99 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head Passenger Amenities for Central Railway;
(XLIII)	भुवनेश्वर - सभी प्लेटफार्मों को जोड़ने वाले 3सरे ऊपर पैदल पुल (6 मी चौड़े) का प्रावधान, लागत रु.7.69 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष यात्री सुविधाएं के अंतर्गत, पूर्व तट रेलवे हेतु;	(XLIII)	Bhubaneshwar - Provision of 3rd foot over bridge (6 m wide) at south end connecting all platforms costing ₹ 7.69 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head Passenger Amenities for East Coast Railway;
(XLIV)	भद्रक - रैंप सुविधा सहित 2सरे ऊपरी पैदल पुल (6 मी चौड़े) का प्रावधान, दर रु.7.12 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष यात्री सुविधाएं के अंतर्गत, पूर्व तट रेलवे हेतु;	(XLIV)	Bhadrak - Provision of 2nd foot over bridge (6 m wide) with ramp facility costing ₹ 7.12 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head Passenger Amenities for East Coast Railway;
(XLV)	परेल - उत्तरी ऊपरी पैदल पुल का पश्चिम की ओर विस्तार, दर रु.4.14 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष यात्री सुविधाएं के अंतर्गत, पश्चिम रेलवे हेतु;	(XLV)	Parel - Extension of north foot over bridge towards west side costing ₹ 4.14 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head Passenger Amenities for Western Railway;
(XLVI)	पार्क सर्कस व बारासात - 3 मीटर चौड़े नए ऊपरी पैदल पुलों का निर्माण, लागत रु.7.30 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष यात्री सुविधाएं के अंतर्गत पूर्व रेलवे हेतु	(XLVI)	Park Circus & Barasat - Construction of 3 m wide new foot over bridge costing ₹ 7.30 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Passenger Amenities' for Eastern Railway;
(XLVII)	बालीगंज - 3 मीटर चौड़े नए ऊपरी पैदल पुलों का निर्माण, लागत रु.3.90 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष यात्री सुविधाएं के अंतर्गत पूर्व रेलवे हेतु	(XLVII)	Ballyganj - Construction of 3 m wide new foot over bridge costing ₹ 3.90 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Passenger Amenities' for Eastern Railway;
(XLVIII)	मुंबई मंडल - दादर, मुलुंड, विक्रोली, टिटवाला, अटगांव, उल्हासनगर, कसारा, अंबीवली, वसिंद, बडाला, गोवंडी व तिलकनगर में ऊपरी पैदल पुलों का निर्माण, लागत रु.134.36 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष यात्री सुविधाएं के अंतर्गत पश्चिम रेलवे हेतु	(XLVIII)	Mumbai Division - Construction of foot over bridges at Dadar, Mulund, Vikroli, Titwala, Atgaon, Ulhasnagar, Kasara, Ambivali, Vasind, Vadala, Govandi & Tilak Nagar costing ₹ 134.36 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Passenger Amenities' for Western Railway;
(XLIX)	चर्चगेट-विरार - मरीन लाइन, चरनी रोड, ग्रांट रोड, मुंबई सेंट्रल, लोअर परेल व बांद्रा में वर्तमान ऊपरी पैदल पुलों का बदलाव, लागत रु.48.09 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष यात्री सुविधाएं के अंतर्गत पश्चिम रेलवे हेतु	(XLIX)	Churchgate-Virar - Replacement of existing foot over bridge at Marine Lines, Charni Road, Grant Road, Mumbai Central, Lower Parel and Bandra costing ₹ 48.09 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Passenger Amenities' for Western Railway;
(L)	चर्चगेट-विरार - सांताक्रूज, अंधेरी, गोरेगांव, मलाड, नायगांव, नल्लासोपारा व वसई रोड में वर्तमान ऊपरी पैदल पुलों का बदलाव, लागत रु.65.52 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष यात्री सुविधाएं के अंतर्गत पश्चिम रेलवे हेतु; और	(L)	Churchgate-Virar - Replacement of existing foot over bridge at Santacruz, Andheri, Goregaon, Malad, Naigaon, Nallasopara and Vasai Road costing ₹ 65.52 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Passenger Amenities' for Western Railway; and
(LI)	चर्चगेट-विरार - ग्रांट रोड, महालक्ष्मी, माहिम, विले पारले, जोगेश्वरी, बोरीवली, दहीसार, वसई रोड व विरार में एस्केलेटर के साथ ऊपरी पैदल पुलों का प्रावधान, लागत रु.74.88 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत) - शीर्ष यात्री सुविधाएं के अंतर्गत पश्चिम रेलवे हेतु	(LI)	Churchgate-Virar - Providing foot over bridges without escalators at Grant Road, Mahalakshmi, Mahim, Vile Parle, Jogeshwari, Borivli, Dahisar, Vasai Road & Virar costing ₹ 74.88 crore (through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) under the head 'Passenger Amenities' for Western Railway.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है .		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 81  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिये )  
(See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 50 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	19903.48	19903.48
पूंजी	Capital	10.00	100455.66	100465.66
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>10.00</b>	<b>120359.14</b>	<b>120369.14</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>10.00</b>	<b>120359.19</b>	<b>120369.19</b>
राजस्व	Revenue	...	19903.51	19903.51
पूंजी	Capital	10.00	100455.68	100465.68
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(क) 0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(ख) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01	(ग) 0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क)	केंद्रीय सड़क निधि को अंतर खाता अंतरण (₹ 7162 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।
(ख)	केंद्रीय सड़क निधि को अंतर खाता अंतरण (₹ 75.78 करोड़) अनुदान के इसी अनुभाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।
(ग) (i)	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हेतु केंद्रीय सड़क निधि को अंतर खाता अंतरण (₹ 15429.45 करोड़)।
(ii)	राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर-संयोजकता सुधार कार्यक्रम (विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना) के तहत मुख्य कार्य संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 262 करोड़)।
(iii)	जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण से सहायता प्राप्त विदेशों से सहायता प्राप्त योजना के तहत प्रमुख कार्य संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 40 करोड़)।
(iv)	नक्सली प्रभावित क्षेत्रों (टीएसपी) में सड़क संपर्कता के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम (राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सड़क) के तहत मुख्य कार्य संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 177 करोड़)।

अनुदान के इसी अनुभाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

(a)	Inter Account Transfer to Central Road Fund (₹ 7162 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(b)	Inter Account Transfer to Central Road Fund (₹ 75.78 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(c) (i)	Inter Account Transfer to Central Road Fund for NHAI (₹ 15429.45 crore).
(ii)	meeting additional expenditure on Major Works under the National Highway Inter-connectivity Improvement Programme (World Bank assisted Externally Aided Projects) (₹ 262 crore).
(iii)	meeting additional expenditure on Major Works under the Japan International Cooperation Agency assisted Externally Aided Schemes (₹ 40 crore).
(iv)	meeting additional expenditure on Major Works under Special Programme for Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremists Affected Areas under Tribal Sub-plan (₹ 177 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 82**

**ग्रामीण विकास विभाग**

**DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 101 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 51 देखिये )  
(See page 101 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 51 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	170436.63	170436.63
पूंजी	Capital	...	5.25	5.25
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>170441.88</b>	<b>170441.88</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.06	0.06
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	8394.59	8394.59
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>8394.59</b>	<b>8394.59</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>178836.53</b>	<b>178836.53</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>178831.28</b>	<b>178831.28</b>
पूंजी	Capital	...	<b>5.25</b>	<b>5.25</b>

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2216-आवास	2216-Housing	...	0.01 (का)	0.01
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	8394.57 (खब)	8394.57
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गक)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>8394.59</b>	<b>8394.59</b>

**टिप्पणी:** अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

**Note:** The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>2505-ग्रामीण रोजगार</b>	2505-Rural Employment	...	(-)4800.00	(-)4800.00

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)	प्रधानमंत्री आवास योजना (₹ 1 करोड़) के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के मूलधन और ब्याज की अदायगी।	(a)	Repayment of Principle and Interest on National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) Loan under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna (₹ 1 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है। (ii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के निधियन के लिए ₹ 4800 करोड़ राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में अतिरिक्त निधि अंतरण प्रदान करना। (ii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 4800 करोड़) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना।	(b)	(i) Providing additional fund transfer to National Employment Guarantee Fund to the tune of ₹ 4800 crore for funding Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee scheme. (ii) providing Grants for creation of capital assets under the scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee scheme (₹ 4800 crore). As the expenditure of ₹ 4800 crore under the scheme will be met from the National Employment Guarantee Fund and savings of ₹ 1205.43 crore are available within the same section of the Grant, it will entail a net cash outgo of ₹ 3594.57 crore.
(ग)	चूंकि इस योजना के अंतर्गत ₹ 4800 करोड़ का व्यय राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरा किया जाएगा और अनुदान के इसी भाग में ₹ 1205.43 करोड़ की बचत उपलब्ध है इस पर ₹ 3594.57 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा। (ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 170 करोड़) के अंतर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना। अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(c)	Providing Grants for creation of Capital Assets for Social Audit under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee scheme (₹ 170 crores) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 84

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये )  
(See page 103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) ( In ₹ crores )		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	0.02	4821.76	4821.78
पूँजी	Capital	...	15.59	15.59
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>0.02</b>	<b>4837.35</b>	<b>4837.37</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	5.00	5.00
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>5.01</b>	<b>5.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>0.02</b>	<b>4842.37</b>	<b>4842.39</b>
राजस्व	Revenue	<b>0.02</b>	<b>4821.78</b>	<b>4821.80</b>
पूँजी	Capital	...	<b>20.59</b>	<b>20.59</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01 (का)	0.01
<b>पूँजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूँजी परिव्यय	5425-Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	...	5.00 (खb)	5.00
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>5.01</b>	<b>5.01</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) इनके व्यय को पूरा करने के लिए 1. इनके लिए सामान्य सहायता अनुदान के लिए (1) विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की अनुसंधान (₹ 120 करोड़) (ii) विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम (₹ 5 करोड़) (iii) सर्वेक्षणकर्ता सामान्य (₹ 0.73 करोड़) के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (₹ 1.50 करोड़) 2. सर्वेक्षणकर्ता सामान्य के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.72 करोड़)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) डीएसटी के भवन निर्माण के लिए 'वृहत निर्माण कार्य' में अतिरिक्त व्यय (₹ 2 करोड़) के लिए (ii) भारत के मशीनरी एवं उपकरण का सर्वेक्षण (₹ 3 करोड़)
- अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General for (i) Science and Engineering Research (₹ 120 crore), (ii) Disha Programme for woman in Sciences (₹ 5 crore), (iii) Surveyor General (₹ 0.73 crore); (iv) Technology Development Board (₹ 150 crore) 2. Grants-in-aid Salaries for Surveyor General (₹ 2.72 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards (i) Major Works (₹ 2 crore) for construction of office Building (ii) Machinery & Equipment of Survey of India (₹ 3 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 85

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

## DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये )  
(See page 104 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 54 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	2222.11	2222.11
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>2222.11</b>	<b>2222.11</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	38.00	38.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>38.00</b>	<b>38.00</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>2260.12</b>	<b>2260.12</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>2260.12</b>	<b>2260.12</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	38.00	38.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित का व्यय पूरा करना 1. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 42.48 करोड़) 2. निम्नलिखित हेतु औद्योगिक और उद्यमिता विकास (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 50 करोड़) (ii) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान ₹ 10.05 करोड़) 3. स्वयत्त संस्थाओं के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 16 करोड़) 4. बायोफार्मा मिशन (₹ 0.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 38 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure towards 1. Grants in Aid General for Biotechnology Research & Development (₹ 42.48 crore) 2. Industrial and Entrepreneurship Development for (i) Grants in Aid General (₹ 50 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 10.05 crore) 3. Grants for creation of Capital Assets for Autonomous Institution (₹ 16 crore) 4. Biopharma Mission (EAP) (₹ 0.01 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 38 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 87

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये )  
(See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	1668.84	1668.84
पूंजी	Capital	...	440.66	440.66
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>2109.50</b>	<b>2109.50</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>2109.53</b>	<b>2109.53</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>1668.87</b>	<b>1668.87</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	<b>440.66</b>	<b>440.66</b>

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses	...	0.01	(कa) 0.01
3052-नौवहन	3052-Shipping	...	0.01	(खb) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary grants are required for:

(क)	(i)	तटीय सड़क संरक्षण कार्य हेतु चेन्नई पत्तन न्यास हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान जारी करना (₹ 23 करोड़)	(a)	(i)	release of Grants for creation of Capital Assets to Chennai Port Trust for Coastal Road Protection Work (₹ 23 crore).
	(ii)	कोचीन पत्तन न्यास और सबवे/फ्लाईओवर के निर्माण के लिए (₹ 6.55 करोड़) और रेल ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए (₹ 31.61 करोड़) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान		(ii)	release of Grants for creation of Capital Assets to Cochin Port Trust and Construction of Subway/Flyover (₹ 6.55 crore) and Construction of Rail Overbridge (₹ 31.61 crore).
		अनुदान के इसी अनुभाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)		महा निदेशालय (पोत परिवहन) (₹ 2 करोड़) के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (कार्यालय व्यय) के अंतर्गत प्रावधान करने के लिए	(b)		making provision under Information Technology (Office Expenses) for Directorate General (Shipping) (₹ 2 crore).
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 88  
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

## MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 देखिये)

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	2766.11	2766.11
पूँजी	Capital	...	250.03	250.03
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>3016.14</b>	<b>3016.14</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>3016.15</b>	<b>3016.15</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>2766.12</b>	<b>2766.12</b>
पूँजी	<b>Capital</b>	...	<b>250.03</b>	<b>250.03</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) चालू वित्त वर्ष 2017-18 में उच्चतर शिक्षा विभाग से अन्तर्गत की गई राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम और पोलिटेकनिक के जरिए समुदाय विकास पालिटेकनिक नामक स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 50 करोड़)।
- (ii) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (कौशल विकास) के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 19.40 करोड़) के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
- (iii) वामपंथी चरमपंथी से प्रभावित 47 जिलों के लिए कौशल विकास के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 22.37 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

- (i) meeting additional requirement as Grants-in-aid General (₹ 50 crore) under scheme namely Polytechnics, Community Development through Polytechnics (CDTP) and National Apprenticeship Training Scheme (NATS) transferred from Department of Higher Education in the current financial year 2017-18.
- (ii) meeting additional requirement as Grants-in-aid General (₹ 19.40 crore) under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana-(Development of Skills)
- (iii) meeting additional requirement as Grants-in-aid General (₹ 22.37 crore) for Skill Development for 47 Distt. Affected by Left Wing Extremism.  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 89  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

**DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये )  
(See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) ( In ₹ crores )		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	6589.78	6589.78
पूंजी	Capital	...	318.22	318.22
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>6908.00</b>	<b>6908.00</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	1.51	1.51
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>1.51</b>	<b>1.51</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>6909.52</b>	<b>6909.52</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>6591.30</b>	<b>6591.30</b>
पूंजी	Capital	...	<b>318.22</b>	<b>318.22</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01 (का)	0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	1.50 (खb)	1.50
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>1.51</b>	<b>1.51</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़) 2. स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) बालकों का छात्रावास (₹ 108 करोड़) (ii) बालिका छात्रावास (₹ 108 करोड़) और बालक और बालिका छात्रावास (₹ 10 करोड़) 3. अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (₹ 5.70 करोड़)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) नशीले पदार्थ दुरुपयोग और द्रव्यों के दुरुपयोग की हद, पैटर्न और प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 13.48 करोड़) (ii) राष्ट्रीय बायोश्री योजना की नई स्कीम (₹ 1.50 करोड़) 2. राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.54 करोड़) 3. राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹ 0.26 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए और वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि से ₹ 1.50 करोड़ पूरी की गई, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) 1. Grants in Aid General under the scheme Assistance to Voluntary Organisations for Backward Classes (₹ 5 crore). 2. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (i) Boys Hostel (₹ 108 crore) (ii) Girls Hostel (₹ 108 crore) and Boys and Girls Hostel (₹ 10 crore). 3. Scholarships/Stipends under the Scheme National Overseas Scholarship for OBCs (₹ 5.70 crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) 1. Grants in Aid General under the scheme National Survey to assess the extent, pattern and trends on Drug Abuse and Substance Abuse (₹ 13.48 crore) and (ii) the new scheme of Rasthriya Vayoshri Yojana (₹ 1.50 crore). 2. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Institute of Social Defence (₹ 1.54 crore). 3. Grants-in-aid Salaries under the National Institute of Social Defence (₹ 0.26 Crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, and ₹ 1.50 crore met from Senior Citizen Welfare Fund this will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 90  
विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग

**DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये )  
(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	822.26	822.26
पूंजी	Capital	...	32.74	32.74
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>855.00</b>	<b>855.00</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>855.02</b>	<b>855.02</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>822.28</b>	<b>822.28</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	<b>32.74</b>	<b>32.74</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

यंत्रों और उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 20 करोड़)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

providing Grants in Aid General under the scheme Assistance to Disabled Persons for Purchase/fitting of Aids and Appliances (ADIP) (₹ 20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 91**

**अंतरिक्ष विभाग**

**DEPARTMENT OF SPACE**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये )  
(See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 59 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		<i>( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)</i>		
		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	0.60	4937.73	4938.33
पूंजी	Capital	0.40	4154.98	4155.38
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>1.00</b>	<b>9092.71</b>	<b>9093.71</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	61.78	61.78
पूंजी	Capital	...	3.40	3.40
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>65.18</b>	<b>65.18</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>1.00</b>	<b>9157.91</b>	<b>9158.91</b>
राजस्व	Revenue	0.60	4999.52	5000.12
पूंजी	Capital	0.40	4158.39	4158.79
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	...	61.78	(क) 61.78
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	...	3.40	(ख) 3.40
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>65.18</b>	<b>65.18</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) व्यय को पूरा करना 1. इसरो उपग्रह केन्द्र के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.38 करोड़) (ii) सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी (₹ 127.91 करोड़), (iii) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 3.32 करोड़) 2. निम्नलिखित में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सहायता अनुदान वेतन (₹ 9.91 करोड़), (ii) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 3.56 करोड़), (iii) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 0.20 करोड़) 3. निम्नलिखित हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (i) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 6.18 करोड़), (ii) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 24.94 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए इसमें केवल ₹ 61.78 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) अंतरिक्ष निमग लिमिटेड द्वारा जारी बोनस शेयर के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (₹ 3.40 करोड़)(ii) पोलर सैटेलाइट लाउंच व्हीकल के लिए मुख्य निर्माण कार्य (₹ 11.63 करोड़) (iii) राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केन्द्र के लिए मुख्य निर्माण कार्य (आवास) (₹ 2.50 करोड़) (iv) इसरो उपग्रह केन्द्र के लिए आईटी मशीनरी और उपकरण (₹ 6.98 करोड़) (v) रिसाट-1ए के लिए आरएफ प्रणाली की प्राप्ति हेतु मशीनरी और उपकरण (₹ 5.92 करोड़) (vi) नासा-इसरो सैथेटिक अपेचर रडार मिशन मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत (₹ 7.52 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत और ₹ 3.40 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी प्राप्ति को देखते हुए इसमें अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting expenditure towards 1. Grants in Aid General for (i) ISRO Satellite Centre (ISAC) (₹ 2.38 crore) (ii) Semi Conductor Laboratory (SCL) (₹ 127.91 crore), (iii) Indian Institute of Space Science & Technology (IIST) (₹ 3.32 crore) 2. Grants in aid Salaries towards implementation of 7th Pay Commission recommendations in (i) Semi Conductor Laboratory (SCL) (₹ 9.91 crore), (ii) Physical Research Laboratory (PRL) (₹ 3.56 crore), (iii) National Atmospheric Research Laboratory (₹ 0.20 crore) 3. Grants for creation of Capital Assets for (i) Indian Institute of Space Science & Technology (IIST) (₹ 6.18 crore), (ii) Physical Research Laboratory (PRL) (₹ 24.94 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant this will entail a net Cash Outgo of ₹ 61.78 crore.

(b) meeting expenditure towards (i) additional equity investment in form of bonus shares issued by Antrix Corporation Limited (ACL) (₹ 3.40 crore)(ii) Major Works for Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-C) (₹ 11.63 crore) (iii) Major Works (Housing) for National Remote Sensing Centre (₹ 2.50 crore) (iv) IT-Machinery & Equipments for ISRO Satellite Centre (₹ 6.98 crore) (v) Machinery & Equipment towards the realization of RF Systems for Radar Imaging Satellite-1A (RISAT-1A) (₹ 5.92 crore) (vi) NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar Mission (NISAR) under Machinery & Equipment (₹ 7.52 crore).

Taking into account additional capital receipt of ₹ 3.40 crore and savings available in the same section of the grant, this will not entail any additional cash outgo.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 94**

**कपड़ा मंत्रालय**

**MINISTRY OF TEXTILES**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये )  
(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 61 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	6190.98	6190.98
पूंजी	Capital	...	35.52	35.52
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>6226.50</b>	<b>6226.50</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	12.00	...	12.00
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>12.00</b>	<b>0.04</b>	<b>12.04</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	24.25	24.25
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>12.00</b>	<b>6250.80</b>	<b>6262.80</b>
राजस्व	Revenue	...	6215.27	6215.27
पूंजी	Capital	12.00	35.53	47.53
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (क)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01 (ख)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	24.23 (ग)	24.23
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>24.25</b>	<b>24.25</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	...	0.01 (घ)	0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में जेओ टेक्सटाइल के उपयोग हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए अतिरिक्त राशि पूरा करना (₹ 4.83 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त राशि पूरा करना (₹ 0.60 करोड़) (ii) सामान्य सहायता अनुदान के लिए (₹ 15 करोड़) और हस्तशिल्प मेगाकलस्टर के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं के लिए (₹ 0.50 करोड़) (iii) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक खर्च के लिए (₹ 0.30 करोड़), किराया, दर और कर के अंतर्गत (₹ 0.15 करोड़) हस्तशिल्प शिल्पकार व्यापक कल्याण स्कीम में अन्य खर्च के लिए (₹ 0.10 करोड़), मानव संसाधन विकास (हस्तशिल्प) में अन्य प्रभारों हेतु (₹ 11 करोड़) (iv) आईआईसीटी भदोई के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन के लिए (₹ 1.50 करोड़) (v) डीटीई के अंतर्गत (₹ 0.05 करोड़), अन्य खर्च के अंतर्गत (₹ 0.61 करोड़) और अन्य प्रशासनिक खर्च के अंतर्गत (₹ 0.06 करोड़), विद्युत करघा विकास हेतु एकीकृत स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभारों के तहत (₹ 0.17 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting expenditure (₹ 4.83 crore) towards grants for creation of capital assets for Usage of Geotextiles in North Eastern Region. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure (₹ 0.60 crore) towards Grants-in-Aid General under Indian Institute of Handloom Technology (ii) (₹ 15 crore) towards Grants-in-Aid General and (₹ 0.50 crore) towards Professional Services under Handicraft Mega Cluster. (iii) (₹ 0.30 crore) towards Other Administrative Expenses under Development Commissioner (Handicraft), (₹ 0.15 crore) under Rent, Rate & Taxes, (₹ 0.10 crore) towards Other Expenses in Handicraft Artisans Comprehensive Welfare Scheme, (₹ 11 crore) towards other charges in Human Resource Development (Handicraft). (iv) (₹ 1.50 crore) towards Grants-in-Aid Salaries under Indian Institute of Carpet Technology, Bhadoi. (v) (₹ 0.05 crore) under DTE, (₹ 0.61 crore) under Other Expenses and (₹ 0.06 crore) under Other Administrative Expenses, (₹ 0.17 crore) under Other Charges under Integrated Scheme for Powerloom Sector Development. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ग) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (i) भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद के अंतर्गत (₹ 500 करोड़) (ii) स्वच्छ कार्य योजना (कपड़ा समिति को सहायता) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु (₹ 0.50 करोड़) (iii) कपड़ा समिति को सहायता के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन हेतु (₹ 8.44 करोड़) (iv) भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन के लिए (₹ 1 करोड़) (v) सहायता अनुदान वेतन के लिए (₹ 8 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान के लिए (₹ 23.90 करोड़) जूट पर उपकर संग्रहण के लिए जूट विनिर्माण विकास परिषद को भुगतान के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 12 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 24.23 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (घ) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्यों हेतु अतिरिक्त राशिपूरी करना (₹ 13 करोड़)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (c) meeting additional requirement (i) (₹ 500 crore) under Procurement of cotton by Cotton Corporation of India. (ii) (₹ 0.50 crore) towards Grants-in-Aid General under Swachhta Action plan (Assistance to Textiles Committee) (iii) (₹ 8.44 crore) towards Grants-in-Aid Salaries under Assistance to Textile Committee. (iv) (₹ 1 crore) towards Grants-in-Aid Salaries under Indian Jute Industry Research Association (iv) (₹ 8 crore) towards Grants-in-Aid salaries, (₹ 23.90 crore) towards Grants-in-Aid General and (₹ 12 crore) towards Grants for creation of Capital Assets under Payment to Development Council for Jute Manufacture against collection of cess on Jute.
- Taking into account savings available within the same section of the grant, this will entail a cash outgo of ₹ 24.23 crore.
- (d) meeting additional amount (₹ 13 crore) towards Major Works under National Handloom Development Programme.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 95

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिये )  
(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 63 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	1839.69	1839.69
पूँजी	Capital	...	1.08	1.08
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>1840.77</b>	<b>1840.77</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>1840.79</b>	<b>1840.79</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>1839.71</b>	<b>1839.71</b>
पूँजी	Capital	...	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3452-पर्यटन	3452-Tourism	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (1) (1) स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु - ₹ 18 करोड़ ii. तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए - ₹ 2.47 करोड़ iii. सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए - ₹ 0.41 करोड़ (ख) "होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थानों को अनुदान" योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए - ₹ 2.80 करोड़  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

- (1) providing Grants-in-aid General (a) for implementation of Swachhta Action Plan under the schemes (I) Swadesh Darshan - ₹ 18 Crore; (II) Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD) - ₹ 2.47 Crore ; and, (III) Capacity Building for Service Providers (CBSP) - ₹ 0.41 Crore; and (b) under the Scheme Grants to Institutes of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition - ₹ 2.80 Crore.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 96

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 64 देखिये )  
(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 64 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) ( In ₹ crores )		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	4136.09	1133.23	5269.32
पूंजी	Capital	...	60.00	60.00
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>4136.09</b>	<b>1193.23</b>	<b>5329.32</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	0.01	3.14	3.15
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>0.01</b>	<b>3.14</b>	<b>3.15</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	3.00	3.00
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>4136.10</b>	<b>1199.37</b>	<b>5335.47</b>
राजस्व	Revenue	4136.10	1139.37	5275.47
पूंजी	Capital	...	60.00	60.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services	...	2.00 (का)	2.00
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	1.00 (खb)	1.00
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सचिवालय के लिए वेतन के तहत व्यय हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 2 करोड़)।  
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वेतन के अंतर्गत व्यय हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 1 करोड़)।  
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting the additional requirement for expenditure under Salaries for Secretariat (₹ 2 Crores).  
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (b) meeting the additional requirement for expenditure under Salaries for National Commission for Scheduled Tribes (NCST) (₹ 1 crores).  
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 97

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिये )  
(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 65 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारत	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	88.30	17356.59	17444.89
पूंजी	Capital	90.00	19242.81	19332.81
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>178.30</b>	<b>36599.40</b>	<b>36777.70</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	4.00	0.03	4.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>4.00</b>	<b>0.04</b>	<b>4.04</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	50.01	50.01
पूंजी	Capital	...	86.02	86.02
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>...</b>	<b>136.03</b>	<b>136.03</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>182.30</b>	<b>36735.47</b>	<b>36917.77</b>
राजस्व	Revenue	<b>92.30</b>	<b>17406.63</b>	<b>17498.93</b>
पूंजी	Capital	<b>90.00</b>	<b>19328.84</b>	<b>19418.84</b>

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारत	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works	...	20.00	(का) 20.00
2216-आवास	2216-Housing	...	30.00	(खब) 30.00
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01	(गक) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	<b>...</b>	<b>50.01</b>	<b>50.01</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	46.00	(घद) 46.00
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	40.00	(डे) 40.00
4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development	...	0.01	(चफ) 0.01
6217-शहरी विकास के लिए ऋण	6217-Loans for Urban Development	...	0.01	(छग) 0.01
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	<b>...</b>	<b>86.02</b>	<b>86.02</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>...</b>	<b>136.03</b>	<b>136.03</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) चिकित्सा (₹ 2 करोड़) (ii) डीटीडी (₹ 3 करोड़) सरकारी भवनों के रख-रखाव कार्य के लघु कार्य (₹ 10 करोड़) और समाधीश के रख-रखाव हेतु पेशेवर सेवाएं (₹ 5 करोड़)।

उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय की आवश्यकता होगी।

(ख) संसदीय आवास और देश में सरकारी आवासों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए लघु कार्य (₹ 15 करोड़) और (ii) सरकारी आवासीय भवनों के स्थानीय निकायों के बिल के लिए किराया, दर और कर (आरआरटी) (₹ 15 करोड़)।

उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय की आवश्यकता होगी।

(ग) भारत के सर्वेक्षण की प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए सामान्य अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 1.14 करोड़)।

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।

(घ) (i) सर्वोच्च न्यायालय संसद एनेक्सी और वित्त (राजस्व) की चल रही परियोजना, बान्द्रा कुर्ला परियोजना और लेखा-परीक्षा का कार्यालय भवन

The supplementary grants are required for:

(a) meeting expenditure for (i) Medical (₹ 2 crore ), (ii) Domestic Travel Expenses (DTE) (₹ 3 crore), (iii) Minor works for maintenance work of Govt. office buildings (₹ 10 crore) and (iv) Professional Services for maintenance of Samadhis (₹ 5 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(b) meeting expenditure under (i) Minor Works for maintenance and repairs of Government Residential Accommodations and Parliamentary residences (₹ 15 crore ) and (ii) Rent, Rate and Taxes (RRT) for bill of local bodies for Govt. Residential buildings (₹ 15 Crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(c) meeting expenditure for Grants-in-General to clear the committed liabilities of Survey of India (₹ 1.14 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) meeting expenditure for (i) ongoing project of Supreme Court, Parliament House Annexe and Finance (Revenue), Bandra Kurla

(₹ 46 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए और (ii) एसआईटीसी, जीपीओए आदि के नए कार्यों की सूचना देने के लिए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसके लिए ₹ 46 करोड़ के नकद व्यय की आवश्यकता होगी।

- (ड) पश्चिम न्यायालय परियोजना के बड़े कार्य, नार्थ और साउथ एवेन्यु के पुनर्विकास, बीडी मार्ग एमपी भवन (₹ 40 करोड़) (ii) त्रिवेन्द्रम स्थित आरवीटीआई और मुम्बई, नवी मुम्बई लखनऊ, रायपुर, नई दिल्ली, मसूरी और यादागिरीगट्टा (तेलंगाना) स्थित विभिन्न भवनों के नए कार्यों की सूचना देने के लिए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसके लिए ₹ 40 करोड़ के नकद व्यय की आवश्यकता होगी।

- (च) नागपुर, बंगलौर चरण-2 अहमदाबाद, पूणे और नोएडा - ग्रेटर नोएडा की नई परियोजनाओं (₹ 731.15 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (छ) नागपुर, बंगलौर चरण-2 अहमदाबाद, पूणे और नोएडा - ग्रेटर नोएडा की नई परियोजनाओं (₹ 321.85 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।

Project and Office Building of Audit (₹ 46 crore) and (ii) reporting of new works for Supply, Installation, Testing and Commissioning (SITC) (₹ 6.05 crore), General Pool Office Accommodation (GPOA) etc.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 46 crore.

meeting expenditure for (i) Major Work for Western Court Projects, Redevelopment of North and South Avenue, B. D. Marg M.P. Houses (₹ 40 Crore) (ii) report of new work for Regional Vocational Training Institute of Women (RVTI) at Trivandrum (₹ 1.86 crore) and various buildings situated at Mumbai, Navi Mumbai, Lucknow, Raipur, New Delhi, Mussourie and Yadagirigutta (Telangana).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 40 Crore.

meeting expenditure for new projects at Nagpur, Bangalore Phase-2, Ahmedabad, Pune and Noida- Greater Noida (₹ 731.15 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure for new projects at Nagpur, Bangalore Phase-2, Ahmedabad, Pune and Noida- Greater Noida (₹ 321.85 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**मांग संख्या DEMAND NO 98**

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय**

**MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 66 देखिये )  
(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 66 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		<i>( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)</i>		
		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	1.00	8405.99	8406.99
पूंजी	Capital	4.00	799.29	803.29
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>5.00</b>	<b>9205.28</b>	<b>9210.28</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	93.42	93.42
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>93.42</b>	<b>93.42</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	330.08	330.08
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>330.09</b>	<b>330.09</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>5.00</b>	<b>9628.79</b>	<b>9633.79</b>
राजस्व	Revenue	1.00	8829.49	8830.49
पूंजी	Capital	4.00	799.30	803.30

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारत</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(क) 0.01
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation	...	150.00	(ख) 150.00
2711-बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी प्रणाली	2711-Flood Control and Drainage	...	0.01	(ग) 0.01
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	0.01	(घ) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	180.05	(ङ) 180.05
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>330.08</b>	<b>330.08</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5075-Capital Outlay on Other Transport Services	...	0.01	(च) 0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>330.09</b>	<b>330.09</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	“मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण” स्कीम की उप-स्कीम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र जल तथा भूमि प्रबंधन क्षेत्रीय संस्थान को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 1.50 करोड़)।	(a)	release of additional Grants-in-aid General to North Eastern Regional Institute of Water and Land Management under sub-scheme "Capacity Building Programme" of scheme 'Human Resource Development/Capacity Building' (₹ 1.50 crore).
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लिए गए ऋण के लिए नाबार्ड को ब्याज का भुगतान करने हेतु राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 150 करोड़)।	(b)	(i) release of additional Grants-in-aid General to National Water Development Agency towards payment of interest to NABARD for loan raised under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna (₹ 150 crore).
	(ii) अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 13.89 करोड़)।	(ii)	providing additional Grants-in-aid General under Research and Development Programme (₹ 13.89 crore).
	अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के उसी खंड के भीतर बचत के उपयोग करने के पश्चात उपयुक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ग)	स्कीम 'सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधि और कार्य' के 'योगदान' के तहत अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराना (₹ 3 करोड़)।	(c)	providing additional funds under 'Contributions' of the scheme 'River Management Activities and Works related to Border Areas' (₹ 3 crore).

- अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है।
- (घ) उप स्कीम "राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण" (ईएपी घटक) के लिए "राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" के तहत पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान कराना (₹ 470 करोड़)। (d)
- अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ड) (i) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम के तहत पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान जारी करना (₹ 200 करोड़)। (e) (i)
- (ii) बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान जारी करना (₹ 375 करोड़)। (ii)
- (iii) सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधि और निर्माण कार्य योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त निधि जारी करना (₹ 50 करोड़)। (iii)
- अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी खंड में बचत के उपयोग करने के पश्चात उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (च) स्कीम "फरक्का बैराज परियोजना" के "प्रमुख निर्माण कार्य" के तहत अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 15 करोड़)। (f)
- अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- providing additional Grants for creation of Capital Assets to National Ganga River Basin Authority under National River Conservation Plan (EAP component) (₹ 470 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- release of additional Grants for creation of Capital Assets under the scheme of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (₹ 200 crore).
- release of additional Grants for creation of Capital Assets under Flood Management Programme (₹ 375 crore).
- release of additional fund for Grants-in-aid General for the scheme 'River Management Activities and Works related to Border Areas' (₹ 50 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- providing additional funds under 'Major Works' of the scheme 'Farakka Barrage Project' (₹ 15 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

मांग संख्या DEMAND NO 99

**महिला और बाल विकास मंत्रालय**

**MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये )  
(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 67 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	22556.02	22556.02
पूंजी	Capital	...	38.65	38.65
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>22594.67</b>	<b>22594.67</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>22594.74</b>	<b>22594.74</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>22556.09</b>	<b>22556.09</b>
पूंजी	Capital	...	<b>38.65</b>	<b>38.65</b>

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	(का) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(खb) 0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(गc) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) बाल संरक्षण स्कीम (₹ 98 करोड़) (ii) राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान (₹ 14.17 करोड़) (iii) केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (₹ 10.68 करोड़) (iv) निर्भया निधि से निधिप्राप्त अन्य स्कीमें (₹ 45 करोड़) और (v) कामकाजी महिला हॉस्टल (₹ 0.25 करोड़) 2. स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) आंगनबाड़ी सेवाएं (₹ 1.15 करोड़) (ii) कामकाजी महिला हॉस्टल (₹ 16.15 करोड़) और (iii) एकल केंद्र (₹ 15 करोड़) 3. निपसिड स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹ 7.53 करोड़) 4. बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत प्रयोजन शीर्ष - व्यावसायिक सेवाएं खोलने के लिए (₹ 0.12 करोड़) 5. राष्ट्रीय पोषण मिशन स्कीम के अंतर्गत प्रयोजन शीर्ष-किराया, दर और कर खोलने के लिए (₹ 0.80 करोड़)	(a)	1. GIA General under the scheme:- (i) Child Protection Scheme (₹ 98 crore), (ii) National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) (₹ 14.17 crore), (iii) Central Social welfare Board (CSWB)(₹ 10.68 crore), (iv) Other Schemes funded from Nirbhaya Fund (₹ 45 crore) and (v) Working Women Hostels (₹ 0.25 crore). 2. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (i)Anganwadi Services (₹ 1.15 crore), (ii) Working Women Hostels (₹ 16.15 crore), and (iii) One Stop Centre (₹ 15 crore). 3. GIA Salary under the scheme NIPCCD (₹ 7.53 crore). 4. For opening of Object head-Professional Services under the scheme Child Protection (₹ 0.12 crore). 5. For opening of Object head-Rents, Rates & taxes under the scheme National Nutrition Mission (₹ 0.80 crore)
(ख)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) आंगनबाड़ी सेवाएं (₹ 207.73 करोड़) (ii) बाल संरक्षण स्कीम (₹ 84.61 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. GIA General under the Scheme:-(i) Anganwadi Services (₹ 207.73 crore) and (ii) Child Protection (₹ 84.61 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	आंगनबाड़ी सेवाएं स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.60 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme Anganwadi Services (₹ 0.60 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 100

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 68 देखिये )  
(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 68 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		( ₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	1888.46	1888.46
पूँजी	Capital	...	54.75	54.75
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>1943.21</b>	<b>1943.21</b>
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	96.87	0.01	96.88
पूँजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>96.87</b>	<b>0.01</b>	<b>96.88</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>96.87</b>	<b>1943.24</b>	<b>2040.11</b>
राजस्व	Revenue	<b>96.87</b>	<b>1888.49</b>	<b>1985.36</b>
पूँजी	Capital	...	<b>54.75</b>	<b>54.75</b>

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services	96.87 (का)	0.01 (खb)	96.88

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी की प्रतिपूर्ति हेतु साईं स्टेडियम के नवीनीकरण योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 96.87 करोड़)।  
अनुदान के स्वीकृत खंड में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय प्रदान कराना (i) अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना के तहत योगदान (₹ 1 करोड़)। (ii) राष्ट्रीय खेलकूद कोचिंग योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़)।  
  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants/appropriations are required for:

- (a) (i) Grants-in-Aid General under the scheme SAI Stadia Renovation for recoupment of the advance drawn from the Contingency Fund of India. (₹ 96.87 crore).  
Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) Providing additional expenditure for (i) Contribution under the scheme International Cooperation (₹ 1 crore). (ii) Grant-in-Aid General under the Scheme National Institute of Sports Coaching (₹ 5 crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.